Tuesday 19, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

Preservation 1-9-92
Fumigated On 30-7-85
6
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची Contents

अंक 5. मंगलवार, 19 नवम्बर, 1974/28 कार्तिक, 1896 (शक)

No. 5, Tuesday, November 19, 1974/Kartika 28, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
101 अधिकारियों और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Posts of Officers and Class III Staff	1
102 दक्षिण रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना/सेवा समाप्त किया जाना	Dismissal/Removal of various Categories of Employees on Southern Railway	5
104 पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा डीजल के शोधक कारखाना बाह्य मूल्यों में वृद्धि का निर्णय ।	Decision to increase Ex-refinery price of Petrol, Kerosene and Diesel .	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
103 विलासपुर डिवीजन के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों से आए ज्ञापन	Memorandum from Ticket Checking Staff of Bilaspur Division . .	15
105 तेल संबंधी ईंधन नीति समिति की सिफारिश	Recommendation of the Fuel Policy Committee on oil	16
106 कम मूल्य वाले जनता साबुन का उत्पादन	Production of Low priced Janta Soap	16
107 औषधियों की कमी	Shortage of Drugs . . .	17
108 मारुति लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया तुलना-पत्र	Balance Sheet submitted by Maruti Ltd.	17
109 कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange requirements of Coal based Fertiliser Plants . .	18
110 भटिंडा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये जापान के साथ करार	Agreement with Japan to set up Fertiliser Plant at Bhatinda . . .	19

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign +marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the house by him.

ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
111	कोंकण रेलवे के आप्टा-दासगांव सैक्शन पर किया गया कार्य	Work done on Apta-Dasgaon section of Konkan Railway	19
112	विदेशी औषध फर्मों द्वारा सरकारी विनियमों का उल्लघंन करने के बारे में जांच	Inquiry into Flouting of Government regulations by Foreign Drug Firms.	20
113	कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण के लिए धनराशी का प्राक्कलन	Estimates of amounts for Construction of Kangra Valley Railway . . .	20
114	बम्बई के पास गहरे समुद्र में सागर सम्राट द्वारा तेल के कुओं की खुदाई	Drilling of Oil Wells by Sagar Samrat in Bombay High	21
115	गत मई 1974 की रेल हड़ताल के सम्बन्ध में बरखास्त किये गये/सेवा से हटाये गये/स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी	Dismisal/Removal/Transfer of Employees in connection with May, 1974 Railway Strike . . .	21
116	विदेशी औषध फर्मों के कार्यकरण के बारे में अध्ययन दलों के प्रतिवेदन	Reports of Study Group on Working of Foreign Drug Firms . . .	22
117	साबुन के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of soap . .	22
118	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम आयोग की सिफारिशों के अनुसार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन	Amendment of M.R.T.P. Act according to Recommendations of M.R. T.P. Commission . . .	23
119	हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में जांच	Inquiry into the Working of Hindustan Insecticides Limited . . .	42
120	तेल की खोज कार्यक्रम को तेज करना	Programme to intensify search for Oil	24
अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1001	रांची में आय-कर न्यायाधिकरण की स्थापना	Setting up of Income Tax Tribunal at Ranchi	25
1002	मध्य प्रदेश में अधिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to set up more Fertiliser Plants in Madhya Pradesh . .	25
1003	माल-डिब्बों के लिये रेलवे द्वारा क्रयादेश	Railway Orders for Wagons	25

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	प्रष्ठ PAGES
1004	यूरेका टाइप फांउड्री, कलकत्ता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Inquiry against Eureka Type Foundry Calcutta	26
1005	बिहार विधान सभा के लिये उप-चुनाव	Bye election to Bihar Assembly .	26
1006	उड़ीसा में बिना पहरेदारी के रेल के फाटक	Unmanned Railway Crossings in Orissa	27
1007	दोषपूर्ण योजना का पश्चिम बंगाल के वैगन बनाने वाले उद्योग पर प्रभाव	Effects of faulty Planning on Wagon Building Industry in West Bengal .	28
1008	डीजल की बचत के लिये मोटर गाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश	Directions to State Governments to restrict Transport of Goods by Motor vehicles to some Diesel. . .	29
1009	विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए पेट्रोरासायनिक उद्योग	Petro Chemical Industries set up with Foreign Collaboration . . .	29
1010	भारत के पेट्रोलियम बिल में वृद्धि	Increase in India's Petroleum Bill	30
1011	चालू वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilisers in the Current Year	31
1012	काठगढ़ में हुई रेल दुर्घटना के बारे में जांच	Inquiry into Train Accident at Kath-garh	32
1013	पूर्वी राज्यों में मिट्टी के तेल का अभाव	Scarcity of Kerosene Oil in Eastern States	32
1014	चुनाव धांधलिया	Riggings of Elections	32
1015	सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत उप-आयुक्त दिल्ली के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Applications pending with Deputy Commissioner Delhi under Section 92 C.P.C.	33
1016	गोवा में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक	Unmanned Railway Crossings in Goa	33
1017	चुनाव कानूनों में व्यापक तथा शीघ्र सुधार करने का प्रस्ताव	Proposal for Comprehensive and Speedy Reforms of Election Laws . .	34
1018	दिल्ली न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरना	Filling up of Posts Reserved for Scheduled Caste Candidates in Delhi Judicial Service	35
1019	राजस्थान में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक	Unmanned Railway Crossings in Rajasthan	35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1020	पटना जंकशन और पटना सिटी स्टेशनों का विकास करने संबंधी योजना	Scheme to Develop Patna Junction and Patna City Stations	36
1021	सवाई-माधोपुर तथा बड़ौदा (पश्चिम रेलवे) के बीच दोहरी रेलवे लाइन	Double Railway Track between Sawai Madhopur and Baroda (Western Railway)	37
1022	कोयले की कमी के कारण असम के कछार जिले में बंद की गई गाड़ियों को फिर से चलाना	Restoration of Trains cancelled in Cachar District of Assam due to shortage of Coal	37
1023	त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Trivandrum Ernakulam Railway Line into Broad Gauge Line	37
1024	हावड़ा तथा पुरूलिया के बीच चलने वाली गाड़ियां	Trains running between Howrah and Purulia	38
1025	निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिए आराम-देह सीटें	Comfortable Seats for Lower Class Passengers	39
1026	टिकटों के जारी करने पर रोक	Restriction on Issue of Tickets	40
1027	मियांभाई न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को उत्तर रेलवे पर लागू न किया जाना	Non Implementation of Miabhoy Tribunal's Report on Northern Railway	40
1028	सस्ता न्याय दिलाना	Administration of Justice of Low Cost	41
1029	विदेशी बाजार में नेफ्था की बिक्री	Sale of Naptha in the Foreign Market	41
1030	आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औषधियों का उत्पादन	Production of Drugs to meet requirements	41
1031	विमानों में प्रयोग किए जाने वाले तेल का अवैध विक्रय	Illegal Sale of Aviation Fuel	42
1032	नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के विभागीय लेखा अधिकारी (डी० ओ०) के कार्यालय में कार्य कर रहे सब-हैड पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें	Complaint against sub-heads working in D.A.O's Office New Delhi (Northern Railway)	42
1034	मुगलसराय से फैजाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी की एक ट्रक के साथ एक रेलवे फाटक पर टक्कर	Collision of passenger train bound for Faizabad from Mughalsarai with truck at Railway Crossing . .	43
1036	मथुरा तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Setting of the Mathura Refinery	43

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1037	रेलवे कानून में सुधार	Improvement in Railway Laws .	43
1038	विश्व बैंक के अध्ययन दल के साथ उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श	Discussion with Study Team of World Bank on requirement of Fertilisers .	44
1039	पी० डब्लू० आई० इटारसी (मध्य रेलवे) के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Enquiry against P.W.I. Itarsi (Central Railway) .	44
1040	रेल सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाना	Representation of Local Population in Railway Services	44
1041	आगरा छावनी रेलवे जलपान सेवा द्वारा की गई बिक्री	Sales of Agra Cantonment Railway Catering Service	45
1042	"टूल चैकर्स", कंचरा पारा वर्कशाप (पुर्व रेलवे) से ज्ञापन	Memorandum from Tool Checkers Kanchrapara Workshops (Eastern Railway)	45
1043	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध फर्मों को कच्चे माल की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of Raw Material to Drug Firms by IDPL and STC .	45
1044	निर्वाचन कानूनो के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी	Observation of Supreme Court on Election Laws	46
1045	हैदराबाद में पकड़ा गया स्क्रैप्स	Scraps seized in Hyderabad	47
1046	भारत में अधिक विदेशी शेयरों के स्वामित्व वाली कम्पनियां	Companies with Foreign Majority ownership in India	47
1047	राजभाषा (विधायी) आयोग	Official Languages (Legislative) Commission	48
1048	दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर पार्सलों के लिए स्थान	Accommodation for Parcels at Delhi Shahdara Station	49
1049	बंगाल की खाड़ी तथा कच्छ बेसिन में तेल के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Survey for oil in Bay of Bengal and Kutch Basin	50
1050	लिबिया से तेल के आयात के लिए करार	Agreement for Import of Oil from Libya . ..	50
1051	मार्टिन लाईट रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Ex-employees of Martin Light Railway . .	51
1052	न्यायालयों में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामले	Cases against Railway Employees in Courts	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1053	रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Train Robberies	52
1054	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इंडेन ऐजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Indane Gas Agencies and Petrol pumps to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	52
1055	पारादीप में उर्वरक कारखाना	Fertiliser Factory at Paradeep	53
1056	पश्चिम रेलवे में हड़ताल के कारण विभिन्न वर्गों में दंड प्राप्त करने वाले कर्मचारी	Employees of Different Categories Suffered Punishment Due to Strike on Western Railway . . .	53
1057	उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय	Decision to Set Up Fertiliser Plants	54
1059	छोटे कार्यों के ठेके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को देना	Award of Small Unit Contracts to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	54
1060	मोटर गैसोलीन के निर्यात के लिये निर्णय	Decision to Export Motor Gasoline	55
1061	सस्ते मूल्यों पर औषधियों की उलब्धता	Availability of Drugs at Cheap Rates	56
1062	किशनगंज (दिल्ली) की मिनरल साइडिंग पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का उतारा जाना	Unloading of Foodgrains by F.C.I. at Mineral Siding of Kisanganj (Delhi)	57
1063	गौहाटी तेलशोधक कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण के बारे में नोटिस	Notices Regarding Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gauhati Refinery	57
1064	'कन्टैनर' सेवा का लागू किया जाना	Introduction of Container Service	58
1065	पंजाब को डीजल आयल का आवंटन	Allocation of Diesel Oil to Punjab	58
1066	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना की क्रियान्विति	Implementation of Scheme for Free Legal Aid to Poor	59
1067	नये उर्वरक संयंत्र आरम्भ करने का निर्णय।	Decision to start New Fertiliser Plants	59
1068	उर्वरकों का कम उत्पादन	Low Production of Fertilisers . .	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1069	औषधियों का कमी।	Shortage of Drugs	60
1070	संयंत्रों में उर्वरकों का जमा हो जाना	Accumulation of Fertilisers in the Plants	62
1071	राजधानी एक्सप्रैस में बड़ौदा के लिये पांच और सीटों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal to allot Five more seats in Rajdhani Express for Baroda . .	62
1072	कालका मेल, फ्रंटियर मेल तथा ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस द्वारा समय की पाबंदी बनाये रखा जाना	Punctuality maintained by Kalka Mail, Frontier Mail and Grant Trunk Express	63
1073	आर्मस्ट्रोंग स्मिथ लिमिटड, कलकत्ता	Armstrong Smith Limited, Calcutta	63
1074	मेसर्ज फाइज़र्ज द्वारा ओक्सी-टेट्रा-साइक्लीन का उत्पादन	Production of Oxytetracycline by M/s Pfizers	64
1075	ट्राम्बे उर्वरक परियोजना	Trombay Fertilizer Project	65
1076	रेलवे को छपाई की मशीनें और सामान सप्लाई करने वाली फर्में	Firms Supplying Printing Machinery and Material to Railways . .	65
1077	पांचवीं योजना अवधि में जखपुरा-बांसपानी रेल लाईन के लिये राशि का नियमन	Allocation of Amount for Jakhapura-Bansapani Railway Line in Fifth Plan Period	66
1078	गार्डों के स्थान पर अन्य संगचल कर्मचारियों को 'रनिंग रूम' की सुविधायें दिया जाना	Running Room Facilities to Running Staff at Cost of Guards . . .	66
1079	बरौनी तेल शोधक कारखाने की 'बिटुमैन यूनिट' की स्थापना	Setting up of Bitumen Unit of Barauni Refinery	67
1080	कटपाड़ी तिरुपति रेनीगुंटा तथा पकाला धर्मावरम् (दक्षिण रेलवे) के बीच रेल सेवायें	Train Services between Katpadi-Tirupati-Renigunta and Pakala Dharmavaram (Southern Railway)	67
1081	ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की विस्तार संबंधी योजना	Plan for Expansion of Trombay Fertiliser Plant	68
1082	रेलवे हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति के विचार	Former President's views on Railway strike	68
1083	बम्बई में तटदूर खुदाई प्लेटफार्मों का स्थापित किया जाना	Setting up of More Drilling Platforms in Bombay High	69
1084	आय को बढ़ाने के लिये अधिक भाड़े वाले माल की ढुलाई	Movement of High rated Traffic to Increase Earnings	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1085	पश्चिम बंगाल में विदेशी फर्में	Foreign Firms in West Bengal .	70
1086	उद्योग को 'सोडा एश' की सप्लाई	Supply of Soda Ash to Industry	70
1087	गत एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटनायें	Train Accidents in Orissa during the Last One Year	70
1088	उड़ीसा में किसानों के लिये डीजल की अनुपलब्धता	Non-availability of Diesel for Farmers in Orissa	71
1089	उड़ीसा में लघु प्लास्टिक निर्माताओं के सम्मुख कठिनाइयां	Difficulties faced by Small Scale Plastic Manufacturers in Orissa . .	72
1090	एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की कार्यकुशलता में सुधार के लिये उपाय	Steps to Improve Efficiency of MRTP Commission	72
1091	महोबा से खजुराओ तक रेलवे लाईन का निर्माण	Construction of Railway line for Mahoba to Khajurao . . .	72
1092	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को हुई हानि	Loss suffered by Indian Drugs and Pharmaceutical Limited . .	73
1093	गुजरात में कम्पनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति	Weak Financial Position of Companies in Gujarat	74
1094	रेल भाड़ों में वृद्धि	Increase in Railway Freights	74
1095	रेलवे कर्मचारियों को बोनस की अदायगी	Payment of Bonus to Railway Employees	74
1096	गोआ में किसानों के लिये डीजल की अनुपलब्धता	Non-availability of Diesel for Farmers in Goa	75
1097	गोआ में लघु प्लास्टिक निर्माताओं के सम्मुख कठिनाइयां	Difficulties faced by Small Scale Plastic Manufacturers in Goa	75
1098	गोआ में गत वर्ष के दौरान हुई रेल दुर्घटनायें	Train Accidents in Goa during the Last One Year	75
1099	अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी	Shortage of Life Saving Drugs in Hospitals	76
1100	जर्मनी एवं इटली द्वारा उर्वरक एककों को दोषपूर्ण उपकरणों की सप्लाई	Defective Equipments supplied to Fertiliser Units by Germany and Italy	77
1101	राजस्थान में किसानों के लिये डीजल की अनुपलब्धता	Non-availability of Diesel for Farmers in Rajasthan .	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1102	राजस्थान में लघु प्लास्टिक निर्माताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Difficulties faced by Small Scale Plastic Manufacturers in Rajasthan . .	77
1103	राजस्थान में गत एक वर्ष में रेल दुर्घटनायें	Train Accidents in Rajasthan during the Last one Year . . .	78
1104	पटना सिटी स्टेशन पर एक हिंसात्मक भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways due to Police Firing on Violent Mob at Patna City Station	78
1105	बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आवंटन	Allotment of Book Stalls to Unemployed Graduates	78
1106	एरणाकुलम-कायमकुलम रेल लाईन के निर्माण के लिये निःशुल्क भूमि और स्लीपर देने की पेशकश	Offer of Free land and sleeper for construction of Ernakulam-Kayam Kulam Railway Line . .	79
1107	अशोधित तेल के लिये सऊदी अरब से करार	Contract with Saudi Arabia for Crude Oil	79
1108	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रतिक्रिया अधिनियम में संशोधन के लिये सुझाव	Suggestion made by Industrial Finance Corporation to Amend MRTP Act	80
1109	पुल निरीक्षक, राजामुन्दरी के अधीन कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of employees under Bridge Inspector, Rajahmudhry .	80
1110	मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे में सेवा से बर्खास्त किये गये/हटाये गये/सेवा समाप्त किये गये स्थायी, अस्थायी तथा मासिक वेतनवाले नैमित्तिक कर्मचारी	Dismissal/Removal/Termination of permanent, Temporary Casual on Monthly Rate of Pay Employees who participated in May, 1974 Strike (South Central Railway) . .	80
1111	इंजीनियरिंग विभाग (दक्षिण मध्य रेलवे) में छंटनी	Retrenchment in Engineering Department (South Central Railway) .	81
1112	सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों के लिये मुकदमा चलाये जाने तथा दंड दिये जाने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें	Law Commission's recommendations on trial and punishment for Social and Economic offences . .	81
1113	भारतीय तेल निगम द्वारा कुकिंग गैस के उत्पादन में नियोजित वृद्धि के कारण मिट्टी के तेल के आयात में कमी	Reduction in import of Kerosene Oil due to the Planned Increase in production of Cooking Gas by IOC .	82

ग्रता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1114	नई प्रकार के रेलवे वैगन	New Type of Railway wagons . .	82
1116	भारतीय रेलवे के रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनायें	Accidents occurred at Railway Crossing on Indian Railways . . .	83
1117	2 डाउन ग्रौर 1 ग्रप रेल गाड़ियों में गया बोगी जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to attach Gaya Bogie in 2DN and 1 UP trains . . .	83
1118	वर्ष 1974 के दौरान बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railway due to ticket-less Travelling during 1974 . .	84
1119	रेल किरायों में वृद्धि के साथ-साथ सुविधाग्रों में सुधार	Improvement in amenities consequent on increase of Railway Fares . .	84
1120	हिमाचल एक्सप्रैस रेलगाड़ी में डकैती	Robbery on Himachal Express .	85
1121	हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा कतिपय रसायनों के उत्पादन की योजना	Plan for production of certain chemicals by Hindustan Insecticides Limited .	86
1122	वैद्यनाथधाम ग्रौर देवघर के बीच पटना, वैद्यनाथधाम ग्रौर गया के बीच तथा वैद्यनाथधाम ग्रौर समस्तीपुर के बीच सीधी गाड़ियां	Direct trains between Vaidyanath Dham Deoghar and Patna, Vaidyanath Dham and Gaya and between Vaidyanath Dham and Samastipur .	87
1123	तेल की खरीद के लिए सऊदी ग्ररब ग्रौर इराक के साथ करार	Agreements with Saudi Arabia and Iraq for purchase of oil . . .	87
1124	झांसी मानिकपुर सैक्शन (मध्य रेलवे) पर इंजन ड्राइवर द्वारा सीमा सुरक्षा तम्बू पर जलता हुग्रा कोयला फैंकने के ग्रारोप के मामले की जांच	Investigation in case of locomotive driver charged with throwing burning coal on Jhansi Manikpur Section (Central Railway)	88
1125	रेलवे कर्मचारियों के बारे में समाजवादी संसद्-सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों की पावती	Acknowledgement of letters sent by Socialist M.Ps. about Railway Workers	88
1126	कालका मेल 2 डाउन ग्रौर 1 ग्रप गाड़ियों में दिल्ली से देहरी ग्रानसोन तथा वहां से वापसी के लिये ग्रारक्षण	Reservation in Kalka Mail from Delhi to Dehri on Sone and back . .	89
1127	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयले पर ग्राधारित उर्वरक संयंत्र	Coal based Fertiliser plants under Public and Private Sectors . .	89
1128	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों ग्रौर निबन्धनो में सुधार	Improvement in the terms and conditions of service of judges of High Courts	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1129	रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सजा पाए रेलवे कर्मचारी की संख्या	Number of Railway workers who suffered various punishments, inflicted by Railway Administration	90
1130	विभिन्न स्थानों पर तट पर और तट दूर तेल की खुदाई	On Shore and Off shore oil drilling at various places	90
1131	ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Drugs and Pharmaceuticals Limited Kerala .	91
1132	किशनगंज रेलवे कालोनी, दिल्ली में गंदगी	Insanitary condition in Kishanganj Railway Colony, Delhi . . .	91
1133	कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Textile Mills . .	92
1135	बिना टिकट यात्रा के मामलों में कमी	Decrease in cases of ticketless travelling	92
1136	रेल कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान	Settlement of Grievances of Railwaymen	93
1137	प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सब-हैड्स को निलंबित करना	Suspension of Sub-Heads of D.A.O. New Delhi (Northern Railway) .	94
1138	कुकिंग गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas .	94
1139	पांचवी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइन	New Railway lines in Fifth Five-Year Plan	95
1140	डीजल और मिट्टी से तेल की कमी	Shortage of Diesel and Kerosene Oil	96
1141	मुगल सराय के परे कोयले की सप्लाई	Supply of Coal beyond Mughal Sarai	96
1142	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन	Changes in the Representation of People Act	96
1143	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा जनता साबुन का उत्पादन और बिक्री	Manufacture and marketing of Janta Soap by Hindustan Lever Limited	97
1144	दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Delhi-Shahdara-Saharanpur Light Railway into Broad Gauge Line	97
1145	पश्चिम रेलवे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध परेशान करने संबंधी मामलों का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Victimisation Cases Against Office Reserve of All India Loco Running Staff Association over Western Railway .	98
1146	निर्वाचन कानूनों का उपांतरण	Modification of Election Laws	98

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1147	निर्वाचन व्यवस्था में परिवर्तनों के बारे में पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य	Statement of Minister of Supply and Rehabilitation on Changes in Electoral System . . .	99
1148	राज्यों को मिट्टी के तेल का पूरा कोटा पुनः दिया जाना	Restriction of full quota of Kerosene oil to States	100
1149	बगदाद में विश्व तेल सम्मेलन	World Oil Meet at Baghdad .	100
1150	पश्चिम बंगाल के बकुलताला में तेल खुदाई के कार्य में प्रगति	Progress in oil drilling at Bakultala in West Bengal	101
1151	इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्याय पीठ झांसी और मेरठ में स्थापित करने का निर्णय	Decision to set up Benches of Allahabad High Court at Jhansi and Meerut	101
1152	उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े मामले	Disposal of cases pending with High Courts and Supreme Court . .	101
1153	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में श्रमिकों के मामलों को निपटाने के लिये पृथक बेंचे स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Benches in Supreme Court and High Courts for Disposal of labour cases	102
1154	राज्यों को पैट्रोलियम उत्पादों का आवंटन और उनको बेकार खपत को रोकना	Allotment of petroleum products to States and checking their wasteful consumption	102
1155	एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गए मामले	Cases referred to MRTP Commission	102
1156	झांसी मानिकपुर यात्री रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late running of Jhansi Manikpur Passenger Train	103
1157	कुलपाहर के स्टेशन मास्टर द्वारा लौह से लदे एक वैगन की बिक्री	Sale of iron loaded in a Wagon by Station Master, Kulpahar .	103
1158	स्टीम कोयले की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द कर दिया जाना	Cancellation of Passenger Trains running through rural areas due to shortage of steam coal . . .	104
1159	तेल की खोज के बारे में डेनमार्क के एक आविष्कारक द्वारा निकाली गई नई प्रणाली	Method invented by a Danish Inventor regarding Oil Exploration .	104

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1160	नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha	104
1161	काश्मीर में तेल और गैस निक्षपों का पता लगना	Oil and Gas deposits found in Kashmir	105
1162	महत्वपूर्ण (जीवनदाई) दवाइयों के मूल्य और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता	Prices of life saving drugs and their availability in rural areas . .	105
1163	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मूल्य बढ़ाए जाने के कारण अशोधित तेल के आयात पर खर्चे में वृद्धि	Increase in expenditure on import of crude due to raising its prices by foreign oil companies . .	106
1164	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling	106
1165	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Oil and Natural Gas Commission	107
1166	अफ्रीकी देशों को डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Coaches to African Countries . . .	107
1167	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा कर्मचारियों को दिये गए अनुदेश	Instruction issued to the staff by the Minister of State for Railways. .	108
1168	बिहार बन्द के दौरान तोड़फोड़ के मामले	Cases of Sabotage during Bihar Bandh	108
1169	गत तीन वर्षों में पूर्वी रेलवे में चोरियां	Pilferage on Eastern Railway during the last three years	109
1170	एक्सोन द्वारा अरब के अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Arbian Crude by EXXON	110
1171	रेलवे द्वारा रेल कर्मचारियों की स्वीकार की गई मांगों को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Demands of Railwaymen conceded by Railways . .	110
1172	रेल कर्मचारियों की गत अखिल भारतीय आम हड़ताल के कारण बर्खास्त किये गए/मुअत्तिल किये गए कर्मचारियों की संख्या	Employees suffered Dismissal/suspension due to last All India General strike of Railwaymen . . .	111
1173	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा टाटा बन्धुओं की 11 कम्पनियों के मामले की जांच	Enquiry into the Affairs of 11 Companies of Tatas by M.R.T.P. Commission	112

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1174	पश्चिम बंगाल में मार्टिन रेलवे परियोजना की बड़ी लाईन के वित्त-पोषण के बारे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद	Disagreement over Financing of Broad gauge Line for Martin Railway Project in West Bengal	113
1175	हाल में रेल हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में रोक, सेवावधि में व्यवधान तथा पदोन्नति न करना	Loss of increment, Break in Service, Promotion to Employees for taking part in Recent Railway Strike	113
1176	बिहार के लिये पृथक रेलवे जोन	Separate Railway Zone for Bihar .	114
1177	अधिक संख्या में कानून न बनाने का प्रस्ताव	Proposal to avoid enactment of more laws	114
1178	मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी का विभिन्न स्टेशनों पर पत्रिकाओं की बिक्री करने का एकाधिकार	Monopoly for Sale of Magazines at various Stations by M/s. A.H. Wheeler and Co.	114
1179	बिहार में समाज विरोधी तत्वों द्वारा रेलवे लाईनों का उखाड़ा जाना	Uprooting of Railway lines by Anti-Social Elements in Bihar . .	115
1180	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित विभिन्न पदों पर उन्हें नियुक्त करने के लिये उनकी प्रतीक्षा सूची	Waiting List of SC/ST for nomination to various Posts Reserved for them	115
1181	गोहाटी तेलशोधक कारखाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Persons in Gauhati Refinery	115
1182	सल्फर तथा एसिड के उत्पादन, नियतन तथा निपटान के बारे में सल्फयूरिक एसिड निर्माताओं को जारी किये गए अनुदेश	Instructions issued to Sulphuric acid manufacturers regarding production Allocation and Disposal of sulphur and acid	116
1183	सोडा ऐश का निर्माण और वितरण	Manufacture and distribution of soda ash	118
1184	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, और मिजोरम में रेल लाइनों का प्रस्ताव	Proposal for Railway Lines in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura and Mizoram in 5th Five Year Plan . . .	119

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1185	मद्रास में सिगनलरों को मकान किराया भत्ता न दिये जाने के बारे में ज्ञापन	Memorandum regarding non-payment of HRA to Signallers at Madras	120
1186	तिनसुकिया-नामरुप सेक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई श्रमिकों का दर्जा दिया जाना।	Temporary status to Casual labourers engaged in Tinsukia-Namrup Section (Northeast Frontier Railway) .	120
1187	पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों को गन्धक के तेजाब की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate supply of Sulphuric Acid to Small Industries in West Bengal	120
1188	गैस की चोरी छिपे सप्लाई के कारण दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड को हानि	Loss to Durgapur Projects Limited due to clandestine supply of gas	121
1189	मध्य रेलवे में डिवीजनवार और वर्कशाप वार हड़ताल के कारण दण्ड पाने वाले विभिन्न दर्जों के कर्मचारी	Employees of different status suffered punishment due to strike on Central Railway, Divisionwise and Workshopwise	121
1190	भारतीय रेलवे में आई० ओ० डब्ल्यू० तथा बी० आर० आई० के अन्तर्गत इंजीनियरी विभाग में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees in Engineering Department under I.O.W. and B.R.I's on Indian Railways .	122
1191	रेलवे बोर्ड के आई० सी० एफ०, डी० एल० डब्ल्यू० और सी० एल० डब्ल्यू० प्रोडक्शन यूनिटों में बर्खास्त किये गए, हटाए गए और सेवा से निकाले गए कर्मचारी	Employees suffered dismissal/removal/ termination in production Units of Railway Board I.C.F., D.L.W. and C.L.W.	122
1192	मई, 1974 की हड़ताल के बाद की गई दंडात्मक कार्यवाही को वापिस लेने के लिये श्रमिक संघ की मांग	Trade Organisation's demand for withdrawal of punitive action taken after May, 1974 strike . .	123
1193	भारतीय रेलवे की विभिन्न सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of SC/ST in various service and posts in Indian Railways	124
1194	विभागीय पदोन्नति समितियों, सिलेक्शन बोर्डों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का नामांकन	Nomination of S.C./S.T. Officers on DPC and Selection Board . .	126

44 LSS/74—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1195	रेलवे के अन्तर्गत बनाई गई गृह निर्माण समितियों के कार्यकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना	Association of S.C./S.T. Representative Association with working of Housing Committees on Railways .	126
1196	विभिन्न रेलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों के बारे में विस्तृत जानकारी	Comprehensive information about posts reserved for S.C./S.T. in various Railways	127
1197	अशोधित तेल का आयात करने के लिये करार	Agreements for Import of Crude Oil ..	127
1198	निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने की मांग	Demand for Reforms in the Election System	128
1199	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों का सरकार के पास विचाराधीन पड़ा होना	Applications pending with Government for submission to MRTP Commission	128
1200	विक्टोरिया टर्मिनस, बम्बई रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की से जाली टिकटों की बिक्री	Sale of counterfeit Railway Tickets through Railway Booking Office at V.T. Bombay . . .	129
	स्थगन प्रस्ताव —	Motion for Adjournment	
	देश में अकाल की स्थिति	Famine Condition in the country	130
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	130
	श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	140
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	140
	श्री सी०एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	142
	श्री एच०एन० मुखर्जी	Shri H.N. Mukherjee	143
	श्री नवल किशोर सिंह	Shri Naval Kishore Sinha	144
	श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	145
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	146
	श्री एम०एस० शिवस्वामी	Shri M.S. Sivaswamy	146
	श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	148
	श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	148
	श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	149
	श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranbahadur Singh	150
	श्री बी०के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	150

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	श्री सुरेंद्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	151
	श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	152
	श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	153
	श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	154
	श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar	
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	130
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	132
	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha—Laid	
	दिल्ली विक्रय कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill . .	132
	प्रवर समिति में सस्दयों की नियुक्ति	Appointment of Members to Select Committee	132
	कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill .	133
	प्रवर समिति में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Select Committee	133
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 . . .	133
	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों की बहाली के बारे में फैसले की क्रियान्विति में विलम्ब	Delay in Implementation of the Award regarding reinstatement of Employees of Hindustan Antibiotics Ltd. .	133
	भारतीय तार (संशोधन) विधेयक-विचार करने का प्रस्ताव	Indian Telegraph (Amendment) Bill—Motion to consider—	
	श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	133
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	134
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	135
	श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	136
	सदस्यों की गिरफ्तारी (श्री जाम्बुवन्त धोते और श्री राम हेडाऊ)	Arrest of Members (Shri Jambuwant Dhote and Shri Ram Hadaoo)	
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	158
	49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Fortyninth Report presented	158

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 19 नवम्बर, 1974/28 कार्तिक, 1896 (शक)
Tuesday, November 19, 1974/Kartika 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अधिकारियों और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाना

*101. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में अधिकारियों तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के किन्हीं पदों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा सिगनल एंड टेलिकम्यूनिकेशन, आपरेटिंग, इंजीनियरिंग और मैकेनीकल डिपार्टमेंट में जोनवार दर्जा बढ़ाए गए पदों की संख्या कितनी कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित पुनर्वर्गीकरण योजना के भाग के रूप में चालू वर्ष में अधिकारियों के कुछ पदों का ग्रेड बढ़ा दिया गया है। जिन पदों का ग्रेड बढ़ाया गया है उनकी कुल संख्या और विभाग-वार तथा रेलवेवार उनकी अलग-अलग संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिखायी गयी है। श्रेणी III के संवर्गों पदों के ग्रेड-वार वितरण पर इस समय विचार किया जा रहा है। किन्तु विभिन्न रेलों पर गाड़ी परीक्षकों के जितने पदों का ग्रेड जनवरी, 1974 में बढ़ाया गया था उनकी संख्या पूर्वोक्त विवरण में दिखायी गयी है।

विवरण

1974 में सभी विभागों के अन्दर अधिकारियों के जिन पदों का पदक्रम बढ़ाया गया उनकी कुल संख्या

मध्यवर्ती प्रशासी/कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम से वरिष्ठ प्रशासी पदक्रम में	52	पद
वरिष्ठ वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम में	131	पद
कनिष्ठ वेतनमान/श्रेणी II से वरिष्ठ वेतनमान में	95	पद
	278	पद

अलग-अलग रेलों और अलग-अलग विभागों में अधिकारियों के जिन पदों का पदक्रम बढ़ाया गया उनकी संख्या

रेलवे	सिगनल एवं दूर संचार			परिचालन एवं वाणिज्यिक			इंजीनियरी			यांत्रिक		
	वरिष्ठ प्रशासी	कनिष्ठ प्रशासी	वरिष्ठ वेतनमान	व०प्र०	क०प्र०	व०वे०	व०प्र०	क०प्र०	व०वे०	व०प्र०	क०प्र०	व०वे०
मध्य	1	2	1	2	2	2	—	4	3	—	—	1
पूर्व	—	2	—	2	2	2	—	2	3	—	—	—
उत्तर	—	1	1	2	2	3	—	5	3	—	—	3
पूर्वोत्तर	—	1	—	—	5	—	1	1	1	—	—	1
पूर्वोत्तर सीमा	—	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—
दक्षिण	—	1	—	2	—	2	—	3	2	—	—	1
दक्षिण मध्य	—	1	—	1	1	2	1	3	2	—	—	1
दक्षिण पूर्व	1	1	1	2	—	2	—	4	3	—	—	—
पश्चिम	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	—	2
जोड़	2	10	4	13	16	15	2	24	20	—	—	9

रेलवेवार जितने गाड़ी परीक्षकों का पदक्रम बढ़ाया गया उन की संख्या

यांत्रिक विभाग

रेलवे	205-280 रुपये (प्रा०वे०) वेतनमान से 250-380 रु० (प्रा०वे०) वेतनमान में	250-380 रुपये (प्रा०वे०) वेतनमान से 335-425 रुपये (प्रा०वे०) वेतनमान में
मध्य	146	26
पूर्व	175	50
उत्तर	122	28
पूर्वोत्तर	37	3
पूर्वोत्तर सीमा	57	14
दक्षिण	87	17
दक्षिण मध्य	62	7
दक्षिण पूर्व	109	28
पश्चिम	105	27
जोड़	900	200

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has told us that gradewise upgradation of posts of Class III and class IV staff would be considered. I would like to know the time by which it would be done; the number of employees likely to be promoted as a result thereof as also the number of Scheduled Castes and Scheduled employees in the list furnisbed by him.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Class III and class IV employees are in a large number and the review of their cases will take some time. There are six lakh Class III employees and 8 lakh Class IV employees. There are 4 lakhs artisans amongst them and they work in workshops. The case of artisans will be taken up separately. There are about 700 categories. The proposals prepared by Ministry of Railways will be sent to the Ministry of Finance and final decision on this issue will be taken by the cabinet. The whole procedure will take some time. But efforts will be made to complete the classification of class III and class IV employees. As regards the representation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes I have got no figures at this time but 7 per cent and 15 per cent representation will be ensured.

Shri Hukam Chand Kachwai: There is a large number of casual labours included in the number of 6 lakhs and 4 lakhs as mentioned above and they have got no promotion during 10 to 15 years of their service. May I know whether there is a scheme to declare them permanent and whether the employees so made permanent will be ensured due promotion?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has already been told that casual labour is not in the permanent category. About 75 thousand casual labourers have been absorbed in permanent class IV service and they will go on getting promotions in due course.

Shri Chandrika Prasad : May I know the amount involved in their upgradation; the policy in regard to the promotion; and the time by which the review in respect of class III employees will be completed?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The financial implication of upgradation of class II and class I posts is around Rs. 52 lakhs. It is being a worked out.

Shri Chandrika Prasad : I want to know the time by which the upgradation will be completed?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I just told that proposals will be finalised by the end of this month and thereafter they will be sent to the Ministry of Finance and the Cabinet for their approval.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : एक ओर तो तीन लाख से भी अधिक नैमित्तिक श्रमिकों को यह कहकर नियमित नहीं किया जा रहा कि धन का अभाव है। दूसरी ओर अधिकारियों के पदों का बड़े पैमाने पर दर्जा बढ़ाया जा रहा है और उन पर अतिरिक्त खर्च किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग, रेल दुर्घटना जांच समिति 1968, रेल अभिसमय समिति ने सिफारिशें की थीं और यह टिप्पणी की थी कि रेलवे में अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर पर्याप्त नहीं हैं। रेल-सेवा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिये। 8000 अधिकारियों में से केवल 800 अर्थात् 10 प्रतिशत अधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है और उस पर 52 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं होगा।

श्री बी० के० दासचौधरी: माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि जिन 10 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है या जिन पर अधिकारी पदोन्नत किये जाने हैं उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किये जायेंगे ? सरकार की यह घोषित नीति है कि पदोन्नति के मामले में भी पदों का सुरक्षण होना चाहिये। सभी रेलवे जोनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति हेतु कितने पद सुरक्षित किये जायेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: पदक्रम बढ़ाते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत पद सुरक्षित रखे जायेंगे। किसी संवर्ग विशेष में काम कर रहे इनके अधिकारियों की संख्या पर भी यह निर्भर करेगा।

Shri Nathuram Ahirwar : The hon. Minister has stated that the rule of reservation is not followed while giving promotion to class II and class III employees. Complaints have also been made in this regard. I would like to know whether an inquiry will be instituted to find out the reasons for not giving promotion to Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees on reserved quota basis during last three years? Whether on all the posts meant for them in reserved quota employees belonging to these castes and Tribes will be appointed before giving promotions to other employees?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is true that in Class I and Class II posts full quota could not be given to them so far. It is being looked into as to why it had not been found possible.

Shri Hukam Chand Kachwai : The inquiry in this regard has been going on for the last many years. Assurance was also given to fill the quota but it was not done.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have already said that the upgradation in class III and class IV will be done in accordance with the reserved quota for the Scheduled castes and the Scheduled Tribes.

Shri Ramavtar Shastri : May I know the time taken in upgrading the posts of class I and class II officers; and whether it is a fact that it was published in the press on 8th November that the work of upgradation in the matter of class III and class IV employees would be completed with in a period of two months?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have already told that this matter was raised in 1968 also the matter was considered by the study team of the Administrative Reforms Commission and the Railway Accidents Committee though not directly connected with this matter, also considered this matter. Even though, they recommended that the chances of promotion in Railways should be increased in order to increase efficiency. It was also observed that officer staff ratio should also be given due consideration. In railways it is 1:185 while in Posts and Telegraph Department it is only 1:143. So they recommended up-gradation in Railways in order to increase efficiency. This matter was not settled in two month's period.

Shri Ramavtar Shastri : I asked whether the work of gradation in regard to class III and class IV employees will be completed whithin two months.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Proposals concerning these employees will be completed within one month i.e. by the end of this month from our side. Then they will be forwarded to the Finance Ministry and the Cabinet for their approval.

दक्षिण रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना/सेवा समाप्त किया जाना

*102. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल के कारण दक्षिण रेलवे में कितने स्थायी, अस्थायी मासिक वेतन वाले तथा दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए गए, हटाये गए अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त की गयीं;

(ख) इस बीच प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी काम पर वापिस ले लिये गये हैं; और

(ग) शेष कर्मचारियों की बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अपीलों को हर मामलों के महत्व को देखते हुए समीक्षा की जा रही है। यह प्रक्रिया जारी है और रेल प्रशासन यथाशक्य शीघ्रता से मामलों की समीक्षा करने के काम को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निपटा रहे हैं। नैमित्तिक श्रमिकों को दुबारा काम पर लगाना भी काम की जरूरतों और संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

विवरण

1. स्थायी कर्मचारी	
बर्खास्त/नौकरी से हटाये गये	476
वापस काम पर लिये गये	238
2. अस्थायी कर्मचारी	
जिनकी सेवा समाप्त की गयी थी . . .	54
पुर्नानियुक्त	—

3. नैमित्तिक श्रमिक या वेतन को मासिक दरों पर एवजी

नौकरी से निकाले गये	लगभग 3000
फिर से नौकरी में रखे गये	लगभग 1740

4. दैनिक दरों पर नैमित्तिक श्रमिक

नौकरी से निकाले गये	लगभग 1000
फिर से नौकरी में रखे गये	—

श्रीमती पार्वती कृष्णन : विवरण में दिये गये आंकड़ों के अनुसार 476 स्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया अथवा सेवा से हटाया गया। उनमें से 238 को काम पर वापस ले लिया गया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि उनमें से कितने कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है? मुअत्तिल किये गये कितने श्रमिक काम पर लिये गये हैं और कितने मामलों में सेवा-व्यवधान, अपील किये जाने पर समाप्त कर दिया गया है? कितने मामले न्यायालयों में अभी तक चल रहे हैं, हालांकि मंत्री महोदय ने सब मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया था?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह दक्षिण रेलवे के बारे में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, यदि आप अनुमति दें तो तारांकित प्रश्न संख्या 115 भी साथ हो ले लिया जाये; क्योंकि वह भी इस प्रश्न से मिलता जुलता है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमान्, यह इच्छा व्यक्त की गई है कि प्रश्न संख्या 115 का उत्तर भी साथ ही दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जिनके नाम में यह प्रश्न है, इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। किन्तु यदि आप उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लगभग 11,240 स्थायी कर्मचारी बर्खास्त किये गये और सेवा से हटाये गये थे। लगभग 950 कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये थे। 11240 कर्मचारियों में से, व्यक्तिगत रूप से अपील किय जाने पर लगभग 7850 कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये हैं। अपीलों के आधार पर मामलों की समीक्षा की जा रही है। जिन्हें हड़ताल में भाग लेने से पूर्व ही बर्खास्त कर दिया गया और सेवा से हटा दिया गया था किन्तु जो पुनः सेवा में ले लिये गय हैं, उनकी सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा। किन्तु जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और जिन्हें काम पर वापस लिया गया है उनकी सेवा में नियम के अनुसार व्यवधान माना जायेगा।

दक्षिण रेलवे में श्रेणी III और श्रेणी IV के कुल 130,816 कर्मचारियों में से केवल 476 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और सेवा से निकाला गया था। इनमें से कुछ ने तो अपील भेजी ही नहीं है। जिन्होंने अपील की है उनमें से 238 को काम पर ले लिया गया है। कर्मचारी को बर्खास्त करने वाले प्राधिकारी से बड़े प्राधिकारी के पास अपील करने का हक है। यदि वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह दूबारा और तीसरी बार अपील कर सकता है और फिर वह सदस्य (कर्मचारीवृन्द), रेलवे बोर्ड को अपील कर सकता है। इससे भी यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह रेल मंत्री से अपील कर सकता है। जो अपील विचाराधीन ही नहीं है, उनके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि कितनी नामंजूर कर दी गई हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुकदमे वापस लिये जाने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जिन कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ डराने, धमकाने और आपराधिक मामलों के आरोप हैं उनके मामले वापस नहीं लिये जायेंगे। अस्थायी कर्मचारियों में से 5502 की सेवाएं समाप्त की गई थी जिनमें से 3842 को वापस ले लिया गया है।

कुल 1706 अपीलें विचाराधीन हैं। दक्षिण रेलवे में 105 अपीलें रद्द की गई हैं। और 120 अपीले विचाराधीन हैं जिनका निपटार 6 सप्ताह में हो जायेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: श्रीमन, माननीय मंत्री ने 9 सितम्बर को हमें यह आश्वासन दिया था कि सभी मामले 6 सप्ताह की अवधि में तय कर लिये जायेंगे और प्रभावित कर्मचारियों को वापस काम पर ले लिया जायेगा। केवल कुछ को ही बाहर छोड़ा जायेगा। क्या यह सच है कि बहुत से अधिकारी उनके आश्वासन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। श्रमिकों से कहते हैं कि उन्होंने मंत्री महोदय से समय सीमा तय क्यों कराई। इसका मतलब है कि अधिकारीगण अपीलों को रद्द करेंगे। क्या मंत्री महोदय सभा में यह नीति घोषित करेंगे कि सभी श्रमिकों को बिना अपवाद के काम पर वापस लिया जायेगा और सभी मुकदमों को अविलम्ब वापस ले लिया जायेगा।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: सरकार की नीति स्पष्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार किया जायेगा। (**अन्तर्बाधाएं**) कुछ समस्याएं तो कर्मचारियों की वकालत करने वालों के कारण पैदा हो गई हैं। जो मुकदमें न्यायालय में हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वे कानूनन तय किये जायेंगे। जो अपीलें विभागीय अधिकारियों के पास विचाराधीन है उनके बारे में यह निदेश किया गया है कि उन्हें 6 सप्ताह के अन्दर निपटाया जाये।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister is prepared to review the cases of and stop proceeding against those employees, in several areas like N.E.R., who did not participate in the strike but were proceeded against because they remain absent a day or two before the strike for some reasons; and in respect of when I had personally drawn attention of the General Manager and the down. Minister for undue harassment being caused to those employees?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Such cases is represented would certainly be considered.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं पहले ही जनरल मैनेजर तथा मंत्री महोदय को लिख चुका हूं परन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैं इस बारे में विशिष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं।

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There have been certain cases where the employees did not participate in the strike but unluckily or out of fear they could not attend to their duties, In case the hon, Member has written about a particular case......

Shri Narsingh Narain Pandey : Not about a particular case but I have said in general.

Sri Mohd. Shafi Qureshi : That would be fully examined and innocent employees would not be punished.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या तोड़ फोड़ तथा हिंसा के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य सभी के समान कार्यवाही की जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने कहा है कि तोड़-फोड़ तथा हिंसा की गतिविधियों में भाग लेने वाले और हड़ताल में भाग लेने वालों के बीच भेद रखा जायेगा। परन्तु जहां तक तोड़-फोड़ तथा हिंसा और डराने धमकाने की गतिविधियों में भाग लेने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the hon. Minister a ware that there are certain employees against whom there are no cases either in the courts or in the Department but still in they have not been reinstated? Would the hon. Minister issue any general order to the effect that those employees against whom there are no cases should be reinstated forthwith?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : About 19,000 people were arrested in this connection. All of them have been released. Now bearing only the dismissed ones, all the rest have been reinstated.

Shri Atal Bihari Vajpayee : They have not been taken. I am ready to give you the details of the railways and also the names of the employees concerned.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If there are certain cases in which there are no charges or the employees have not been dismissed and still those persons have not been taken back, but the hon. Member cite those cases and we would take actions forthwith.

An hon, Member : I have myself written about that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the necessity of our writing to him? Other numbers who have already written have not got any reply. When we put questions we are asked to give details. Can't the hon. Minister on his own issue such orders ?

Mr, Speaker: You had, on your own, offered to give details.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We say that we know that there are such eases and other hon. Members say that they already written about those eases. Therefore there ean be a general order that the employees against whom there are no cases should be taken back forthwith.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Directions have been issued by the Railways and it has been clarified therein that all the employees against whom there are no charges of criminal offences, or any departmental action of removal or dismissal should be taken back. In case, certain employees have not still been taken back. We would examine there cases and take them back.

Shri Madhu Limaye : A delegation of M.Ps had met the hon. Railway Minister Shri L. N. Mishra in June last and the report of the talks held were submitted to him. He did not make any amendment therein. During these talks he had very clearly assured that eaeh and every person against whom there were no case of sabotage or violence would be taken baek on work. I want to know as to how many of the left out persons are eharged with sabotage and violence and what in the difficulty in taking the remaining emplyees back on work?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I do not know what had transpired between them and the hon. Minister ....(*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister with whom we had talks is sitting here in the houses now. Let him answer this questions himself.

Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : That's time. Madhu Limaye ji alongwith his one or two friends had met me. Also he had written a letter to me with reference to those talks but that letter included a few things also whieh had not aetually transpired in the talks. .... (*Interruptions*). It was not what was quoted in the letter and therefore I did not reply to that.

As regards my assurance, my eolleague Shri Qureshi has clearly stated that all the pending cases were decided upon within 6 weeks of the appeals filed. In many cases supporting evidences as well as required material were not given; and that caused delay...

Shri Madhu Limaye : Hon. many eases are pending and how many of those involve violence and sabotage? I had not asked about the appeals.

मेरा सीधा प्रश्न यह है इनमें से कितने कर्मचारीयों पर हिंसा तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही का आरोप है तथा बाकी लोगों को रिहा क्यों नहीं किया गया?

Mr. Speaker, Sir. time is being wasted in such things and the questions put are not ensured.

Shri Mohd, Shafi Qureshi : I don,t have the figurers at the movement regarding employees who were involved in violeneo and sabotage.

Shri Madhn Limaye : It is very strange. Six months have elapsed since the strike. Also, he has assured; but still he says that he is not having figures ....

श्री एस० एम० बनर्जी : सभी आरोप झूठे तथा बेबुनियाद है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । श्री लकप्पा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय कहते हैं कि छः महीने बाद भी उनके पास में आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों पर हिंसा तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों का आरोप है। क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट है।

Shri Madhu Limaye : How would that go on? You should give your observation.

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था का तो यहां कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप को सदस्यों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री लकप्पा को पुकारा है। ऐसे प्रश्न प्रायः ही उठाये जाते हैं। सामान्यतः हमें आगे बढ़ना चाहिए।

You are asking the speaker to give his observation. It never happens. You can put questions.

अन्य सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं

But we cannot dispose of more than two or three questions every day.

प्रो० मधु दण्डवते : आप प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को संरक्षण प्रदान करें।

Mr. Speaker : That is why I say that we are not able to dispose of more than two or three questions.

श्री एस० एम० बनर्जी : ये सभी आरोप झूठे तथा बेबुनियाद हैं। हिंसा तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों का तो प्रश्न ही नहीं है। यह तो रेलवे बोर्ड द्वारा गढ़ी गई कहानी मात्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : हड़ताल के छः महीने बाद भी मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उनके पास हिंसा तथा तोड़-फोड़ के लिये दोषी व्यक्तियों की संख्या नहीं है आप मंत्री महोदय से उत्तर दिलवाइये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान की व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। मैंने आपको उत्तर दिया परन्तु आप इस तरह बढ़ते तो मत जाइए।

श्री पीलू मोदी : वह आप से संरक्षण मांग रहे हैं और आप देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर दे देते हैं और माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। वह कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के० लकप्पा : दक्षिण रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की बारखास्तगी अथवा सेवा से हटाये जाने के बारे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों के साथ दूसरे आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में मंत्री महोदय को अभ्यावेदन पेश किये गये थे और मैं श्री कुरेशी को बधाई देना चाहता हूं। मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं। कुछ ऐसे कर्मचारी भी थे जो डराने धमकाने पर या हिंसा की गतिविधियों में शामिल नहीं थे उन कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है और उन्हें वापस काम पर नहीं लिया गया है। वे कर्मचारी मंत्री महोदय के पास अभ्यावेदन भेजते रहे हैं। उन्हें वापस काम पर लेने में विलम्ब क्यों हुआ है? मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : दक्षिण रेलवे को तो मैं शाबाशी देना चाहूंगा। उन्होंने हड़ताल के दौरान बहुत ही अच्छा आचरण रखा है। वहां हड़ताल का सब से कम प्रभाव था और कर्मचारियों ने अपना उत्साह दिखाया था। यदि वहां के कुछ कर्मचारी बच गये हैं और उन के बारे में निर्णय नहीं किया गया है, तो मैं प्रत्येक मामले की जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सारा विवाद तो यह है कि आश्वासन दिया गया था अथवा नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने केवल दक्षिण रेलवे को ही नहीं बल्कि सभी रेलवे जोनों को आश्वासन दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय जब हम आपसे संरक्षण चाहें तो आप हमें संरक्षण प्रदान किया करें और हमें अपनी बात कहने दें। हड़ताल के छः महीने बाद भी सरकार उसी तर्क की आड़ ले रही है। उन्होंने तो यह संख्या 5,000 से कुछ अधिक बताई है परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार 7,018 कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले चल रहे हैं। वह इन्हें हिंसा तथा तोड़-फोड़ के मामले बताते हैं। जब मंत्री महोदय यहां प्रश्नों का उत्तर देने आते हैं तो उन्हें अपने साथ अपेक्षित जानकारी लेकर आना चाहिए। अथवा फिर प्रश्नकाल की जरूरत ही क्या है?

श्री लिमये ने विशिष्ट प्रश्न पूछा था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वस्तुतः कितने व्यक्तियों पर हिंसा, तोड़-फोड़ तथा सम्पत्ति को नष्ट करने के मामले चल रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है। क्या यह मजाक की बात है? वह यहां बैठे हैं, मुस्करा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। यदि श्री मिश्र उसी प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे, तो उनके चेहरे से यह मुस्कराहट दूर कर दी जायेगी (**व्यवधान**)। मैं यह बात पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूं। यदि आप यहां प्रश्नों का उत्तर देने आते हैं तो आप को सभा का सम्मान करना चाहिए तथा प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। हड़ताल के छः महीने बाद भी उन्हें मालूम नहीं कितने कितने कर्मचारियों पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों के आरोप हैं। क्या यह सभा का निरादर नहीं है?

श्री एल० एन० मिश्र: मैं सभा के प्रति सर्वोच्च आदर का भाव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब बताइए कि ऐसी स्थिति में अध्यक्ष क्या करे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वह उन्हें उत्तर देने के लिए कह।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष तो प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। उसने पूरक प्रश्नों की अनुमति भी दी है। यदि किसी आश्वासन को तोड़ा गया है तो उस मामले को आश्वासन समिति को भेजा जा सकता है। आप बतायें मेरे अधिकार क्या हैं। यदि कोई मंत्री उत्तर नहीं देता तो आप मुझे बतायें कि मेरे पास क्या शक्तियां हैं?

प्रो० मधु दण्डवते: आप उनके विरुद्ध टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री पीलू मोदी: आप वही कर सकते थे जो कि अभी-अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया है।

श्री एल० एन० मिश्र: श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा यह कहा जाना उचित नहीं है कि मैं सभा के प्रति आदर नहीं रखता। मैं तो सभा के प्रति सर्वोच्च आदर की भावना रखता हूं। मैंने कभी सभा की उपेक्षा करने का प्रयास नहीं किया है। मेरे सहयोगी ने सभी उपलब्ध जानकारी दे दी है। परन्तु ये आंकड़े कि कितने व्यक्तियों पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ के मामले हैं, वह संख्या इस समय हमारे पास नहीं है। अगले सप्ताह या फिर आज ही दोपहर बाद यदि आप चाहें तो हम वे आंकड़ आपको दे देंगे, यदि आंकड़े उपलब्ध नहीं हों तो मैं समय तो आपसे मांग ही सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैंने तो केवल कुछ टिप्पणी ही की थी, अब प्रश्न पूछता हूं। क्या यह सच है अथवा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों ने निर्णयाधीन मामलों को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु अब भी हमारे लोग उनके पास अभ्यावेदन लेकर गये तो उन्होंने कहा कि हम तो मामले वापस लेने को तैयार हैं परन्तु रेलवे अधिकारी बाधा बने हुए हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो; यदि हां, तो रेल मंत्रालय ने इस संबंध में रेलवे अधिकारियों को क्या अनुदेश दे रखे हैं?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम न्यायालयों के विचाराधीन मामलों को वापस नहीं लेंगे। कानून अपनी कार्यवाही करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें तोड़-फोड़ की तथा हिंसात्मक गतिविधियों की बात ही नहीं है। उनका क्या होगा?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : 16,700 अपीलों में से 12,000 मामलों में तो निर्णय हो चुका है और उन्हें काम पर वापस लिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। पिछले आधे घण्टे से हम इसी एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : केवल 4700 अपीलों पर निर्णय बाकी है। 2500 लोगों ने तो अपील ही नहीं की है। जब तक वे अपील नहीं करते कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का आरोप था, परन्तु जांच के बाद उन्हें इन चीजों में अन्तर्गस्त नहीं पाया गया तथा उनके विरुद्ध आरोप वापस ले लिये गये। इस प्रकार यह नहीं समझना चाहिये कि हम मामलों की जांच नहीं कर रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि 16,700 अपीलों में से हम 12,000 पर निर्णय कर चुके हैं। केवल 4700 रहते हैं और उन पर भी निर्णय हो ही जायेगा।

श्री नुरूल हुडा : क्या मैं जान सकता हूं कि (क) मई की हड़ताल में भाग लेने के सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध हुये कितने मामले न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं; (ख) क्या सरकार उन मामलों को वापस लेने को तैयार है जो हिंसा से संबंधित नहीं हैं; और (ग) क्या आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन तथा एन० सी० सी० आर० एस० ने सरकार के साथ बरखास्तगी करनी तथा कर्मचारियों को दिये गये अन्य दण्डों के बारे में बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एल० एन० मिश्र : हम एन० सी० सी० आर० एस० से तो बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। हम शेष दो मान्यताप्राप्त संगठनों से बातचीत करने को तैयार हैं। हड़ताली कर्मचारियों से तो बातचीत करने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। कुछ सप्ताह अथवा एक महीने के समय में अधिकतर मामलों पर निर्णय हो जायेगा। माननीय सदस्य गण यह अनुभव करगे कि सेवा में अवरोध के 5 लाख मामलों में से 3½ लाख के बारे में तो निर्णय किया जा चुका है। व्यक्ति अपीलों पर भी विचार किया गया है। इस में स्वभावतः ही समय लगता है। इसीलिये इसमें छः माह का समय लग गया है। सभी मामलों को इतने थोड़े समय में निपटाना संभव नहीं हो सकता।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जानना चाहूंगा कि हिंसा से असम्बद्ध कर्मचारियों के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति के सम्बन्ध में हुई प्रगति का अवलोकन मंत्री स्तर पर कब हुआ था और अब आगे कब होगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे बोर्ड स्तर पर या मंत्री स्तर पर की गई कार्यवाही का अवलोकन हर सप्ताह होता है।

श्री समर मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि रेलवे हड़ताल समाप्त होने के बाद क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, समय से पूर्व सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, अवनति, क्वार्टरों से निकालने आदि की शोषण की नई कार्यवाहियां आरम्भ हो गई हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : किसी का दमन नहीं किया गया है। कर्मचारियों के विरुद्ध सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मंत्री महोदय ने कहा है कि मामले बोर्ड द्वारा समीक्षा के उपरान्त निपटान हेतु मंत्री के पास आते हैं। मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मामलों को निपटाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि कर्मचारियों को यह जानकर थोड़ी राहत मिले कि उन्हें पुनः काम पर वापिस ले लिया जायेगा?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पहले तो निर्धारित समय में अपील दायर करनी होती है, फिर बोर्ड के स्तर पर उसकी समीक्षा होती है । इसके बाद मामला मंत्री महोदय को सौंपा जाता है। उसके लिये समय निर्धारित है और जैसाकि हमने बताया निर्णय 6 सप्ताह के भीतर लिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय श्री विभूति मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि अब प्रश्न काल के दौरान पहले की अपेक्षा कम प्रश्नों पर चर्चा होती है । मैंने इसकी जांच की है । पुरानी प्रक्रिया को देखा है। पहले हम 40 प्रश्न लिया करते थे । जब हमने कोई प्रगति नहीं की तो हमने इनकी संख्या घटा कर 20 कर दी। हम अभी भी कोई प्रगति नहीं कर रहे । मैंने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है । पहले जो सदस्य प्रश्न पूछता था उसके अतिरिक्त एक आध सदस्य ही उस विषय पर प्रश्न करता था। अब एक बार प्रश्न आप लोगों के हाथ आ जाए तो आप उसे छोड़ते ही नहीं । मैं पिछले 40 मिनट से अगले प्रश्न को लेने के लिए इन्त-जार कर रहा हूं और अब चाहें आप एक प्रश्न पर पूरा घंटा ले लीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं हर सदस्य से बहस नहीं कर सकता और न ही हर सदस्य उनके तर्कों को सुन सकता हूं। आप की मर्जी है, आप जो चाहें कीजिए। मुझे क्या आपत्ति है, आप पूरे प्रश्न काल के दौरान एक ही प्रश्न लीजिए या अधिक प्रश्नों पर चर्चा कीजिए, पर बाद में मुझ से शिकायत न कीजिएगा कि अधिक प्रश्नों को नहीं लिया गया।

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ अपवाद भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया इस पर अल्पावधि चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : अब तो पूरा घंटा इस पर चर्चा हो गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कल अर्थात् 20 नवम्बर को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, श्री डांगे के नेतृत्व में रेलवे मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों की क्रियान्वित में विलम्ब के विरोध में धरना दे रही है। इसमें संसद सदस्य भी होंगे। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री मधु लिमये और सदन को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जाए और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उन्हें सताया नहीं जाय ? मैं चाहता हूं कि इस 6 सप्ताह वाले आश्वासन को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए । इस संबंध में हमें वरिष्ठ मंत्री से उत्तर चाहिए।

रेलवे मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सबसे पहले मैं श्री डांगे और अन्य नेताओं से अनुरोध करूंगा कि धरना देने की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे तक पहुंचना कोई कठिन नही है । मैं श्री डांगे और अन्य नेताओं अथवा नेशनल फैडरेशन के नेताओं से बातचीत करने के लिए हमशा तैयार हूं। हम एक बैठक बुला लेते हैं और, यदि कुछ मामले हैं जैसाकि आपने उल्लेख किया है,

तो हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। संभवत: ऐसे कोई मामले नहीं हैं। किन्तु कल मैं यहां नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे हैदराबाद में गोदावरी पुल के उद्घाटन के संबंध में वहां जाना है।

श्री एस० एम० बनर्जी : ग्रापके ग्राश्वासनों का क्या हुग्रा ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. speaker, Sir, I want to know the basis on which these charges have been levelled against those employees who have indulged in sabotage and violent activities? Is it not a fact that in many divisions the Officers have levelled these charges out of individual grudge? I also want to know the total number whom of those employees against whom charges were levelled and were acquitted by the Court, but have not yet been reinstated?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Charges have not been levelled by any agency. The charges have been levelled by those who have been adversely affected who have been beaten up, dragged and got alighted from trains. At the moment I have not got the details of the cases but I do not think there is any such person who has been acquitted by the court and has not yet been reinstated.

Shri Hukam Chand Kachwai : I can mention thousands of such cases.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have stated, to my knowledge there is not even a single person who has been acquitted by the court and has not yet been reinstated. The Government do not intend to withdraw the cases of those employees against whom the charges of indulging in sabotage and violent activities have been levelled.

पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा डीजल के शोधक कारखाना—बाह्य मूल्यों में वृद्धि का निर्णय

***104. श्री डी० के० पंडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल, मिट्टी, के तेल हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ग्रायल तथा मिट्टी के तेल के शोध कारखाना बाह्य मूल्यों में 5 पैसे प्रति लीटर वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस से स्कूटरों. बसों तथा टैक्सियों के किरायों पर ग्रौर प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) 18-9-74 से इन उत्पादों के ग्रधिकतम मूल विक्रय मूल्य 5 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाये गये थे ।

(ख) ग्रायातित कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप 2-3-1974 से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में ग्राम वृद्धि करते समय उत्तम कोटि के मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डिजिल ग्रायल तथा एल० पी० गैस (घरेलू इंधन गैस) के मूल्य न्यूनतम स्तर पर रखे गए थे जिसके परिणामस्वरूप तेल कंपनियों को प्रति माह लगभग 12.3 करोड़ रुपये की ग्रल्प प्रति-प्राप्ति हुई । 18-9-1974 से की गई उपरोक्त वृद्धियां इस ग्रल्प प्रति-प्राप्ति को तेल कंपनियों की ग्रांशिक रूप में क्षतिपूर्ति करने के ग्रभिप्राय से की गई थी ।

(ग) 18-9-1974 से की गई मूल्य वृद्धि का प्रभाव बहुत कम होगा । तथापि समस्त संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैक्सी/स्कूटर/बस के भाडों को निर्धारित एवं संशोधित करने का ग्रधिकार है । राज्य सरकारों तथा तेल कंपनियों से की गई पूछ-ताछ से यह जानकारी मिली है कि हाल ही में हुई पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण टैक्सियों, स्कूटर्स ग्रौर बसों ग्रादि के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री डी० के० पंडा : यह बात स्वीकार की गई है कि मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसके लिए जो कारण बताए गए हैं वह निराधार हैं।

उन्होंने कहा है कि मूल्यों में वृद्धि अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है। मिट्टी के तेल और खाना पकाने के लिए प्रयोग में आने वाली गैस तथा निर्धन व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी का तेल सोवियत संघ से आयात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तु है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। इतिहास मत बताईये।

श्री डी० के० पंडा: साथ ही कुछ मात्रा हमें ईरान से आयात करनी पड़ती है। सोवियत संघ से आयात की जाने वाली तेल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस के मूल्यों में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा स्पष्ट प्रश्न पूछिए अन्यथा मैं प्रश्न काल की समाप्ति की घोषणा करता हूं।

श्री डी० के० पंडा : क्योंकि यह एक उपोत्पाद है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस उपोत्पाद के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप कुकिंग गैस इत्यादि के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्री के० डी० मालवीय : मैंने उत्तर में बताया है कि अक्तूबर 1973 से अशोधित तेल के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है और कच्चे तेल के ऊंचे मूल्यों को देखते हुए हमारे पास केवल एक ही विकल्प था और वह था पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाकर थोड़ी उनसे अधिक वसूली करें ताकि हम क्षति को कुछ सीमा तक पूरा कर सकें। अन्यथा हमारे लिए बढ़ते हुए आयातित कच्चे तेल के मूल्य को चुकाने के लिए कोई और साधन नहीं था। अतः हमने मिट्टी के तेल मोटर स्पिरिट, एल० डी० ओ० एफ० ओ०, एच० एस० डी० और कुकिंग गैस के मूल्यों में बहुत थोड़ी सी वृद्धि अर्थात 5-6 पैसे की ही वृद्धि की है। यह कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है। इसके द्वारा हमें पूरे वर्ष में 84 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

श्री डी० के० पंडा : इण्यिन आयल कम्पनी के तेल का मूल्य नहीं बढ़ता है अतः मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

श्री के० डी० मालवीय : एल० पी० जी० के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। बाद में इसके मूल्यों में कमी कर दी जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिलासपुर डिवीजन के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन

***103. श्री बीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर डिवीजन के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों से उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) रेलवे पुलिस द्वारा टिकट जांच कर्मचारियों को तंग करना;

(ii) गाड़ी टिकट परीक्षक आराम घरों की अपर्याप्त और असन्तोषजनक स्थितियां;

(iii) मुख्यालय पर गाड़ी टिकट परीक्षकों को अपर्याप्त आराम ; और

(iv) ज्ञापन में उठाई गई बातों की जांच की जा रही है।

तेल संबंधी ईंधन नीति समित की सिफारिश

***105. श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति में यह सुझाव दिया है कि तेल का बफर स्टाक आपात काल के लिये रखा जाना चाहिये :

(ख) यदि हां तो समिति ने तेल नीति के बारे में अन्य क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार ने उनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) ईंधन नीति समिति ने सिफारिश की है कि भारत की तेल सम्बन्धी नीति अन्तर्राष्ट्रीय तेल परिस्थिति के ज्ञान पर निर्भर होनी चाहिये। यह (i) आयात किये जाने वाले तेल उत्पादों की मात्रा में रखी करने (ii) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुल व्यय में कमी करने; और (iii) देश से बाहर के स्रोतों से अपेक्षित करने तेल तथा तेल के उत्पादों की सप्लाई की सुरक्षा में सुधार किये जाने के विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप बनाई जानी चाहिये।

(ग) और (घ) ईंधन नीति समिति की रिपोट पर विचार किया जा रहा है।

कम मूल्य वाले जनता साबुन का उत्पादन

***106. श्री बीरेन एंगती :**

श्री बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी किस्म के साबुनों पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया है;

(ख) क्या निर्माता निम्न आय वर्ग के लिये 'जनता सोप' नामक मानकीकृत साबुन एक रुपया प्रति टिकिया की दर से बाजार में बेचने के लिये सहमत हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने आश्वासन कब दिया था और साबुन बाजार में कब आएगा ?

पैंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 100 ग्राम की एक टिकिया का स्वीकृत मूल्य 1.00 रुपये से 1.05 रुपया तक है।

(ग) आश्वासन 19 सितम्बर, 1974 को दिया गया था; एक उत्पादनकर्ता ने दिल्ली, लखनऊ एण्ड चंडीगढ़ क्षेत्र में अक्तूबर के अन्तिम सप्लाई के नहाने के जनता साबुन को प्रसारित किया तथा दूसरे उत्पादनकर्ता ने नवम्बर के प्रमुख सप्ताह में बम्बई क्षेत्र में नहाने के जनता साबुन को प्रसारित किया।

औषधियों की कमी

*107. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये कार्यवाही करने का वचन दिये जाने के पश्चात् भी देश भर में अनेक औषधियों की कमी निरन्तर बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कमी का कारण औषधियों की बड़ी मात्रा में जमा कर लिया जाना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी नहीं। औषधों की आम अथवा बहुत कमी नहीं है। इस देश में लगभग 2,300 औषध एवं भेषज एकक हैं तथा इन एककों द्वारा उत्पादित सूत्रयोगों की संख्या हजारों में है कुछ स्वामित्व वाले ब्रांड (छाप) के औषधियों जिनके लिये सामान्य तथा अन्य उत्पादकों से ऐसी ही दवाइयां उपलब्ध होती है, की कमी समय-समय पर होती है। पैट्रोलियम संकट के कारण 1973 के उत्तरार्द्ध तथा 1974 के प्रारम्भिक महीनों के दौरान प्रपुंज औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों तथा रसायनों की उपलब्धता कठिन हो गई। इसका कुछ मदों, जो वरणीकृत सूची में हैं, की वितरण अनुसूची पर प्रतिकूल प्रभाव बड़ा था। तब से आयातित प्रपंज औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों तथा रसायनों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

मारुति लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया तुलन-पत्र

108. **श्री मधु लिमये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को वर्ष 1973-74 का अपना तुलन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) तुलन-पत्र के अनुसार, वितरकों और विक्रेताओं से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ग) अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थानों से कितनी राशि के ऋण तथा अग्रिम राशियां प्राप्त हुई; और

(घ) प्रबन्ध निदेशकों और अन्य निदेशकों के नाम क्या हैं तथा वर्ष के दौरान उन्हें कितना पारिश्रमिक तथा भत्ते दिये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) 1973-74 वर्ष हेतु कम्पनी के तुलन-पत्र में "डीलरशिप डिपोजिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत 2,18,91,042 रु० की राशि दिखलाई गई है।

(ग) 1973-74 हेतु कम्पनी के तुलन-पत्र में कम्पनी के पास यथा प्रदर्शित बाकी ऋण और अग्रिम राशि 1,06,07,950 रु० थी। उसमें दी गई यह राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

प्रतिभूत ऋण—(बैंकों से) 59,53,735 रु० अप्रतिभूत ऋण (बैंकों से अतिरिक्त अन्य श्रोत) 46,54,215 रु०।

आगे ऋण एवं अग्रिमों के श्रोत के विभंग तुलन-पत्र में उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कम्पनी के 1973-74 के वार्षिक लेखे के अनुसार, 1973-74 के वर्ष के मध्य इसके प्रबन्ध निदेशक श्री संजय गांधी को निम्नलिखित पारिश्रमिक तथा भत्ते प्राप्त हुए:–

वेतन	48,000 रु०
परिलब्धियां	3,000 रु०
कार चालन एवं संधारण व्यय (लगभग मूल्य, आयकर नियम 1962 के अनुसार)	
योग	51,000 रु०

कम्पनी के चार अन्य निदेशक हैं—यथा:—

श्री एम० ए० चिदम्बरम्, अध्यक्ष
श्री रौनक सिंह
श्री विद्या भूषण
श्री कपिल मोहन

उन्हें कम्पनी के इस वर्ष के लाभ हानि लेखे के उल्लेखानुसार 1973-74 में 8,326 रु० की राशि यात्रा तथा वाहन व्यय के रूप में दी गई है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

***109. कुमारी कमला कुमारी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित किये जा रहे कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिये कोई विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्रों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्रों के लिये आवश्यक कुल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगभग 1·10 करोड़ रुपये है।

भटिंडा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए जापान के साथ करार

***110. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा, पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये भारत और जापान में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा उसमें विदेशी मुद्रा की राशि कितनी होगी ; और

(ग) इस संयंत्र के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली 3 (तीन) उर्वरक प्रायोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिये जापान ने 32.9 बिलियन येन की ऋण सहायता दी है जिसमें से 11 बिलियन येन का ऋण भटिंडा परियोजना, जिसका कार्यान्वयन करना आरम्भ कर दिया गया है, के लिये उपलब्ध कराया जा चुका है।

(ख) 53 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के संघटक सहित इस प्रायोजना की स्वीकृत लागत 138.40 करोड़ रुपये है।

(ग) अक्तूबर, 1977 तक।

कोंकण रेलवे के आप्टा-दासगांव सैक्शन पर किया गया कार्य

***111. श्री शंकर राव सावंत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे के आप्टा-दासगांव सैक्शन पर अब तक कितना कार्य किया गया है ;

(ख) 31 मई, 1975 से पहले इस सैक्शन पर कितना कार्य करने का प्रस्ताव है; और

(ग) रेल मार्ग के इस सैक्शन की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) आप्टा से दसगांव तक अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाल में ही मिली है और उनकी जांच की जा रही है। यह परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछले क्षेत्रों के विकास के लिये शुरू होने वाले निर्माण कार्यों की सूची में शामिल कर ली गयी है बशर्ते के उसके लिये धन उपलब्ध हो। अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार अनुमान है कि इस परियोजना पर 13.92 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसमें चल-स्टाक की लागत शामिल नहीं है।

योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिये आबंटित 100 करोड़ रुपये की राशि के अलावा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिये रेलों को लगभग 255 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था करे।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा सरकारी विनिमयों का उल्लंघन करने के बारे में जांच

*112. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी स्वामित्व वाली औषध फर्मों ने सरकारी विनियमों का उल्लंघन किया है और लाइसेंस क्षमता से अधिक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संगठित क्षेत्र के विभिन्न औषध एककों, जिसमें विदेशी कम्पनियों के एकक भी शामिल हैं, के द्वारा लाइसेंस प्राप्त अनुक्षेत्र क्षमता से अधिक अत्यधिक उत्पादन के उदाहरण सरकार के सामने आये हैं ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से विभिन्न औषध एककों द्वारा अत्यधिक उत्पादन के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण के लिए धनराशि का प्राक्कलन

*113. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण कार्य में 31 अक्तूबर, 1974 तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर खर्च की जाने वाली धनराशि के मूल प्राक्कलन क्या है और इन प्राक्कलनों का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया;

(ग) इस परियोजना को जल्दी ही पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, ताकि प्राक्कलनों को फिर से पुनरीक्षित न करना पड़े; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिये पुनरीक्षित लक्ष्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस परियोजना में अब तक कुल मिलाकर 61.5 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) अप्रैल, 1969 में इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत के लिये 3.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी थी । इस अनुमान में केवल एक बार संशोधन किया गया है और संशोधित लागत 6.94 करोड़ रुपये की है और इसके लिये व्यास बांध प्राधिकरण की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद रेल प्रशासन इस परियोजना को यथा-संभव शीघ्र पूरी करने के लिये सभी प्रकार से प्रयास कर रहा है । आशा है कि यह लाइन 31-12-75 तक माल यातायात के लिये और 31-3-76 तक यात्री यातायात के लिये खोल दी जायेगी।

बम्बई के पास गहरे समुद्र में सागर सम्राट द्वारा तेल के कुओं की खुदाई

*114. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि अब से सागर सम्राट पहले कार्यक्रम के अनुसार इस क्षेत्र में खोज कार्य जारी रखने की बजाय बम्बई के पास बहरे समुद्र में महले कुएं के आस-पास कुएं खोदने का कार्य ही करेगा; और

(ख) फिक्सड प्लेटफार्म जो कि तेल उत्पादन के लिये आवश्यक उपकरण है; कब तक तैयार हो जायेगा तथा वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं। बम्बई हाई के विभिन्न भागों और अरब सागर की निकटवर्ती संरचनाओं पर कुओं के व्यधन कार्य के लिये सागर सम्राट को लगाया जायेगा । व्यधन स्थलों का क्रम अन्य बातों के साथ समय-समय पर प्राप्त परिणामों और परिचालन स्थितियों पर निर्भर करता है ।

(ख) बम्बई हाई में अब व्यधन किये जा रहे दूसरे कुएं का उत्पादन परीक्षण कुछ दिनों में आरम्भ करने की आशा है । इन परीक्षणों को करने और मूल्यांकन करने के बाद और यदि कुछ दूरी पर अन्य कुएं का व्यधन का परीक्षण करना आवश्यक हुआ तो ओ० एन० जी० सी० प्रथम चरण के उत्पादन के प्रश्न और इस उत्पादन की सफलता के लिये आवयश्क सुविधाओं, जिसमें प्लेटफार्म का खड़ा करना और निर्माण करना शामिल है, को आरम्भ कर सकती है ।

गत मई 1974 की रेल हड़ताल के संबंध में बर्खास्त किये गये/सेवा से हटाये गये/स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी

*115. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के संबंध में कितने रेल कर्मचारी बर्खास्त किये गये या सेवा से हटाये गये अथवा स्थानान्तरित किये गये थे; और

(ख) बर्खास्त किये गये या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों में से कितनों को सेवा में अवरोध देकर अथवा बिना अवरोध के बहाल कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (1) लगभग 11,340 स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया/हटा दिया गया है; और

(2) लगभग 950 कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया है ।

(ख) व्यक्तिशः अपीलों पर विचार करने के बाद, 11,240 भूतपूर्व कर्मचारियों में से लगभग 7,850 कर्मचारियों को अब तक ड्यूटी पर वापस ले लिया गया है । अपील करने पर मामलों के पुनर्विचार की प्रक्रिया चालू है । जिन कर्मचारियों को हड़ताल में शमिल होने से पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया/हटा दिया गया था लेकिन अपील करने पर वापस ले लिया गया है, उनकी सेवा भंग नहीं होगी लेकिन जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया है, उनके मामले में नियमानुसार सेवा भंग होगी ।

विदेशी औषध फर्मों के कार्यकरण के बारे में अध्ययन दलों के प्रतिवेदन

*116. श्री मुखितयार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी औषध फर्मों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये अनेक अध्ययन दल नियुक्त किये थे ;

(ख) क्या इन अध्ययन दलों ने सरकार को अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सभी प्रतिवेदनों की अविलम्ब क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरोत्तर भारतीयकरण, विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभांश, रायल्टी आदि के रूप में बाहर भेजे गये धनराशि पर विचार करने के लिये केवल एक अध्ययन दल जून, 1970 में नियुक्त किया गया था । इस दल ने एक बैठक की तथा सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के बारे में निश्चय किया। इस दल द्वारा कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई थीं । सरकार ने फरवरी, 1970 में अधिक विदेशी शेयर वाली कम्पनियों में विदेशी भागेदारी को कम करने के लिये मार्गसूचक बातें जारी कीं । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने विदेशी कम्पनियों द्वारा बाहर भेजे जाने वाले धनराशि पर कुछ रोक लागू की है । उनके कार्यकलापों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत भी नियंत्रित किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

साबुन के मूल्यों में वृद्धि

*117. श्री मान सिंह भौंरा :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान साबुन के मूल्य में तीन गुना वृद्धि हुई है; और

(ख) उस समय साबुन की लोकप्रिय किस्मों के मूल्य क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) साबुनों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। 19 सितम्बर, 1974 से पूर्व संगठित क्षेत्र (प्रीमियम ग्रेड के नहाने के साबुन को छोड़ कर) द्वारा उत्पादित साबुनों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण था जिससे इंडियन सोपस एंड टायलटरीज मेकर्स एसोसियेशन मूल्यों में वृद्धि करने से पूर्व सरकार से परामर्श करती थी। संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित साबुनों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति पिछली बार जुलाई 1974 में दी गई थी। वर्ष 1974 के पूर्वार्द्ध में संगठित क्षेत्र द्वारा साबुन का उत्पादन करने में कुछ कमी हुई थी । इंडियन सोपस एंड टायलटरीज मेकर्स एसोसियशन को बताया था कि साबुनों के अलाभप्रद मूल्यों को देखते हुये व प्रचलित उच्च मूल्यों पर तेलों की पर्याप्त मात्रा खरीदने में असमर्थ थे। इस प्रकार हुई

प्रभावग्रस्त स्थितियों में, साबुन सूचीबद्ध मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य पर बिक रहा था। 19 सितम्बर, 1974 से साबुनों की सभी किस्मों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा दिया गया है। बाजार में साबुनों की उपलब्धता बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता को अब साबुन कम दामों पर मिल रहा है।

जुलाई 1973 से पहले, मूल्यों में वृद्धि पिछली बार जून, 1971 में की गई थी। मंत्रालय केवल वृद्धियों की सीमा के बारे में संकेत करता रहा है और मंत्रालय ने प्रत्येक ब्रांड के मूल्य निर्धारित नहीं किये थे। गत दो वर्षों के दौरान के मूल्य तथा वर्तमान मूल्य निम्नलिखित सूची में दर्शाये गय हैं:—

साबुन की किस्म	संशोधित मूल्य		रुपये प्रति टिकियां
	जून 71 से	जुलाई, 73 से	वर्तमान मूल्य
लांडरी (सनलाइट) 150 ग्राम	0.61	0.75	1.05
कार्बोलिक (लाइफबाय) 150 ग्राम .	0.72	0.90	1.25
टायलट 110 ग्राम (रेक्सोना)	0.74	0.93	1.35
लक्स	0.74	0.93	1.33
जनता . .	.		1.00—1.05

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम आयोग की सिफारिशों के अनुसार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम का संशोधन

*118. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम का संशोधन करने का है ताकि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग की सिफारिशों को कानूनी रूप दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सभी निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में दण्डात्मक उपबन्धों की व्यवस्था की जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की योजना यह है कि आयोग केवल निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में, विशेषत: आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण और एकाधिकारिक प्रथाओं के सम्बन्ध में समस्त अन्य मामलों में अधिदेशक शक्तियां दे रहा है और उसको उन मामलों के कतिपय वर्गों में जो सरकार द्वारा उसको समय-समय पर संदर्भित किये जाएं में जांच करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति दी गई है। अधिनियम को योजना उस समय के औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा जबकि संसद के दोनों सदनों में विधेयक अनुमति के लिये रखा जा रहा था, पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी गई थी। अधिनियम की योजना से विचलित होने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) आयोग के आदेशों के पालन न करने के अपराधों में दण्डों के उल्लेख करता हुआ एक विवरण पत्र सभा पटल पर 12 नवम्बर, 1974 को प्रस्तुत कर दिया गया था। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम को धारा 50 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा

आयोग के आदेश का कोई उलंघन, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में धारा 37 के **अन्तर्गत उसमें निर्धारित दण्डों की भागीदार है।**

हिन्दुस्तान इनसक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में जांच

*119. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षो के दौरान हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड लिमिटेड नई दिल्ली के कार्य करण के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) सरकार ने अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज कार्यक्रम को तेज करना

120. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्दर तेल की खोज का विस्तार करने तथा इसे तेज करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(क) और (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल के अन्वेषण प्रयासों को गहन करने तथा देशीय उत्पादन को अधिकतम करनेहेतु जो उबाय किये जा चुके हैं या जिन्हें करने का प्रस्ताव हैं, को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। पांचवीं योजना में वर्जित लयों में सम्मिलित हैं :—

1. 70 से 100 मिलियन मीटरी टन के बीच तेल के अतिरिक्त प्रति-प्राप्ति योग्य सुरक्षित भडारों की स्थापना;

2. पांचवीं योजना के अन्तर्गत उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि तथा वर्ष 1978-79 के अन्तर्गत 9 मिलियन मीटरी टन की दर से भी अधिक का उत्पादन लक्ष;

3. पांचवीं योजना के अन्तर्गत 4902 मिलियन घन मीटर गेस का संचित उत्पादन तथा वर्ष 1978-79 के अन्त तक प्रति वर्ष 1150 मिलियन घन मीटर की दर से गैस का उत्पादन;

4. पांचवीं योजना की अवधि के दौरान भूवैज्ञानिक तथा भूभौतकीय सेवाओं को गहन करने के अतिरिक्त 1.47 मिलियन मीटर का अन्वेषी तथा विकसित व्यधन;

5. खोज लिये गये तेल क्षेत्रों का शीघ्रतम विकास;

6. वर्तमान उत्पादन कूपों का अधिकतम उपयोग;

7. उप-प्रति प्राप्ति तरीकों का विस्तारित प्रयोग।

आयल इंण्डिया लिमिटेड ने पांचवीं योजना की समस्त अवधि में कच्चे तेल का उत्पादन 3 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष के स्तर पर बनाये रखने के लिये किये गये उपायों के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश तथा असम के कतिपय क्षेत्रों में तेल अन्वेषण कार्य आरम्भ कर दिया है। उनको इस 3 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन को 4 मिलियन मीटरी टन से भी अधिक बढ़ाने के लिये सहमति करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बम्बई हाई क्षेत्र में अपने स्वयं के परिचालन कार्यों के अतिरिक्त, कच्छ तथा बंगाल के अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय व्यधन करने के लिये दो विदेशी पार्टियों को भी ठेके दिये गये हैं।

Setting up of Income-tax Tribunal at Ranchi

1001. Shri Sankar Dayal Singh: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether an Income-tax tribunal is proposed to be set up at Ranchi; and

(b) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) No, Sir.

(b) Does not airse.

Proposal to set up more Fertilizer plants in Madhya Pradesh

1002. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether it is proposed to set up some more fertilizer plants in Madhya Pradesh in view of the fact that there is only one fertilizer plant at Korba in Madhya Pradesh and that the other plants of the country are not in a position to meet the requirement of Madhy Pradesh after meeting the demand of their own State?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): The fertilizer programme, as presently envisaged in Fifth Plan, does not provide for the setting up of additional capacity in Madhya Pradesh in public sector. However, an application has been received for setting up of a coal-based fertilizer plant in the private sector in the State. No decision has been taken on this application.

Fertilizer production from the various plants in India is pooled with imported fertilizers in planning fertilizer distribution, taking into account the requirements of different States.

माल-डिब्बों के लिए रेलवे द्वारा क्रयादेश

1003. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योग का अस्तित्व मुख्यत: रेलवे क्रयादेशों पर निर्भर करता है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा क्रयादेशों में कटौती करने तथा मूल्य सम्बन्धी फार्मूले पर देर तक विचार विमर्श चलते रहने से इस विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उसे अपनी क्षमता से 35 प्रतिशत उत्पादन कम करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जहां तक रेल मंत्रालय को मालूम है माल डिब्बे बनाने वाले अधिकांश कारखानों में जितना काम होता है उस में रेलों के लिये बनाये जाने वाले माल डिब्बों के आर्डरों का बड़ा भारी हिस्सा है।

(ख) जी नहीं, न तो माल डिब्बों के आर्डरों में किसी तरह की कोई कटौती को गई है और न ही उद्योग के साथ मूल्यों के बारे में ही कोई बातचीत हुई है;

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरेका टाइप फांउड्री, कलकत्ता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1004. श्री एस० एन० सिंह देव :
हाजी लुतफल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेका टाइप फांउन्ड्री कलकत्ता के विरुद्ध रेलवे को गलत सप्लाई करने के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी;

(ग) क्या इस फर्म ने उक्त मंत्रालय से कोई अपील की थी; और

(घ) यदि हां, तो उस अपील के परिणाम की मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) इस अपील पर रेल मंत्रालय में सर्वोच्च स्तर पर विचार किया गया है किन्तु पहले किये करेंगे निर्णय में परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया।

बिहार विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन

1005. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा में रिक्त हुये स्थानों के लिये अभी तक निर्वाचन नहीं कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये कब तक उप निर्वाचन कराये जायेंगे?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) बिहार विधान सभा में हुई 43 रिक्तियों में से आयोग ने उन 20 सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उप-निर्वाचन अधिसूचित किये थे जिनकी बाबत रिक्तियों की सूचना उसे 20 मई, 1974 तक दे दी गई थी, जिससे कि निर्वाचित अभ्यर्थियों को अगस्त, 1974 में हुये राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों में भाग लेने के लिये समर्थ बनाने हेतु 25 जुलाई, 1974 तक सारी कार्यवाही पूरी की जा सके। तथापि, निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों, जैसे भारतीय जन संघ, बिहार, अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य परिषद, महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, से और श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य और अन्य से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे जिनमें उप-निर्वाचनों को इस आधार पर मुल्तबी करने का आग्रह किया गया था कि बिहार की स्थिति स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने के लिये सहायक नहीं है और यह कि निर्वाचन क्षेत्र उस अवधि के दौरान जलमग्न भी हो जायेंगे। पूर्वोक्त अभ्यावेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और मौनसून के सामीप्य को, जो निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधियों को बहुत हद तक प्रभावित करता और उसे असंभव भी बना देता, ध्यान में रखने के पश्चात् आयोग ने प्रस्थापित निर्वाचनों के कार्यक्रम को रद्द करने का विनिश्चय किया।

तत्पश्चात्, बिहार विधान सभा में 23 और रिक्तियां हुई हैं। इन 23 निर्वाचनक्षेत्रों में से 16 निर्वाचनक्षेत्रों की नामावलियों का पुनरीक्षण किया जा चुका है और शेष 7 निर्वाचनक्षेत्रों की नामावलियों का पुनरीक्षण चल रहा है।

आयोग का प्रस्ताव है कि जैसे ही राज्य की स्थिति सामान्य हो जाये, जो स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुगम कर दे, उप-निर्वाचन कराये जायें।

उड़ीसा में बिना पहरेदारों के रेल के फाटक

1006. श्री पी० गंगादेव :

श्री अनादि चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने ऐसे फाटक हैं जिन पर पहरेदारों को नहीं लगाया गया है; और

(ख) इन फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य में बिना चौकीदार वाले 1,062 समपार हैं।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिये निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं:—

(i) रेलवे लाइनों को सावधानी पूर्वक पार करने के लिये चेतावनी देने के लिये रेल पथ के दोनों और रेल सीमा के भीतर बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर 'स्टाप बोर्ड' इस तरह लगाये गये हैं कि उन पर निगाह अवश्य पड़ जाती है;

(ii) रेल पथ के साथ सीटी बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें ड्राइवरों को आदेश दिये गये हैं कि समपार के पास पहुंचने पर सीटी बजा कर समपारों पर पहुंचने वाली गाड़ी के बारे में सड़क पार करने वालो को चेतावनी दें।

(iii) जहाजरानी मंत्रालय और परिवहन/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों के लिये सड़क चिन्हों की व्यवस्था करें।

(iv) राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाये हैं जिनमें ड्राइवरों के लिये यह आवश्यक है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सभी वाहनों को थोड़ी देर के लिये रोक दें और यह पता लगाने के बाद कि रेल पथ दोनों ओर से साफ है तब रेलवे लाइन को पार करें।

(v) सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा चेतना जाग्रत करने के लिये शैक्षणिक अभियान चलाये गये हैं और इसके लिये स्वचल वाहन संघों से अपील करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पर्चे बांटने और आकाशवाणी सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से प्रचार जैसे उपाय किये गये हैं।

इसके अलावा, जिन समपारों पर सड़क और रेल यातायात दोनों अधिक है और या दृश्यता ससीमित है ऐसे समपारों को आवधिक यातायात गणना के आधार चौकीदार वाले समपारों में बदल दिया जाता है या निर्धारित कार्यक्रम के आर्धार पर राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्हें चौकीदार वाले समपार बना दिया जाता है:

दोषपूर्ण योजना का पश्चिम बंगाल के वैगन बनाने वाले उद्योग पर प्रभाव

1007. **श्री एम० कत्तामुत्तु:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड की दोषपूर्ण योजना और अनिर्णय से पश्चिम बंगाल के वैगन बनाने वाले उद्योग के विकास पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। न तो योजना बनाने में कोई त्रुटि रही है और न पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा उद्योग को माल डिब्बों के आर्डर देने के बारे में कोई अनिश्चितता रही है। पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं के पास इतने आर्डर हैं कि उनकी क्षमता को उनके वर्तमान उत्पादन के स्तर पर दो वर्ष से अधिक समय तक व्यस्त रखा जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"डीजल की बचत के लिए मोटर गाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश"

1008. श्री स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में 10 से 15 प्रतिशत 'हाई स्पीड डीजल' की बचत करने के लिये 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये मोटर गाड़ियों द्वारा माल ढोये जाने पर रोक लगाने के लिये सभी राज्य सरकारों को निदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कोई राय ली है और सभी अन्य पहलुओं पर विचार किया है;

(ग) क्या इस कार्यवाही से डीजल तेल के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार, मिलावट, जमाखोरी तथा मुनाफा-खोरी नहीं बढ़ेगी;

(घ) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार सरकार में हो रहे आन्दोलनों को देखते हुये इन निदेशों का पालन नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) एच० एस० डी० के उपयोग में मितव्ययता लाने हेतु, राज्य सरकारों को सड़क द्वारा 500 किलोमीटर से अधिक माल लेने ले जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने सहित उनके सुझाव दिये गये थे।

अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श करने के पश्चात् इस बारे में एक विस्तारित परिपत्र जारी किया गया था। सरकार को ऐसे प्रतिबन्धों के खिलाफ अनेक वाहक संगठनों तथा राज्य सरकारों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है।

"विदेशी सहयोग से स्थापित किए गए पैट्रोरासायनिक उद्योग"

1009. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विदेशी सहयोग से कौन-कौन से पैट्रोरासायनिक उद्योग स्थापित किये गये;

(ख) प्रत्येक मामले में सहयोग देने वाले कौन-कौन से देश हैं; और

(ग) क्या पांचवीं पंच वर्षीय योजना में ऐसे किन्हीं और उद्योगों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न है **[ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8495/74]**

(ग) उपलब्ध संसाधनों और योजना की संबंधित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत पांचवीं योजना की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे पेट्रोरसायन के लिये किसी नये प्रमुख कार्यक्रम का इरादा नहीं है; गैर-सरकारी क्षेत्र में नई प्रायोजनाओं के लिये आवेदन पत्रों पर प्रत्येक के गुणावगुण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

"भारत के पैट्रोलियम बिल में वृद्धि"

1010. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :** क्या **पैट्रोलिम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम के मूल्यों के असाधारण वृद्धि होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने इन पर 1,100 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जबकि वर्ष 1972-73 में 200 करोड़ रुपये व्यय हुआ था और क्या इससे गम्भीर आर्थिक और विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) विगत में देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में लगभग 9 प्रतिशत की मिश्रित दर से वृद्धि हो गई है। कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर अत्याधिक भार पड़ने से पैट्रोलियम उत्पादों की अनावश्यक खपत पर अधिक से अधिक रोक लगाने तथा चालू वर्ष के दौरान उपलब्धता को लगभग उसी स्तर पर, जो गत वर्ष में था, बनाये रखने के लिये कदम उठाये गये हैं। साथ ही साथ, तमाम अत्यावश्यक जरूरतों, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिये अपेक्षित हैं, को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने के लिय निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(क) देशीय कच्चे तेल के उत्पादन को अधिकतम करने से संबंधित प्रयत्न तेज कर दिये गये हैं।

(ख) विभिन्न अनुकूलतम प्रयोगों से शोधनशालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन पैटर्न का इस ढंग से समायोजन किया गया है ताकि उच्च मूल्य के उत्पादों का अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इस प्रयोजन के लिये उत्पादन विशिष्टियों का भी यथा संभव समायोजन किया गया है।

(ग) मोटर गैसोलीन, लुब्रीकेटिंग, आयल्ज, बिटूमैन आदि कुछ उत्पादों की खपत पर रोक लगाने के आर्थिक उपाय उठाये गये हैं। कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये मिट्टी के तेल के मूल्य में भी वृद्धि की गई है। ईंधन की प्रयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने के कदम उठाये गये हैं। मिट्टी के तेल, जो निजी प्रयोग की वस्तु है, की उपलब्धि में यथा संभव स्तर तक कमी की गई है।

(घ) उन पैट्रोलियम उत्पादों जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक है, का निर्यात किया जा रहा है। मूल्य मिश्रित उत्पादों के निर्यात को भी अधिकतम किया गया है।

(ङ) ईराक तथा ईरान से द्विपक्षीय आस्थगित भूगतान के अन्तर्गत कच्चे तेल का आयात करने का प्रबन्ध किया गया है।

"चालू वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन"

1011. **श्री एस० ग्रार० दामानी :** क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ग्रब तक उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुग्रा है तथा पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक हैं;

(ख) विभिन्न एककों में कितनी क्षमता का उपयोग कर उत्पादन किया गया है;

(ग) सम्पूर्ण वर्ष में ग्रनुमानतः कुल कितना उत्पादन होगा तथा देश की मांग को पूरा करने के लिये ग्रौर कितना ग्रायात करना पड़ेगा; ग्रौर

(घ) ग्रायात के लिये किये गये प्रबन्ध की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा उसपर कितनी लागत ग्रायेगी?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) :

(क) न्यूट्रेन्ट्स के रूप में उत्पादन (000 मी० टन में)

	ग्रप्रैल–सितम्बर 1974	ग्रप्रैल–सितम्बर 1973
नाइट्रोजन .	510.7	490.9
फास्फेट	157.2	166.1

(इसमें दुर्गापुर ग्रौर कोचीन संयंत्रों, जो ग्रभी ग्रारम्भ नहीं हुये हैं से 13.0 शामिल हैं)

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8496/74]

(ग) 1974-75 में नाइट्रोजन के 14.33 लाख मी० टन ग्रौर फास्फेटस के 3.63 लाख मी० टन के उत्पादन का ग्रनुमान हैं। 1974-75 में उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रायें ग्रायात करने का कार्यक्रम बनाया गया है:—

	लाख मी०
नाइट्रोजन . .	10.00
फास्फेट	3.50
पोताश	4.98

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काठगढ़ में हुई रेल-दुर्घटना के बारे में जांच

1012. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठगढ़ में 21-2-74 को इन देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रैस तथा खड़ी हुई एम-5 अप मालगाड़ी के बीच हुई सीधी टक्कर के बारे में की गई सांविधिक जांच में रेलवे कर्मचारियों को उनकी लापरवाही के लिये स्पष्टतः दोषी ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कर्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दो रेल कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को अदालती निर्णय के लिये न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है। एक अन्य रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई की जा रही है।

"पूर्वी राज्यों में मिट्टी के तेल का अभाव"

1013. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिट्टी के तेल के अभाव के कारण जन साधारण विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को हो रहे कष्टों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय सुझाये गये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) विदेशी मुद्रा की कम उपलब्धि तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण चालू वर्ष में देश में मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। खपत को कम करने के लिये राज्य सरकारों को आवंटित किये गये कोटे में कमी की गई है। हो सकता है इससे कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी हो गई हो।

(ख) वर्तमान महीने से राज्यों को दिये गये कोटे में कमी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये की गई है। कटौती की सीमा जिसमें कुछ महीनों में 30 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी केवल लगभग 10 प्रतिशत की सम्पूर्ण खपत में कमी करने के लिये अब कम कर दिया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मिट्टी के तेल के वितरण के लिये प्रभावी पद्धति अपनायें तथा मिट्टी के तेल की जमाखोरी अथवा काला बाजार के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करें।

Riggings of Elections

1014. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints about rigging in the election

(b) if so, the nature of such riggings; and

(c) effective measures taken to check such riggings?

The Minister of State in the Ministry of Law. Justice and C9mpany Affairs (Dr Sarojini Mahishi:) (a) Some complaints alleging rigging in elections have been a made now and then since the fifth General Election to the Lok Sabha held in 1971.

(b) Complaints alleging rigging in elections pertain to the election propaganda by Government officers in favour of ruling party, ballot boxes being tampered with, use of official machinery by the ruling party, inauguration of projects and welfare schemes on the eve of elections, intimidation and coercion of voters, capturing of polling booths by armed men etc.

(c) Even in the existing election law, effective legal provisions do exist and further the Election Commission have issued necessary instructions to the authorities concerned to take adequate and effective steps to prevent riggings in elections. Besides, in the Bill introduced in the Lok Sabha on the 20th December, 1973, suitable amendments to make the existing provision comprehensive have been included, particularly in clauases 36 and 37, to cover these matters.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन उपायुक्त, दिल्ली के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

1015. **श्री अम्बेश :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन उपायक्त दिल्ली के न्यायालय में अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त आवेदन पत्रों को फाइल करने की पृथक-पृथक तरीखें क्या हैं; और

(ग) यदि ये आवेदन पत्र गत तीन वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं तो उनके निपटाने में विलम्ब के क्या क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

गोवा में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

1016. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे रेल फाटकों पर दुर्घटनायें रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) गोवा में बिना कर्मचारी के सात समपार हैं।

(ख) बिना कर्मचारी के समापारों पर दुर्घटनायें कम हों इसके लिये निम्नलिखित रोकथाम के उपाय किये गये हैं:—

(i) सड़क उपयोगकर्ता रेल पथ को सावधानी से पार करें इस बात की चेतावनी देने के लिय रेल पथ के दोनों ओर रेल सीमा के अन्तर्गत बिना कर्मचारी वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर मुख्य रूप से रोक पट्ट लगाये गये हैं;

(ii) आने वाली गाड़ी के ड्राइवर की सचेत करने के लिये रेल पथ के साथ सीटी पट्ट लगाये गये हैं ताकि समपार पर आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को चेतावनी देने के लिये बिना कर्मचारी के समपारों पर गाड़ी पहुंचने के पूर्व सीटी बजाये;

(iii) जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बिना कर्मचारी वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क चिह्न लगायें ;

(iv) राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियम भी बनाये जिसके अनुसार सभी वाहनों के ड्राइवरों से अपेक्षा है कि बिना कर्मचारी वाले समपारों पर पहुंचने से पहले रुक जायें और उसके बाद रेलवे लाइन तब पार करें जब यह सुनिश्चित कर लें कि रेल पथ दोनों तरफ से साफ है;

(v) सड़क उपयोग कर्त्ताओं में संरक्षा की चेतना पैदा करने के लिये आटो मोबाइल एसोसियेशनों से अपील करके तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भाषा में पर्चिया जारी कर, आकाशवाणी सिनेमा सलाइड आदि के द्वारा प्रचार के रूप में शिक्षात्मक अभियान ही चलाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, जिन समपारों पर सड़क और रेल अर्थात् दोनों यातायात अधिक मात्रा में हैं और या दृश्यता सीमित है वहां यातायात की आवधिक जनगणना के आधार पर या राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों से आवेदन प्राप्त होने पर एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर कर्मचारी वाले समपार की व्यवस्था की जा रही है।

निर्वाचन विधियों में व्यापक तथा शीघ्र सुधार करने का प्रस्ताव

1017. **श्री धामनकर :**

श्री रामसहाय पांडे :

श्री वसन्त साठे :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन विधियों में व्यापक और शीघ्र सुधार करने के लिए एक योजना बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) निर्वाचन विधि में सुधार के लिए सुझावों और प्रस्तावों पर ध्यान देने का उस समय पर्याप्त अवसर होगा जब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973, जो इस समय लोक सभा में लम्बित है, विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा । इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह निर्वाचन में सुधारों के प्रश्न पर राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने का विचार कर रही है ।

दिल्ली न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरना

1018. **श्री एन० एस० कामले:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली न्यायिक सेवा के लिये अब तक कितने पदों के लिये स्वीकृति दी गयी है ;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये कुल कितने पद आरक्षिन हैं और अब तक कुल कितने आरक्षित स्थानों को भरा गया है ;

(ग) अभी तक कुल कितने आरक्षित स्थान रिक्त हैं तथा उनके अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या 1973 की दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा में अनूचित जाति के 21 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुये थे और यदि हां, तो उन्हें इस सेवा में आमेलित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जाति के दो न्यायिक अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है और यदि हां, तो रिक्त स्थानों को उत्तीर्ण हुए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से भरने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ? ,

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 112

(ख) आरक्षित 16

भरी गई 16

(ग) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 7 पद अर्हित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलभ्यता के कारण रिक्त हैं।

(घ) यह सच है कि 1973 में आयोजित दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में 21 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। चूंकि 1973 की परीक्षा की बाबत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या 3 थी, अतः अनुसूचित जाति के उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से तीन ही नियुक्त किए जा सके।

(ङ) जी हां। इन दो रिक्त स्थानों के भरे जाने के प्रश्न पर, अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल की गई रिट अर्जी के निपटारे के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

राजस्थान में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक

1019. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे रेल फाटकों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राजस्थान में एक हजार पांच सौ अठहत्तर बिन चौकीदार वाले समपार हैं।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए निम्न लिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(1) रेलवे लाइनों को सावधानी पूर्वक पार करने के लिए चेतवानी देने के लिए पथ के रेल दोनों ओर रेल सीमा के भीतर बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर 'स्टाप बोर्ड' इस तरह लगाये गये हैं कि उन पर निगाह अवश्य पड़ जाती है ;

(2) रेल पथ के साथ सीटी बोर्ड लगाये गये हैं जिनमें ड्राइवरों को आदेश दिये गये हैं कि समपार के पास पहुंचने पर सीटी बजा कर समपारों पर पहुंचने वाली गाड़ी के बारे में सड़क पार करने वालों को चेतावनी दें ;

(3) जहाजरानी मंत्रालय और परिवहन/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बिना चौकी-दार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों के लिए सड़क चिन्हों की व्यवस्था करें ;

(4) राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कानून बनाये हैं जिनमें ड्राइवरों के लिए यह आवश्यक है कि बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सभी वाहनों को थोड़ी देर के लिए रोक दें और यह पता लगाने के बाद कि रेल पथ दोनों ओर से साफ है तब रेलवे लाइन को पार करें।

(5) सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा चेतना जाग्रत करने के लिए शैक्षणिक अभियान चलाये गये हैं और इसके लिए स्वचल वाहन संघों से अपील करने, क्षेत्रीय भाषाओं में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पर्चे बांटने और आकाशवाणी, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से प्रचार जैसे उपाय किये गये हैं।

इसके अलावा, जिन समपारों पर सड़क और रेल यातायात दोनों अधिक है और या/दृश्यता सीमित है ऐसे समपारों को आवधिक यातायात गणना के आधार चौकीदार वाले समपारों में बदल दिया जाता है या निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्हें चौकीदार वाले समपार बना दिया जाता है।

Scheme to Develop Patna Junction and Patna City Stations

1020. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of Patna Junction and Patna City Stations of Eastern Railway;

(b) the amount proposed to be spent on both of these stations, separately; and

(c) the reasons for delay in starting the construction work and the time by which Government proposed to start the work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c): The work of provision of additional coaching terminal facilities Phase I at Patna Jn. was included in the Budget for 1974-75 at an anticipated cost of Rs. 55 lakhs and the estimate is under preparation by the Eastern Railway. As the work involves remodelling of an extremely busy yard, a detailed examination has been necessary to avoid interference to the existing stream of traffic. Necessary detailed proposals are nearing completion and the work will be taken up as soon as the estimate is finalised and sanctioned.

The work of conversion of Up loop line into a common line at Patna City is in progress.

सवाई-माधोपुर तथा बड़ौदा (पश्चिम रेलवे) के बीच दोहरी रेलवे लाइन

1021. **श्री लाल जी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में सवाई-माधोपुर तथा बड़ौदा के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना को कब पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस खण्ड पर 378 कि० मी० दोहरी लाइन वाला रेल पथ उपलब्ध है और 257 कि० मी० पर काम हो रहा है ।

(ख) 257 कि० मी० पर जो काम चल रहा है उसे कई चरणों में 1979 तक पूरा किये जाने की संभावना है बशर्ते धन और सामान उपलब्ध होता रहा ।

कोयले की कमी के कारण असम के कछार जिले में बन्द की गई गाड़ियों को फिर से चलाना

1022. **श्री नुरूल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कछार (असम) जिले में कटाखाल और लाल घाट के बीच तथा करीमगंज और दुल्लावचेरा के बीच तथा सिल्चर और करीमगंज के बीच यात्री गाड़ियों को, जिनको कि कोयले की कमी के कारण लगभग एक वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया था, फिर से चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) क्या यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उक्त गाड़ियों को फिर से चलाने के बारे में सरकार की कोई योजनाएं हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कटाखल-लालाघाट, करीमगंज-डुल्लावेहेड़ा और बदरपुर-सिलचर खंडों में से प्रत्येक पर एक-एक जोड़ी सवारी गाड़ियां जो पहले कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गयी थीं, इस बात को देखते हुए फिर से चालू नहीं की गयी हैं कि उनसे बहुत कम यात्री सफर करते हैं और वैकल्पिक सड़क परिवहन अच्छी तरह सुलभ है । इन खंडों पर अब भी क्रमशः एक जोड़ी, एक जोड़ी और तीन जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं जो कि पर्याप्त समझी गयी हैं । फिर भी यातायात के रुख पर नज़र रखी जा रही है और यदि यातायात बढ़ा, तो बाद में गाड़ी सेवाओं को समुचित रूप से बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

त्रिवेन्द्रम एरणा कुलम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1023. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण त्रिवेंद्रम एरणाकुलम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी निर्माण कार्य में धीमापन आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य समय-सूची पर कितना असर पड़ा है तथा कार्य को तेजी से करने के लिए और परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों के योजना-परिव्यय में कटौती हो जाने के कारण चालू वित्त वर्ष में धन के आबंटन में कुछ कमी हो गयी है । फिर भी, इस परियोजना पर हर लिहाज से काम की प्रगति अच्छी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम मूल अनुसूची के अनुसार समाप्त हो जाये, हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

हावड़ा तथा पुरुलिया के बीच चलने वाली गाड़ियां

1024. श्री देवन्द्र नाथ महाता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ा तथा पुरुलिया के बीच चलने वाली गाड़ियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दो स्टेशनों में माह-अगस्त, 1974 के दौरान दिनांक बार प्रत्येक गाड़ी का आने और जाने का समय क्या था ;

(ग) क्या चक्रधरपुर-हावड़ा यात्री गाड़ी नियमित रूप से तीन घंटे लेट रहती है ; और यदि हां, तो अगस्त, 1974 में प्रत्येक गाड़ी के लेट चलने का क्या कारण था ; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 315 अप/316 डाउन हवड़ा-चक्रधरपुर सवारी गाड़ियां पुरुलिया स्टेशन पर आती हैं ।

(ख) पहुंच और छूट का विवरण अनुबन्ध 'क' में दिया या है ।

(ग) और (घ) ये सवारी गाड़ियां अप दिशा में 7 अवसरों पर और डाउन दिशा में 9 अवसरों पर पुरुलिया स्टेशन पर 3 घंटे से अधिक देर करके पहुंचीं । लेकिन, इन गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक न होने का मूल कारण खतरे की जंजीर का खींचा जाना तथा संचार तारों की चोरी है जिससे कन्ट्रोल के काम में बाधा पड़ती है और फलतः मार्ग में गाड़ियां रुक जाती है । परिहार्य रुकौनियों के लिए दोषी रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ सिविल प्राधिकारियों की सलाह से उपयुक्त स्तरों पर समन्वय स्थापित करके बदमाशी की इन हरकतों का मुकबाला किया जा रहा है ।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

अगस्त 1974 में महीनें 315 अप/316 डाउन की पहुंच और छूट का विवरण

तारीख	315 अप कितनी लेट हुई	316 डाउन कितनी लेट हुई
1-8-74	2'–15"	1'–49"
2-8-74	1'–5"	0–35"
3-8-74	1'––10"	5'–50"

तारीख	315 अप कितनी लेट हुई	316 डाऊन कितनी लेट हुई
4-8-74	1'-30"	2'-35"
5-8-74	3'-40"	3'-6"
6-8-74	0-38"	1'-45"
7-8-74	1'-26"	1'-49"
8-8-74	0-45"	1'-9"
9-8-74	0-33"	0-54"
10-8-74	2'-25"	2'-50"
11-8-74	4'-30"	6'-19"
12-8-74	4'-35"	6'-42"
13-8-74	0-49"	1'-00"
14-8-74	2'-20"	2'-46"
15-8-74	1'-20"	2'-10"
16-8-74	9'-7"	12'-12"
17-8-74	8'-7"	3'-26"
18-8-74	3'-50"	4'-52"
19-8-74	0-45"	1'-10"
20-8-74	2'-15"	3'-4"
21-8-74	1'-59"	0'-50"
22-8-74	1'-45"	0'-46"
23-8-74	1'-45"	0'-16"
24-8-74	1'-21"	0'-50"
25-8-74	1'-57"	1'-36"
26-8-74	0'-55"	0'-22"
27-8-74	1'-19"	0'-4"
28-8-74	6'-25"	7'-12"
29-8-74	1'-18"	0'-54"
30-8-74	1'-50"	1'-10"
31-8-74	1'-3"	2'-56"

निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिए आरामदेह सीटें

1025. **श्री वरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी गाड़ियों में यात्रियों की हर समय भारी भीड़-भाड़ रहती है ;

(ख) क्या यात्री बस में यात्रा करना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि उसमें यात्रियों को आरामदेह सीटें उपलब्ध होती हैं ; और

(ग) क्या सरकार भी निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिये आरामदेह सीटों की व्यवस्था करना चाहती है ताकि बस की यात्रा की तुलना में रेल की यात्रा को अधिक आकर्षक बनाया जा सके ।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ अवधियों में कुछ लोकप्रिय गाड़ियों में भीड़ रहती है ।

(ख) कुछ यात्री अपने आराम के लिए बस द्वारा यात्रा करने का तरजीह देते हैं लेकिन यह सच नहीं है कि बस की यात्रा गाड़ी की यात्रा से सदा ही अधिक सुविधाजनक रहती है ।

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक गाड़ियों में दूसरे दर्जे की सीटों/शायिकाओं के आरक्षण की सुविधा पहले से ही दी जा रही है । किन्तु गाड़ियों में दूसरे दर्जे के डिब्बों की सीटों पर गड़ियां लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टिकटों के जारी करने पर रोक

1026. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रेल के किरायों में वृद्धि की गयी है ;

(ख) क्या किराये में वृद्धि किये जाने के बावजूद जगह के अभाव के कारण सैकड़ों यात्री अपनी पूरी यात्रा विभिन्न डिब्बों में खड़े रह कर पूरी करते हैं ; और

(ग) यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुये सरकार गाड़ी में बैठने के स्थान से अधिक टिकटें क्यों जारी करती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ खण्डों पर कतिपय लोकप्रिय गाड़ियों में भीड़-भाड़ होती है ।

(ग) टिकट जारी किये जाते हैं बशर्ते गाड़ी में स्थान उपलब्ध हो । जिन व्यक्तियों को स्थान न मिले वे स्टेशन पर अपने टिकट अभ्यर्पित करके किराया वापस ले सकते हैं ।

मियांभाई न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को उत्तर रेलवे पर लागू न किया जाना

1027. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के महा प्रबन्धक ने 1 अगस्त, 1974 से मियांभाई न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को लागू करने के लिए अपने पत्र संख्या 3ई/312/ आर० एल० टी०/1969 (ए० डी० जे०) और 3ई/315/आर० एल० टी०/1969 (ए० डी० जे०) दिनांक 29 जून, 1974 के अनुसार आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) क्या उनके आदेशों को अब तक उत्तर रेलवे में लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कार्रवाई शुरु हो गयी हैं, लेकिन काम चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए कार्यान्वयन के पूरा होने में समय लगना स्वाभाविक है ।

Administration of Justice at Law Cost

1028. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state.

(a) whether justice in the existing judicial system, right from the lowest court to the High Courts and Supreme Court, has become expensive;

(b) if so, whether Government propose to introduce a scheme to make justice available to the people at low cost; and

(c) the main features of the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi): (a) and (b) The question of making available to the weaker sections of the community and persons of limited means in general and citizens belonging to the socially and educationally backward classes in particular facilities for legal aid and advice was referred to an expert committee on legal aid under the chairmanship of Shri Justice V.R. Krishna Iyer. The Committee has submitted its Report which is under examination. Though a comprehensive scheme as suggested by the Committee has not as yet been formulated, Government have already provided for legal aid to the poor to a limited extent in section 304, Criminal Procedure Code, 1973 and in Order XXXIII of Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1974 and in section 7 (1) (b) of the Advocates Act, 1961.

(c) Does not arise.

"विदेशी बाजार में नेफ्था की बिक्री"

1029. **श्री मधु दंडवते : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी बाजारों में 80 डालर प्रति टन की दर से 1,50,000 टन से अधिक नेफ्था की बिक्री की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मजबूरन निर्यात के कारण क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए नेफ्था के समूचे उत्पादन का अपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) उर्वरक संयंत्रों द्वारा नेफ्था की पहले अनुमानों से कम खापत किए जाने के कारण लगभग 124,000 मीटरी टन नेफ्था का निर्यात किया जा चुका है और इसके अतिरिक्त इस महीने और 20,000 मीटरी टन नेफ्था के निर्यात किए जाने की संभावना है । ये निर्यातें प्रचलित बाजार मूल्यों पर की गई हैं । इन निर्यातों के लगभग 13.48 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ।

(ग) नई उर्वरक परियोजनाएं, जो मुकम्मल होने ही वाली है, को शीघ्र चालू करने तथा वर्तमान परियोजनाओं के अधिकतम क्षमता पर चलाये जाने को सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । आशा है कि नवम्बर के बाद उर्वरक उद्योग में नेफ्था की खपत बढ़ जायेगी ।

"आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औषधियों का उत्पादन"

1030. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यकताओं की तुलना में देश के अन्दर कितनी प्रतिशत औषधियों का उत्पादन होता है ; और

(ख) देश में प्राइवेट औषधि उद्योगों के कुल उत्पादन की प्रतिशतता क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय देश में प्रपुंज औषधों का उत्पादन का मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है जिसमें से सरकारी क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य 18 करोड़ रुपया है । 1972-73 के दौरान आयातित प्रपुंज औषधों का मूल्य 30.88 करोड़ रुपया था। सूत्रयोगों का आयात नहीं के बाराबर है क्योंकि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर सूत्रयोगों के आयात का समान्यता अनुमति नहीं दी जाती है । देश में उत्पादित सूत्रयोगों का मूल्य का अनुमान लगभग 360 करोड़ रुपये है । 1972-73 के दौरान औषध सूत्रयोगों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में लगभग 8 प्रतिशत था ।

"विमानों में प्रयोग किए जाने वाले तेल का अवैध विक्रय"

1031. श्री मौलाना इसहाक सम्भली :
श्री बसंत साठे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडाला स्थित भारतीय तेल निगम के डिपो तथा शांताक्रूज हवाई अड्डे के बीच विमानों में प्रयुक्त होने वाले तेल का अवैध विक्रय करने संबंधी एक नियंत्रित घोटाले का पता चला है ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले , और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) आई०ओ० सी० के बाडला डिपो से सान्ताक्रूज हवाई अड्डे तक भेजे जाने वाले विमानन तेल के गैर-कानूनी रूप से विक्रय के बारे में किसी नियंत्रित घोटाले (रैकेट) की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि बाडला से सान्ताक्रूज तक भेजे जाने वाले एशिएशन टरवाइन फ्यूअल के बारे में चोरी का कुछ संदेह हो जाने पर, आई०ओ०सी० द्वारा सतर्कता बरते जाने पर एक कमचारी को आई०ओ०सी० के टैंक ट्रक से गैर-सरकारी ठेकेदार के टैंक ट्रक में अनाधिकृत रूप से इस उत्पाद को स्थानान्तरित करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था । इस कर्मचारी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है तथा मामले की पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है । संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कारवाई भी आरंभ कर दी गई है ।

नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के विभागीय लेखा अधिकारी (डी० ओ०) के कार्यालय में कार्य कर रहे सब-हैड पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1032. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के विभागीय लेखा अधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रहे सब-हैड पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतें 30 जुलाई, 1974 अतारांकित प्रश्न संख्या 1071 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जांच कार्य पूरा होने के करीब है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) जांच पूरी होने पर जो तथ्य प्रकट होंगे उनके आधार पर इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

मुगलसराय से फैजाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी को एक ट्रक के साथ एक रेलवे फाटक पर टक्कर

1034. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1974 को मुगलसराय से फैजाबाद जाने वाली यात्री गाड़ी की एक रेलवे फाटक पर एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 27-10-1974 को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन 25-10-1974 को जब एम० एफ० मुगलसराय-फैजाबाद सवारी गाड़ी लखनऊ मंडल के फैजाबाद-वाराणसी खण्ड पर अयोध्या और आचार्य नरेन्द्र देव स्टेशनों के बीच जा रही थी, तब यह चौकीदार वाले समपार फाटक नं० 114/बी/2 पर एक ट्रक से टकरा गयी ।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप ट्रक में बैठे पांच व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं ।

मथुरा तेलशोधक कारखाने की स्थापना

1036. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित राशि की कमी तथा देश के तेल शोधक कारखानों की वर्तमान अधिक क्षमता के कारण सरकार प्रस्तावित मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में पुनः विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(ग) इस तेल शोधक कारखाने से हमें तेल शोधन में कितनी सहायता मिलेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) से (ग) मथुरा शोधनशाला प्रयोजना पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श किये गये । प्रायोजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रायोजन का कार्य प्रगति पर है तथा इससे 1978 के मध्य तक पूण हो जाने की आशा है । प्रायोजना के चालू होने पर शोधनशाला प्रतिवर्ष अनुमानतः 6 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल साफ करेगी ।

Improvement in Railway Laws

1037. **Shri Hari Singh:** Will be the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a need has been felt for improving the Railway laws to deal with the present Railway problems; and

(b) if so, the time by which these improvements are likely to be brought about?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) The endeavour is to complete this work as early as possible.

Discussion with Study Team of World Bank on requirement of Fertilizers

1038. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether a "study team" of the World Bank held discussions with his Ministry in September, 1974 regarding India s requirement of fertilizers and reduction in the prices thereof;

(b) if so, the gist there of; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पी० डब्ल्यू० आई० इटारसी (मध्य रेलवे) के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

1039. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० डब्ल्यू० आई० इटारसी, मध्य रेलवे के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण जांच पूरी नहीं की गई;

(ख) क्या पी० डब्ल्यू० आई० इटारसी, मध्य रेलवे, ने लाखों रुपये का दुरुपयोग किया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस स्थापना, जबलपुर शाखा) ने इटारसी मध्य रेलवे के रेलपथ निरीक्षक के विरुद्ध उसकी आमदनी के साधनों से अधिक अनुपात में परिसम्पत्ति रखने के लिए अपनी जांच पूरी कर लेने के बाद 3-10-74 को जबलपुर के विशेष न्यायाधीश को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला अब अदालत में चल रहा है।

रेल सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

1040. **श्री बी० वी० नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो रेल सेवा की प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है;

(ग) क्या स्थानीय लोगों को भाषायी जनता के समान ही समझा जाता है; और

(घ) रेल कर्मचारियों में विभिन्न भाषाओं के वर्गों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भाषा ग्रुपों के आधार पर रेल कर्मचारियों के इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

Sales of Agra Cantonment Railway Catering Service.

1041. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the per day sales of the Agra Cantonment Railway Catering Service between 1st April, 1973 and 30th June, 1973 and between 1st April, 1974 and 30th June, 1974;

(b) the names of the catering Inspectors who were working there during the said period ; and

(c) whether there were more sales during the period from the 1st April, 1974 to 30th June, 1974 as compared to the corresponding period in 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The average daily sales of Agra Cantonment departmental catering unit during the period 1-4-1974 to 30-6-1974 was Rs. 5,600 as against Rs. 4,500 during the period 1-4-1973 to 30-6-1973.

(b) During the period 1-4-1973 to 30-6-1973 Shri D.D. Chedda worked as Catering Inspector and during the period 1-4-1974 to 30-6-1974 Shri Brijendra Singh worked as Catering Inspector.

(c) Yes.

"टूल चैकर्स" कंचरापारा वर्कशाप (पूर्व रेलवे) से ज्ञापन

1042. **श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पूर्व रेलवे के कंचरापारा वर्कशाप से सम्बद्ध "टूल चैकर्स" से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन तीसरे वेतन आयोग के नाम है और इसमें वेतन-मानों के संशोधन और पदोन्नति सारणियों से सम्बन्धित मांगों का उल्लेख है ।

(ग) औज़ार जांचकर्ताओं की ड्यूटी और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर ही वेतन आयोग ने उनके वेतन-मान की सिफारिश की है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । औज़ार जांचकर्ता 150—240 रुपये (प्रा०वे०) 380—560 रुपये (सं० वे०) के ग्रेड में मिस्त्री के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं । आगे पदोन्नति के लिए वे लिपिकवर्गीय संवर्ग में स्थानान्तरण भी करवा सकते हैं ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध फर्मों को कच्चे माल की अनियमित सप्लाई

1043. **श्री पी० एम० सईद:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा औषध फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई नियमित रूप से नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्माताओं को खाली जिलेटिन कैपस्युल का अपना 1974-75 का कोटा अभी तक सप्लाई नहीं किया था;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो औषध निर्माताओं को कच्चे माल को सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पैट्रोलियम संकट के कारण वर्ष 1973 के अन्तिम छमाही तथा 1974 के पूर्वार्ध में औषधों, मध्यवर्ती औषधों तथा रसायनों की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धता कठिन हो गई थी। इसका कुछ मदों की प्रति-प्राप्ति के कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ा। तथापि विटामिन बी-6 और सल्फागोनाडीन जिसकी विश्व बाजार में कमी है को छोड़कर, औषध उद्योग की लगभग समस्त आयातित कच्चे माल जिसे राज्य व्यापार निगम/आई०डी०पी०एल० द्वारा वितरित किया जाता है की आवश्यकताओं को उनकी हकदारी के तथा राज्य औषध नियंत्रकों की सिफारिशों के अनुसार पूरा कर दिया गया था।

(ग) जिलेटिन कैपसूलों का आयात राज्य व्यापार द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं से प्राप्त मांग-पत्रों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत मांग-पत्र केवल मैसर्स पार्क डेविस और आई०डी०पी०एल० से प्राप्त किये गए थे। राज्य व्यापार निगम द्वारा विश्व-बाजार में पूछताछ कर लेने के बाद ही जून 1974 के माल-सप्लाई के आर्डर दिये गए थे तथा राज्य व्यापार निगम विदेशी सप्लायरों से जिलेटिन कैपसूलों को तुरन्त सप्लाई करने के लिए आग्रह कर रहा है। तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ मात्राएं हवाई जहाज से मंगाई जा रही हैं।

(घ) और (ङ) इस समय राज्य व्यापार निगम तथा आई०डी०पी०एल० के पास प्रपुंज औषधों के बहुत बड़े स्टाक हैं।

Observation of Supreme Court on Election Laws

1044. Shri R.V. Bade:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the observation made by the Supreme Court on 8th August, 1974 that:—

"(i) declaration of candidates in the last moment leads to unnecessary huge expenditure and extensive election campaigns."

(ii) putting up a candidate of majority community from a constitutency is doubtful and detrimental for democracy;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether keeping this in view, legal preventive steps would be taken in the ensuing elections if so, salient features thereof and if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government have had a discussion with senior leaders of various political parties in this regard and if so, the salient features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Government's attention has been drawn to the observations of the Supreme Court in the judgment referred to.

(b) and (c) The observations of the Supreme Court will be kept in view at the time of considering amendments to the Election Law.

(d) Government are thinking of holding discussions with the political parties regarding electoral reforms.

हैदराबाद में पकड़ा गया स्क्रैप्स

1045. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हैदराबाद में अनधिकृत व्यक्तियों के पास से रेलवे का 25 लाख रुपये के मूल्य का स्क्रैप्स पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्क्रैप्स का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा इस बारे में कोई जांच करायी गयी है कि इतनी भारी मात्रा में यह स्क्रैप्स अनधिकृत व्यक्तियों के पास किस प्रकार आया; और

(घ) इस जांच के क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन आयकर, बिक्री कर, लोहा और इस्पात नियंत्रक, पुलिस तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 9 और 10 अक्तूबर, 1974 को हैदराबाद और सिकन्दराबाद के विभिन्न निजी डिपुओं पर संयुक्त रूप से मारे गये छापे के दौरान कुछ लोहा और इस्पात का रद्दी माल, जिसके बारे में रेलवे का होने का सन्देह है, इस्पात के व्यापारी मौलाअली की दो फर्मों के पास देखा गया । इन फर्मों ने उस माल के लिए रसीदें प्रस्तुत कीं जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । कोई सम्पत्ति जब्त नहीं की गयी ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में अधिक विदेशी शेयरों के स्वामित्व वाली कम्पनियां

1046. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनमें विदेशों के शेयर हैं;

(ख) 31 अक्तूबर, 1974 को ऐसी कौन-कौन कम्पनियां थीं जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर विदेशों के थे; और

(ग) देश में चल रहीं विदेशों के अधिक शेयर वाली ऐसी कम्पनियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेद ब्रत बरूआ) : (क) 31-3-1973 तक, भारत में कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अन्तर्गत यथा परिभाषित विदेशी कम्पनियों की 202 भारतीय सहायक और विदेशी कम्पनियों की 538 शाखाएं कार्य कर रहीं थीं ।

(ख) यह सूचना कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध नहीं हैं । यह वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित की जा रही हैं ।

(ग) विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के लागूकरण हेतु मार्ग संदर्शिका में वर्णित की गई है ।

राजभाषा (विधायी) आयोग

1047. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा (विधायी) आयोग का पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस आयोग में अभी तक कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और उसका पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) विधि आयोग की तुलना में इस आयोग को निचला दर्जा दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस आयोग का दर्जा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) राजभाषा (विधायी) आयोग 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1976 तक, अर्थात् दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है, जिसके सदस्य इस प्रकार हैं :—

अध्यक्ष .	1
पूर्णकालिक सदस्य	17 (हिन्दी का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 और असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू के लिए एक-एक) ।

अध्यक्ष का पद और सदस्यों के 10 पद अभी भरे नहीं गए हैं । तथापि, सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है और इस बात का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा कि आयोग के सभी रिक्त पद यथासम्भव शीघ्र भर दिए जाएं ।

(ग) और (घ) विधि आयोग की तुलना राजभाषा (विधायी) आयोग से करना उपयुक्त नहीं है । इन दोनों आयोगों को सौंपे गए कृत्य भिन्न-भिन्न हैं । विधि आयोग का कार्य मुख्य रूप से विधियों

का सरलीकरण, एक ही विषय से सम्बन्धित अधिनियमों का समेकन, विधियों के पुनरीक्षण में अपनाई जाने वाली साधारण नीति का सुझाव देना, संविधान के कार्यकरण का पुर्नविलोकन और संविधान में दिए गए निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने की दृष्टि से उसमें संशोधनों के सुझाव देना, आदि हैं। आयोग को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग में अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति और सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालयों के प्रख्यात न्यायाधीश, विधिवेत्ता, आदि होते हैं।

राजभाषा (विधायी) आयोग का कार्य मुख्य रूप से यथासम्भव सभी राजभाषाओं में उपयोग किए जाने के लिए विधि शब्दावली तैयार करना और सभी केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के, तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी ऐसे अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करना है। इन कार्यों को करने के लिए, आयोग में एक अध्यक्ष जो साधारणतः उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के लिए पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त/सेवारत ज़िला न्यायाधीश, अधिवक्ता और विश्वविद्यालय के अध्यापक होते हैं और जो उन भाषाओं में प्रवीण होते हैं जिनका वे आयोग में प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग के गठन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली शाहदरा स्टेशन पर पार्सलों के लिए स्थान

1048. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली शाहदरा स्टेशन, दिल्ली डिवीज़न पर बाहर जाने के लिये बुक किये गये पार्सलों को रखने के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है और इन्हें खुले प्लेटफार्म पर असुरक्षित तथा बिना देखभाल के छोड़ दिया जाता है;

(ख) क्या इस सुविधा के उपलब्ध न होने के कारण वहां चोरी की बहुत सी घटनाएँ हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्टेशन पर सामान की उपयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये प्रशासन का क्या प्रबन्ध करने का विचार है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली-शाहदरा स्टेशन पर एक पार्सल गोदाम है जो कि औसत आमद को सम्भालने के लिए पर्याप्त है। केवल अप्रत्याशित रूप से भारी आमद के दिनों में ही पार्सलों को पूर्ण सुरक्षित रूप में प्लेटफार्मों पर रखा जाता है।

(ख) चोरी की कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली थी लेकिन, स्थान की कमी को इसका प्रत्यक्ष कारण नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) उत्तर रेलवे को सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने का निदेश दे दिया गया है।

बंकाल की खाड़ी तथा कच्छ बेसिन में तेल के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण

1049. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के लिए बंगाल की खाड़ी तथा कच्छ के बेसिन में इस बीच भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार ने जिन दो अमरीकी कम्पनियों से समझौता किया था, उन्हें तेल की खोज के कार्य का आवश्यक अनुभव तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उनके अनुभवों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कार्ल्स वर्ग समूह की जिन संघटक कम्पनियों को बंगाल के अपतटीय थल में तेल अन्वेषण की संविदा दी गई है उनको यू०एस०ए०, साउथ अमेरिका और इण्डोनेशिया का आपस में तेल अन्वेषण सम्बन्धी अनुभव है । रीडिंग और बेट्स समूह के जिन संघटक सदस्यों को कच्छ के अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण संविदा प्रदान की गई है, उनको विश्व व्यापी व्यधन अनुभव के अलावा इण्डोनेशिया और य०एस०ए० का आपस में तेल अन्वेषण का अनुभव है ।

लिबिया में तेल के आयात के लिए करार

1050. श्री सी० के० चद्रप्पन्न :

श्री एम० एस० पुरती :

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को लिबिया से तेल प्राप्त होगा;

(ख) क्या त्रिपोली में इन दो देशों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सितम्बर, 1973 में तेल उद्योग में सहयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा लीबिया सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार समझौते को लागू करने के कार्य की देखरेख तथा देशों के बीच तकनीकी सहयोग में प्रोत्साहन तथा वृद्धि करने के लिए तेल पर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी । 9 से 12 अक्तूबर तक संयुक्त समिति की त्रिपोली में हुई प्रथम बैठक में सिद्धान्त रूप में

यह निर्णय हुआ था कि 1975 के दौरान भारत लीबिया से 2 मीलियन मीटरी टन अशोधित तेल की खरीद करेगा जिसकी शर्तें बाद में निर्धारित की जायेगी। भारत इस अशोधित तेल को उर्वरक के विनिमय करने की सम्भावनाओं का पता लगाएगा।

मार्टिन लाइट रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों की शिकायतें

1051. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मार्टिन लाइट रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों ने उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(i) ऊंचे ग्रेडों में नियुक्ति।

(ii) प्राप्त अन्तिम वेतन का संरक्षण।

(iii) कलकत्ता क्षेत्र को स्थानान्तरण।

(iv) वरिष्ठता निर्धारित करना।

(v) क्वार्टरों की व्यवस्था करना।

(ग) भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के जिन कर्मचारियों की जांच की गई थी और जिन्हें योग्य पाया गया था, उन्हें विभिन्न रेलों पर नियुक्तियां दी गई हैं। उन सभी कर्मचारियों को उन्हीं कोटियों में समाहित नहीं किया जा सका जिनमें कि वे भूतपूर्व लाइट रेलवे पर काम कर रहे थे। लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि इन सभी कर्मचारियों को अपनी पिछली परिलब्धियों का संरक्षण मिले। चूंकि, भूतपूर्व लाइट रेलवे के कर्मचारियों को नए कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है इसलिये वरिष्ठता, क्वार्टरों के आवंटन आदि के सम्बन्ध में उनकी सेवा की शर्तें उन्हीं कोटियों के कर्मचारियों पर लागू वर्तमान नियमों द्वारा शासित होंगी।

महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कलकत्ता को हिदायतें जारी की गई थीं कि लाइट रेलवे के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुरोधों पर अनुकूल विचार किया जाये। कुछ कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके पहले ही इस परियोजना में नियुक्त किया जा चुका है। भूतपूर्व लाइट रेलवे के कर्मचारियों के पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों को स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुरोधों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

न्यायालयों में रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

1052. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध देश के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं जिन्होंने मई, 1974 की हड़ताल में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) हड़ताल के बाद की स्थिति को देखते हुये क्या सरकार ने अन्य आन्दोलनों की भांति इन मामलों को वापस लेने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कैसे?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 5,300 मामले हैं।

(ख) यह सूचना स्टेशन-वार नहीं रखी जा रही है।

(ग) और (घ) जहां कर्मचारियों ने देश के कानून की अवहेलना की है और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया है उन मामलों में समुचित कार्रवाई की गई है और इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि

1053. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में, रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों की रक्षा करने तथा अपराधियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे मामले 'कानून और व्यवस्था' के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पुलिस, जिसमें रेलवे पुलिस शामिल है, राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें रेल गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अपने उपलब्ध साधनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं जैसे रात में चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्ग रक्षी की व्यवस्था करना, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सादे लिबास में हथियार-बन्द पुलिस द्वारा संदिग्ध अपराधियों का पीछा करना, स्टेशन प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में पुलिस गश्ती दल को नियमित रूप से तैनात करना, अपराधियों और कुख्यात बदमाशों पर निगरानी रखना, विनिर्दिष्ट अपराधों और निवारक कानूनों के अन्तर्गत अपराधियों पर मुकदमे चलाना।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इंडेन ऐजेन्सियों तथा पैट्रोल पम्पों का आबंटन

1054. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 तक आबंटित 94 'इंडेन' ऐजेन्सियों तथा 1047 परचून आउटलेटों (पेट्रोल पम्पों) में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केवल एक इंडेन एजेन्सी तथा दो परचून पम्पों का आवंटन किया गया ;

(ख) क्या उनका ध्यान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के 21 के प्रतिवेदन के पैरा 3.116 में की गयी इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम की उपरोक्त नीति को व्यवहारिक रूप देने के बारे में और क्या अग्रिम कदम उठाये गए हैं और अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों को किए गए इस प्रकार के आवंटन संबंधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग) 31 दिसम्बर, 1973 तक आई० ओ० सी० की नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आई० ओ० सी० को ऐजेन्सियों/डीलरशिपों के आरक्षण करने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी । तथापि नवम्बर, 1969 से बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिलाने की परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के अन्य बातों के उपयुक्त होने पर चयन पर बल दिया जाने लगा था । अब 1-1-1974 से आई० ओ० सी० की 25 प्रतिशत ऐजेन्सियों/डीलरशिपों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है । 1 जनवरी 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक आई० ओ० सी० ने अपनी ऐजेन्सियों/डीलरशिपों आदि को देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को 18 नियुक्ति-पत्र जारी किये हैं ।

पारादीप में उर्वरक कारखाना

1055. **श्री गजाधर मांझी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये की कमी से उर्वरक संबंधी कठिन परिस्थिति को जटिल बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी मित्रराष्ट्र से पारादीप उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के कुल व्यय को वहन करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में हड़ताल के कारण विभिन्न वर्गों में दण्ड प्राप्त करने वाले कर्मचारी

1056. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1974 की हड़ताल के कारण पश्चिम रेलवे में डिवीजन-वार तथा वर्कशाप-वार कितने स्थायी, अस्थायी मासिक वेतन पाने वाले तथा दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए गए, हटाए गए अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त की गयीं ;

(ख) इस बीच प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी काम पर वापस ले लिए गए हैं ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी अभी वापिस लिए जाने हैं ; और

(घ) बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8497/74]

(घ) कर्मचारियों की व्यक्तिगत अपीलों की हर मामले के आधार पर समीक्षा की जा रही है । यह प्रक्रिया जारी है और इन मामलों की यथासंभव शीघ्र समीक्षा करने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है । नैमित्तिक मजदूरों को पुनः काम पर लगाने का मामला काम संबंधी आवश्यकताओं और साधनों की स्थिति पर भी निर्भर करता है ।

उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय

1057. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री समर गुह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पांच उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये कब स्थापित किए जायेंगे ;

(ग) ये किन राज्यों में स्थापित किए जायेंगे ;

(घ) प्रत्येक संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) जी हां, इन उर्वरक संयंत्रों का भटिंडा (पंजाब) पानीपत (हरियाणा) मथुरा (उ० प्रदेश) पारादीप (उड़ीसा) और ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में स्थापना करने का प्रस्ताव है । भटिण्डा और ट्राम्बे (II) प्रयोजनाओं को कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है । पहले संयंत्र पर 138.40 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और अक्तूबर, 1977 तक उसके पूर्ण होने की आशा की जाती है जबकि दूसरे संयंत्र पर 111.40 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है और वर्ष 1977 के अन्त तक उसके पूरे हो जाने की आशा है । अन्य तीन प्रायोजनाओं में पानीपत और मथुरा प्रयोजनाओं पर क्रमशः 140 करोड़ रुपय और 146 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जबकि पारादीप प्रायोजना की लागत के अनुमान का अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । ज्योंही अर्थ व्यवस्था और अन्य प्रबन्धों के पूरा हो जाने पर इन तीन प्रयोजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू किया जाएगा ।

छोटे कार्यों के ठेके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को देना

1059. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवेज में छोटे कार्यों के ठेकों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक रेलवे में ऐसे कितने ठेके दिये गये हैं और इनमें से (एक) अनुसूचित जातियों (दो) अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने-कितने ठेके दिये गये ; और

(ग) जिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ठेकेदारों ने छोटे कार्यों के ठेकों को भलिभांति पूरा किया है उन्हें बड़े कार्यों के ठेके देने में भी कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। खान और खोमचे के छोटे-छोटे यूनिट देते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है।

(ख) पूर्व रेलवे को छोड़कर प्रत्येक रेलवे में इस तरह के ठेकों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। पूर्व रेलवे से संबंधित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसे यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) खान-पान की बड़ी यूनिटों के ठेकों के लिए भी अन्य बातें समान अथवा लगभग समान होने पर अनुपूचित जाती/जनजाति के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है।

विवरण

रेलवे	1972-73 और 1973-74 में दिये गये ठेकों की कुल संख्या	1972-73 और 1973-74 में दिये गये ठेकों की संख्या		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	जोड़
1	2	3	4	5
मध्य	24	4	—	4
पूर्व	*	*	*	*
उत्तर	163	15	—	15
पूर्वोत्तर	90	—	1	1
पूर्वोत्तर सीमा	7	7	—	7
दक्षिण	55	1	—	1
दक्षिण मध्य	70	1	1	2
दक्षिण पूर्व	71	2	6	8
पश्चिम	80	6	1	7

*सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

मोटर गैसोलीन के निर्यात के लिए निर्णय

1060. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों पर दबाव को कम करने के लिए मोटर-गैसोलीन का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) उर्वरक एककों द्वारा कम माल उठाने से नेफथा के स्टाक में संचय के कारण नैफ्था और/अथवा मोटर गैसोलीन दोनों के निर्यात करने की योजना थी। चूंकि मोटर गैसोलीन के निर्यात के संबंध में कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये थे अतः नेफ्था का ही निर्यात किया गया था।

सस्ते मूल्यों पर औषधियों की उपलब्धता

1061. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जनसाधारण को सस्ते मूल्यों पर औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और ख) औषधों के मूल्यों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत सावधिक रूप में नियंत्रित किया जाता है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लागू होने से औषधों के मूल्यों को पूर्ण रूप में युक्तियुक्त स्तरों तक रखना संभव हो सका है। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में औषध उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में शेयरों के पर्याप्त विस्तार करना तथा उत्पादों की संख्या जिनके लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है, में उत्तरोतर वृद्धि करना भी सम्मिलित है।

(ग) एक योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य आवश्यक यथोचित मूल्यों पर औषधों को उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण जनता विशेषकर दूरस्थ स्थानों में रहने वाली जनता के घरेलू उपचार में काम आने वाले औषधों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। आम प्रयोग में आने वाले औषधों तथा दवाइयों को आम जनता को यथोचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित उपायों की जांच अधिकांश खपत की आवश्यक वस्तुओं पर योजना आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की गई है। सरकार ने श्री जायसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जिसके विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों को सम्मिलित करती है :—(i) उपभोक्ताओं के लिए औषधी के मूल्य को कम करने के संबंध में अभी तक उठाये गए कदमों को जांच करना तथा औषध एवं सूत्रयोगों के मूल्यों में सुधार करने के लिए आवश्यक समझी गई ऐसे और उपायों की सिफारिश करना (*ii*) आम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधों तथा घरेलू औषधों की व्यवस्था करना। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

किशनगंज (दिल्ली) की मिनरल साईडिंग पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का उतारा जाना

1062. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज (दिल्ली) रेलवे के प्राधिकारी प्राइवेट व्यापारियों की मालशेड प्लेटफार्म पर आर० सी०सी० पाइपों से लेकर पोटाश तथा सल्फर जैसी कोई भी वस्तु उतारने की अनुमति देते हैं जबकि भारतीय खाद्य निगम को मिनरल साईडिंग पर खाद्यान्नों को उतारने के लिए कहा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खराब फर्श तथा भूमि पर खनिज पदार्थों के यहां पर होने के कारण खाद्यान्नों को मिनरल साइडिंग पर उतारना जोखिम से भरा है और यह खर्चीला भी है तथा इससे विलम्ब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या किशनगंज रेलवे प्राधिकारियों को देने के लिए अनुदेश तैयार किये गये हैं कि मालशेड पर खाद्यान्नों को उतारने की अनुमति दी जाये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, अनाज माल गोदाम में उतारा जाता है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही, जब मालगोदाम घिरा होता है तब, अनाज को खनिज साइडिंग में उतारा जाता है, किन्तु इससे पहले उन्हें दूषण से और प्रकृति के उत्पात से बचाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) किशनगंज मालगोदाम पर अनाज पहले ही उतारा जा रहा है ।

गोहाटी तेलशोधक कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण के बारे में नोटिस

1063. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों के नोटिस की प्रतियां आसाम के संसद सदस्यों तथा विधायकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों को भेजना शुरू कर दिया है जैसा इस समिति (पांचवीं लोक सभा) ने अपने छटे प्रतिवेदन में सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा का अनुसरण किस तारीख से किया जा रहा है; और

(ग) यदि इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश जो सरकार के अधीन पदों/सेवाओं के लिए लागू हैं उन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को उपलब्ध करने में निम्नलिखित कदम उठाने के लिए व्यवस्थाएं हैं :—

(1) आरक्षित रिक्त स्थानों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करना ।

(2) समाचार पत्रों में आरक्षित रिक्त स्थानों का विज्ञापन देना।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त संस्थाओं को आरक्षित रिक्त स्थानों की सूचना देना ।

इसी प्रकार की पद्धति सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारतीय तेल निगम सहित सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के अधीन सेवाओं के संबंध में भी निर्धारित है । चूंकि भारतीय तेल निगम को जारी किए गए निर्देश की आरक्षित रिक्त स्थानों की सूचना की प्रतियां संसद सदस्यों और राज्य विधायकों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए संसदीय समिति के सदस्यों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय तेल निगम इस पद्धति का पालन नहीं कर रहा है ।

'कन्टेनर' सेवा का लागू किया जाना

1064. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अधिक भाड़ा मिलने वाली यातायात आकर्षित करने तथा आय में सुधार करने के लिये बड़े पैमाने पर 'कन्टेनर' सेवा लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कंटेनर सेवा सबसे पहले 1966 में बम्बई और अहमदाबाद के बीच शुरू की गयी थी । अब यह सेवा 11 मार्गों पर उपलब्ध है और इसका धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है ।

(ख) कंटेनर सेवा घर से घर माल पहुंचाने की एक तेज सेवा है जिसमें रेल और सड़क परिवहन दोनों के लाभ निहित हैं । माल भेजने वाले अपनी परिसीमा में 4.5 मीटरिक टन और 5 मीटरिक टन वहन क्षमता वाले कंटेनरों में माल का लदान करते हैं । लदे हुए कंटेनरों को रेलें अपने विशेष डिजाइन के सड़क वाहनों में लादकर स्टेशन ले जाती हैं । वहां उन्हें क्रेन द्वारा रेलवे के विशेष माल डिब्बों में अन्तरित कर दिया जाता है और तेज माल गाड़ियों द्वारा गन्तव्य स्टेशनों तक ले जाया जाता है । गन्तव्य स्टेशनों पर फिर उन्हें सड़क वाहनों पर लादकर सुपुर्दगी के लिए माल पाने वाले की परिसीमा में पहुंचा दिया जाता है ।

चूंकि स्वयं कंटेनर ही एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक पहुंचाता है इसलिए परम्परागत रेल परिवहन में निहित माल को बार-बार चढ़ाने-उतारने की आवश्यकता नहीं रह जाती और इससे माल की उठाईगिरी और क्षति की संभावना कम हो जाती है । इससे ग्राहकों पर पड़ने वाली पैकिंग की लागत में भी काफी बचत होती है ।

पंजाब को डीजल आयल का आबंटन

1065. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने इस राज्य को अधिक डीजल आयल के आवंटन के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर 1974 के दौरान पंजाब को कितनी मात्रा में डीजल आयल सप्लाई किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी हां । पंजाब सरकार ने राज्य को अधिक डीजल का आबंटन करने का अनुरोध किया है । तथापि, डीजल तेल की सप्लाई इस समय निर्बाध है और कोटे के राज्य बार आवंटन नहीं किये जाते । पंजाब की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है और तेल कम्पनियों ने सप्लाई में अपेक्षित मात्रा तक वृद्धि कर दी है । डीजल की सप्लाई के राज्यवार आंकड़े नहीं बनाये जाते हैं ।

Implementation of Scheme for Free Legal Aid to Poor

1066. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States where the scheme for providing legal aid to poor in courts has been implemented;

(b) the reasons for not introducing this scheme in the remaining States; and

(c) when this scheme is likely to be implemented throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Presuming that the Hon'ble Member is referring to the comprehensive legal aid scheme recommended by the Committee under the chairmanship of Shri Justice Krishna Iyer, the answer is that as yet the recommendations are under examination of the Central Government.

(b) and (c) Do not arise.

नए उर्वरक संयंत्र आरम्भ करने का निर्णय

1067. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान नए उर्वरक संयंत्र आरम्भ करने का निर्णय किया है जबकि वर्तमान संयंत्रों में उनकी अधिस्थापित क्षमता से 60 प्रतिशत से भी कम क्षमता का उपयोग होता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनमें क्षमता का कम उपयोग किया गया; और

(ग) इन परिस्थितियों में क्या नये संयंत्र लगाने तथा वर्तमान क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के बारे में सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पांच वृत्ताकार उर्वरक प्रायोजनाएं सरकारी क्षेत्र में और एक सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का सरकार का निर्णय है ।

(ख) जबकि पुराने और क्षीण संयंत्रों में से कुछ जैसे सिंदरी, अलवाय, नेवाली आदि में उस क्षमता के प्रयोग करने में कमी आ गई है । आधुनिक प्रक्रिया पर आधारित एककों का निष्पादन सन्तोषजनक है । बाह्य बाधाओं जैसे बिजली बन्द होने आदि श्रमिक समस्याओं से उनको समग्र रूप से क्षमता का

क्या प्रयोग हुआ है । रुकावटें दूर करने, नवीनीकरण, आधुनिकरण आदि जैसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि चालू एककों के कार्य में सुधार हो सके । उर्वरक एककों को पर्याप्त और स्थिर रूप से बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग मांगा गया है ।

(ग) उर्वरकों की मांग के अनुसार देशीय उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है जिसमें अतिरिक्त क्षमता का बढ़ाना और विद्यमान एककों में अधिकतम उत्पादन करने के लिए उपरिनिर्दिष्ट उपाय शामिल

उर्वरकों का कम उत्पादन

1068. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर तथा अन्य स्थानों में स्थित उर्वरक एकक अपनी निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पुराने संयंत्रों जैसे सिन्दरी, अलवैय तथा नैवेली आदि में क्षमता का उपयोग कम है, आधुनिक प्रक्रिया पर आधारित अन्य एककों के कार्य निष्पादन संतोषजनक हैं । बाद के यूनिटों का क्षमता का उपयोग अच्छा होता किन्तु कुछ वाह्य बाधाओं मुख्यतः विद्युत के कारण अच्छा नहीं हो सका । अधिकतम उत्पादन करने हेतु अनेक उपाय जैसे परिचालित एककों का नवीकरण, अड़चनों को दूर करना तथा आधुनिकीकरण, किये गये हैं । किये जा रहे हैं । दुर्गापुर उवरक संयंत्र में मुख्यतः औद्योगिकी बाधाओं के कारण उत्पादन को अभी स्थिर नहीं किया गया है । इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा संयंत्र को कार्यान्वयन को सन्तोषजनक स्तर तक लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

औषधियों की कमी

1069. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में औषधियों की कमी विदेशी औषध निर्माताओं तथा बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उत्पन्न की गयी है और इस कमी की पूर्ति के लिए अत्यधिक खपत वाली औषधियों के उत्पादन के लिए 2 करोड़ रुपये के मूल्य तक उत्पादन सीमा संबंधी नीति बहुत हद तक जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में अत्यावश्यक औषधों की सामान्य अथवा अत्यधिक कमी नहीं है । भारतीय कम्पनियों, विदेशी कम्पनियों तथा बड़े-बड़े घरानों द्वारा निर्मित मुख्यतः साध्य ब्रांड के कुछ औषधों की यदा-कदा कमियों के बारे में समय-समय पर राज्य औषध नियंत्रकों से इस मंत्रालय को रिपोर्ट मिलती रहती है । इन के लिए, अन्य निर्माताओं को इसी प्रकार की दवाइयां सामान्य रूप से उपलब्ध हैं । प्रपुंज औषधों के उत्पादन

से बिक्री को संबद्ध करने की नीति का अनुसरण सामान्य रूप से भेषज उद्योग के लिए सुदृढ़ आधार स्थापित करने तथा इस के अधिक विकास किये जाने की दृष्टि से किया जाता है । थोड़ी बिक्री वाली फर्में इस संयोजन से मुक्त हैं । अतः औषधों की उपलब्धि औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली फर्मों के लिए बिक्री को प्रपुंज औषधों के उत्पादन से संबद्ध करने की नीति से संबंधित नहीं समझी जा सकती ।

(ख) कमी होने के कारणों तथा औषधों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र में किया गया है ।

विवरण

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये आयात कार्यक्रम गत वर्ष के दिसम्बर माह में देश की प्रपुंज औषधों की मांग तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किये जाने वाले मध्यवर्ती औषधों तथा अनुमानित देशीय उत्पादन के आधार पर बनाया जाता है । पैट्रोलियम संकट के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधों के मूल्य बड़ी तीव्रता से बढ़ गये थे और अक्तूबर 1973 से उपलब्धता में बहुत कठिनाई हो गयी थी । ऐसा होने पर भी राज्य व्यापार निगम विटामिन बी-6 तथा सल्फागुनाडाइन को छोड़कर अन्य औषधों का पर्याप्त मात्रा में क्रय करने हेतु ठेका करने में सफल हुआ है । लेकिन अनेक मदों की कठिन उपलब्धता के कारण माल शीघ्र प्राप्त करने के कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकी । तथापि, अब अधिकांश मदों की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा चुकी है । और प्रपुंज औषधों तथा मध्यवर्ती औषधों के बड़े स्टाक भारतीय राज्य व्यापार निगम और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पास उपलब्ध हैं । सल्फागुनाडाइन की कम उपलब्धि को फैथेलिल सल्फाथियाजोल, जो इसका विकल्प है, के आयात द्वारा पूरा किया गया ।

(2) कच्चे माल के मूल्यों तथा अन्य निवेश लागत में असाधारण वृद्धि हो जाने के कारण, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को मूल्य में वृद्धि करने हेतु असाधारण रूप से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । जहां तक प्रपुंज औषधों का संबंध है, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को केवल कच्चे माल तथा निवेशों के मूल्यों में हुई वृद्धियों पर आधारित अंतरिम मूल्य संशोधनों का सुझाव देने के निदश दिये गये हैं । सूत्रयोगों के लिए अंतरिम मूल्य संशोधन की पद्धति को भी कारगर बनाया गया है और इस बारे में बी आई सी पी को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर दिये गये हैं । औषध का उत्पादन करने वाले उन यूनिटों, जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को उनके सूत्रयोगों के मूल्यों के बारे में सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है ।

(3) कमियों के बारे में राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त हुई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में नियतकालिक बैठकें बुलाई जाती हैं । कमियों के दृष्टान्त जब कभी भी सरकार के ध्यान में आते हैं तो संबंधित निर्माताओं को साथ पत्र-व्यवहार किया जाता है और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं को आयातित आधार पर पूरा करने का परामर्श दिया जाता है ।

(4) अपर्याप्त उत्पादन के कारण जब कभी कमियां होती हैं, उत्पादन बढ़ाये जाने की दृष्टि से बाधाएं दूर करने के प्रयत्न किये जाते हैं और जब ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है तो आयात लाइसेंसों की सिफारिश की जाती है या राज्य व्यापार निगम की मार्फत औषधों के आयात के प्रबंध किये जाते हैं ।

44 LSS/74—6

(5) आयात नीति के अन्तर्गत सुव्यवस्थित आयात कर्त्ताओं को उनके कोटा लाइसेंसों के प्रति उन अत्यावश्यक जीवन-रक्षक औषधों का आयात करने की इजाजत दी जाती है जिनका देश में उत्पादन नहीं होता ।

(6) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा अस्पतालों को आयात व्यापार नियंत्रण विनियमन के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकताओं के बिना क्रमश: 200 रुपये तथा 1000 रुपये की वित्तीय सीमा तक इलाज के लिये अपेक्षित औषधों का आयात करने की भी इजाजत है ।

(7) ऐसे मामलों जहां फर्मों द्वारा रखे हुए सुव्यवस्थित निर्यात कर्त्ताओं के लाइसेंस उन के द्वारा बेचे जा रहे आवश्यक औषधों के आयात के लिये पर्याप्त नहीं हैं, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऐसे औषधों के आयात के लिये तदर्थ लाइसेंस दिये जाते हैं ।

संयंत्रों में उर्वरकों का जमा हो जाना

1070. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संयंत्रों में भारी तादाद में उर्वरक जमा हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी एस एफ सी, राउरकेला और कोचीन उर्वरक संयंत्र के मामलों के अलावा निर्माता एककों द्वारा उर्वरकों की भारी मात्रा में जमा करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । राउरकेला और कोचीन में इसके जमा होने का कारण बैगनों का अभाव बतलाया जाता है और जी एस एफ सी के माल के जमा होने का मुख्य कारण यह बतलाया जाता है कि इस कंपनी के विपणन इलाके में भंयकर सूखे की स्थिति है ।

राजधानी एक्सप्रेस में बड़ौदा के लिए पांच और सीटों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

1071. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस में बड़ौदा के लिये पांच और सीटों की व्यवस्था करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का विचार राजधानी एक्सप्रेस को बड़ौदा स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 पर खड़ी करके यात्रियों की असुविधा कम करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रेस में प्रत्येक संसद् सदस्य के साथ एक व्यक्ति को रहने की अनुमति देने का भी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) अप और डाउन गाड़ियों के लिये प्लेटफार्म नामित रहते हैं इसलिये डाउन राजधानी को अप प्लेटफार्म पर लेना परिचालन की दृष्टि से वांछित नहीं है ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

कालका मेल, फ्रंटियर मेल तथा ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस द्वारा समय की पाबन्दी बनाये रखा जाना

1072. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप और 2 डाउन कालका मेल, 31 अप और 32 डाउन फ़्रंटियर मेल तथा 15 अप और 16 डाउन ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के संबंध में गत छह महीनों के दौरान समय की पाबन्दी किस हद तक रखी गई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन गाड़ियों के यात्रियों पर लगाये गये अधिभार को हटाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अक्तूबर, 1974 में समाप्त होने वाली छमाही में 1 अप/2 डाउन हावड़ा दिल्ली मेल, 3 डाउन/4 अप बम्बई-दिल्ली फ़्रंटियर मेल और 15 डाउन/16 अप मद्रास-नयी दिल्ली जीटी/ए सी एक्सप्रेस की समय पालन प्रतिशतता का विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

गाड़ी सं० और विवरण	समय पालन प्रतिशत					
	मई 74	जून 74	जुलाई 74	अगस्त 74	सितम्बर 74	अक्तूबर 74
1. अप हावड़ा-दिल्ली मेल .	रेलवे	10.00	43.3	51.6	80.0	'42.0
2. डाउन दिल्ली-हावड़ा मेल .	हड़ताल	23.3	48.4	48.4	50.0	45.1
3. डाउन बम्बई-दिल्ली फ़्रंटियर मेल	,,	70.0	50.0	58.0	80.0	61.3
4. अप दिल्ली-बम्बई फ़्रंटियर मेल . .	,,	50.0	70.9	87.0	83.3	83.9
15. डाउन मद्रास-नयी दिल्ली जीटी/एसी एक्सप्रेस	,,	30.0	61.2	67.7	89.9	83.9
16. अप नयी दिल्ली-मद्रास जीटी/एसी एक्सप्रेस	,,	73.3	77.4	83.8	89.9	80.7

आर्मस्ट्रोंग स्मिथ लिमिटेड, कलकत्ता

1073. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनका ध्यान आर्मस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड, कलकत्ता में की गई गैर-कानूनी छंटनी तथा वहां के कुप्रशासन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद ब्रत बरुआ) : (क) कलकत्ता में कम्पनी के इंजीनियरिंग प्रभाग में छः कर्मचारियों की छटनी तथा स्वर्गीय श्री जी० डी० मोरारका के अधीन पहले के प्रबन्धक वर्ग द्वारा कम्पनी के कार्य में कुप्रबन्ध के आरोपों युक्त शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) तथा (ग) आम्र्संस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड, वेलापुर शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लि० की एक सहायक कम्पनी है। केन्द्रीय सरकार ने, सूत्रधारी कम्पनी के निदेशक मंडल में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत दो निदेशक नियुक्त किये थे। की गई जांचों से प्रदर्शित हुआ कि दिसम्बर, 1973 में सहायक कम्पनी का निदेशक मंडल, सूत्रधारी कम्पनी के निदेशक मंडल में धारा 408 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त दो निदेशकों के प्रतिष्ठापन द्वारा पुनर्रचित कर दिया गया था। मै० आर्म्सस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड उन माप दण्डों पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा इसकी कलकत्ता शाखा में कम्पनी के इंजीनियरिंग कार्य से लाभ अर्जित हो सके। इस कम्पनी के वर्तमान निदेशक मंडल ने औद्योगिक परामर्शदाताओं की एक विख्यात फार्म की व्यावसायिक सेवायें हासिल की हैं। कथित इंजीनियरिंग शाखा में 30 के लगभग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो लगभग 2 या 3 वर्ष से बिल्कुल अस्थाई आधार पर कार्य कर रहे थे। औद्योगिक परामर्शदाताओं द्वारा की गई जांच-पड़ताल से प्रदर्शित हुआ था कि वहां दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये कार्य नहीं था। अतः निदेशक मंडल ने ऐसे छः कर्मचारियों, जो कलकत्ता शाखा की आवश्यकता से अतिरिक्त पाये गये थे, की सेवायें समाप्त कर दीं।

मैसर्स फाइजर्स द्वारा ओक्सोटेट्रासाइक्लीन का उत्पादन

1074. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओक्सोटेट्रासाइक्लीन के लिये मेसर्ज फाइजर्स की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उसका उत्पादन क्या था ;

(ख) इस अवधि में उन्होंने असम्बद्ध फार्मूलेटरों को कितनी मात्रा उपलब्ध की ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ओक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित 'फार्मूलेशनों' का कितना उत्पादन था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

(किलो ग्राम में)

क्षमता	उत्पादन		
	1971	1972	1973
9000	29,456	36,587	39,719

(ख) इन वर्षों में मैसर्स फाइजर्स ने असम्बद्ध सूत्रयोगकों को कोई मात्रा नहीं भेजी थी। यह उनके लाइसेंस की शर्तों में से नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

ट्राम्बे उर्वरक परियोजना

1075. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, आस्ट्रिया और इटली से वित्तीय सहायता सहित ट्राम्बे उर्वरक परियोजना की चौथी और पांचवी अवस्थाओं के लिये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) विश्व बैंक तथा उपरोक्त दोनों देशों द्वारा कुल कितनी सहायता की पेशकश की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार ने ट्राम्बे संयंत्र का दो चरणों, ट्राम्बे-4 तथा ट्राम्बे-5, में विस्तार करने की अनुमति दे दी है । ट्राम्बे-4 योजना में 19 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष 361,000 मीटरी टन निट्रोफास्फेट का उत्पादन किया जाना निहित है । इस परियोजना की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकता 33 मिलियन डालरों के ऋण, जिसके लिए विश्व बैंक से बातचीत की जा चुकी है, में से पूरी की जायेगी । इस परियोजना के 1977 के प्रारंभ में उत्पादन शुरू कर देने का कार्यक्रम है ।

ट्राम्बे-5 योजना में प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया का उत्पादन किया जाना निहित है ; और ट्राम्बे-4 की अमोनिया संबंधी आवश्यकता पूरी करने के बाद, शेष मात्रा को ट्राम्बे-5 द्वारा यूरिया का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । इस परियोजना ; जिस पर (28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अंश सहित) 111 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, ये अप्रैल, 1978 में उत्पादन शुरु हो जाने की संभावना है । प्रारंभ में यह आशा थी कि इस परियोजना की लागत इटली तथा आस्ट्रिया के ऋणों से पूरी की जायेगी । ऋणों की उपलब्धि में बाद में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, आस्ट्रिया, डच तथा फ्रांस के ऋणों का इस्तेमाल किया जाना निहित है ।

रेलवे को छपाई की मशीनें और सामान सप्लाई करने वाली फर्में

1076. श्री टुना उरांव :
श्री लुतफल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन फर्मों ने रेलवे को छपाई की मशीनें और सामान सप्लाई किया ;

(ख) क्या रेवले बोर्ड ने जुलाई, 1973 में कलकत्ता की एक फर्म को पांच वर्ष तक के लिए काली सूची में रख दिया था ; यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध की गई शिकायत की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस समय रेलवे फर्मों में बिना किसी प्रतियोगिता के छपाई की मशीनें और सामान खरीद रहा है ; और

(घ) रेलवे द्वारा छपाई की मशीनें और सामान की, की जाने वाली खरीद की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलों को छपाई की मशीनें और सामान सप्लाई करने वाली फर्मों की एक सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8498/74]**

(ख) जी नहीं । लेकिन अनुचित व्यवसायिक व्यवहार करने के कारण कलकत्ता की एक फर्म से व्यापारिक लेन देन पर जुलाई, 1973 में 5 वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

(ग) जी नहीं । रेलें प्रतियोगी टेंडर व्यवस्था के आधार पर छपाई की मशीनें और सामान खरीदती हैं।

(घ) छपाई की मशीनें और सामान खरीदते समय रेलें टेंडर स्वत्वधारिता, एकल, सीमित अथवा विज्ञापित, आमंत्रित करने की सामान्य प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कि खरीद-मूल्य और सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करते हैं । 50,000 रु० से अधिक की सामग्री सामान्यत: सम्भरण एवं निपटान महानिदेशालय के जरिये खरीदी जाती है ।

पांचवीं योजना अवधि में जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन के लिये राशि का नियतन

1077. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन के निर्माण को आरम्भ करने के लिये कोई राशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चालू वर्ष, 1974-75 में, जो कि पांचवी योजना का प्रथम वर्ष है, 5 लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गयी है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के उत्तरवर्ती वर्षों में उपलब्धता के आधार पर और आंशिक रकम का वर्षवार आबंटन किया जायेगा ।

गार्डों के स्थान पर अन्य संगचल कर्मचारियों को "रनिंग रूम" की सुविधाएं दिया जाना

1078. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गार्डों के स्थान पर अन्य संगचल कर्मचारी 'रनिंग रूम' की सुविधाओं का लाभ उठा जाते हैं जबकि उसके लिये भुगतान गार्डों को करना पड़ता है ; और

(ख) क्या गार्डों के लिये आवास की कोई व्यवस्था नहीं होती ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रनिंग रूम की सुविधाओं की व्यवस्था मुख्यतः रनिंग कर्मचारियों के लिए की गयी है। इसमें गार्ड भी शामिल हैं। चलती गाड़ियों में ड्यूटी देने वाले चल टिकट परीक्षक जैसी कुछ कोटियों के गैर-रनिंग कर्मचारियों को भी जहां-कहीं अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हों, वहां रनिंग कर्मचारियों को असुविधा पहुंचाये बिना ठहरने की अनुमति दी गई है।

Setting up of Bitumen Unit of Barauni Refinery

1079. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Bitumen Unit of Barauni Refinery was set up in 1966 without proper examination and if so, the total cost involved in setting it up;

(b) whether the Indian Standards Institution and the Central Road Research Institute were not consulted before setting up of Bitumen Unit; and

(c) whether from economic point of view, loss was suffered in Bitumen production at Barauni Refinery and if so, the extent thereof and for how many years loss was suffered and the names of persons responsible for this and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Bitumen Unit at Barauni Refinery was set up after detailed laboratory investigations by the designers and Bitumen meeting ISI specifications was produced. The total cost involved in setting up this unit was Rs. 1.06 crores.

(b) In petroleum industry the specifications of products are generally governed by the standards published by the National Standards Institutions and it is the normal practice to adopt these national standards for the design of the refineries. Accordingly, reference to the national institutions was not considered necessary.

(c) Bitumen Unit was operated intermittently only for production of trial batches. The loss to the refinery due to idling of this unit by way of depreciation and insurance charges. on the investment made in establishing this unit is of the order of Rs. 5.8 lakhs per year, since the completion of the unit in November, 1966.

Idling of the Bitumen Unit has resulted from the failure in performance of the bitumen produced at Barauni Refinery which came to knowledge only during field application. This failure in spite of meeting ISI specification was of exceptional nature, and cannot be attributed to any lapse on the part of any individual.

कटपाड़ी-तिरुपति-रेनीगुंटा तथा पकालाधर्माबरम् (दक्षिण रेलवे) के बीच रेल सेवाएं

1080. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में काटपाड़ी-तिरुपति-रेनीगुंटा तथा तकालाधर्मावरम के बीच सभी रेल सेवाओं को पुनः न चलाने से उत्पन्न हो रही भारी कठिनाई की जानकारी है ; और

(ख) क्या इन सभी रेल गाड़ियों को शीघ्र दोबारा चलाने के लिये कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और ख) काटपाड़ी-तिरुपति-रेणिगुन्टा खण्ड पर चलने वाली छः जोड़ी गाड़ियों में से इस समय तीन जोड़ी गाड़ियां पूर्णतः और एक जोड़ी गाड़ियां आंशिक रूप से रद्द हैं। पाकाला-धर्मावरम खण्ड पर चलने वाली दो जोड़ी गाड़ियों में से एक जोड़ी गाड़ियां कोयले की कमी के कारण पूर्णतः रद्द हैं। जब इंजन के कोयले की स्थिति सुधर जायगी और इसमें समुचित स्तर तक स्थिरता आ जायेगी तभी इन गाड़ियों को फिर से चलाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की विस्तार सम्बन्धी योजना

1081. श्री राम सहाय पांडे :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र की विस्तार योजना का अनुमोदन कर दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) ट्राम्बे संयंत्र का विस्तार कार्यक्रम दो स्तरों ट्राम्बे IV तथा V के रूप में प्रभावी होगा । ट्राम्बे IV योजना में 44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष 3,61,000 मी० टन नाइट्रो-फास्फेट उत्पादन परिकल्पित है जिसमें 19 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा घटक सम्मिलित होगा। इस प्रायोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मिलती है तथा अप्रैल, 1977 के प्रारम्भ में उत्पादन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है ।

ट्राम्बे 5 योजना में 111 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिदिन 900 मी० टन अमोनिया का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है जिसमें 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा घटक सम्मिलित है । प्रायोजना के अप्रैल, 1978 में उत्पादन करने की आशा है ।

रेलवे हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति के विचार

1082. श्री ए० के० गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे हड़ताल के बारे में रेल मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह के स्वीकार न किये जाने के बारे में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि द्वारा की गई आलोचना की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राष्ट्रपति की सलाह क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हड़ताल के बिना शर्त वापिस लिये जाने के बाद से ही सरकार ने कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूति से विचार किया और जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं, उन्हें फिर से काम पर लेने और हड़ताल में अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवा में जो भंग हो गया था, उसे माफ करने के बारे में लिये गये निर्णयों को यथासम्भव, शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है

बम्बई में तटदूर खुदाई प्लेटफार्मों का स्थापित किया जाना

1083. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में तटदूर, जहां तेल प्राप्त करने की सम्भावना बढ़ गयी है, अधिक खुदाई एवं उत्पादन प्लेटफार्म स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्लेटफार्म स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और क्या ये प्लेटफार्म विदेशी सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का विचार कच्चे बम्बे हाई सरंचना में व्यधन और उत्पादन प्लेटफार्म लगाने का है तथा यथाशीघ्र तेल उत्पादन करने का है । बाम्बे हाई संरचना पुर स्थापित किये जाने वाले व्यधन और उत्पादन प्लेटफार्म की संख्या अभी बताना संभव नहीं है ।

आय को बढ़ाने के लिये अधिक भाड़े वाले माल की ढुलाई

1084. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड अपनी आय को बढ़ाने के लिये अधिक भाड़े वाले मालकी ढुलाई की वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है और ये कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऊंची दर वाले यातायात को आकृष्ट करने के लिए रेलों ने पहले से ही निम्नलिखित ऐसे कदम उठाये हैं जो सतत किस्म के हैं :—

(i) प्रत्येक रेलवे के विपणन एवं विक्रय संगठन मुख्य निर्माताओं और व्यापारियों से सम्पर्क रखते हैं ताकि सेवा के स्तर में सुधार हो सके, विपणन सर्वेक्षण करते है और रेल यातायात अन्यत्र न जाये और अतिरिक्त यातायात साकृष्ट करने के लिए कारंवाई करते हैं ;

(ii) कंटेनर सेवाएं और भाड़ा अग्रेषण सेवाएं चालू करना और विकास करना जो घर से घर तक की समेकित सेवा प्रदान करती है ।

(iii) महत्वपूर्ण शहरों के बीच निर्धारित समय पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाना ताकि माल का तीव्र परिवहन हो सके ।

(iv) महत्वपूर्ण नगरों के बीच द्रुत परिवहन सेवा की व्यवस्था जिसके अधीन माल निर्धारित लक्ष्य समय के भीतर पहुंचाया जाता है ।

(v) ऊंची दर वाले चुने गये पण्यों के उच्चतर प्राथमिकता के अधीन होना ।

(vi) स्टेशन से स्टेशन तक की प्रतियोगी दरें निर्धारित करना ।

पश्चिम बंगाल में विदेशी फर्में

1085. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसी विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी संचालन अवधियां, 31 अगस्त, 1974 को समाप्त हो गई थी ;

(ख) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किये हैं ; और

(ग) इन फर्मों द्वारा (एक) विदेशों में भेजे गये लाभ, (दो) इक्विटी शेयरों को उत्तरोत्तर कम करने, (तीन) स्टाफ के भारतीयकरण, (चार) नये पूंजी निवेश और नियोजित किये गये कर्मचारियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदब्रत बरुआ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उद्योग को 'सोडा एश' की सप्लाई

1086. श्री शंकरनारायण सिंह देव :
श्री टुनाउरोव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग को सोडा एश सप्लाई करने में कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयां किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या उनके वितरण और मूल्य पर कोई नियंत्रण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके वितरण के लिए की गई व्यवस्था की रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मांग की तुलना में सोडा एश के वर्तमान उत्पादन की कमी होने के कारण कुछ उपभोक्ता अपनी पूर्ण आवश्यकताओं को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गत एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटनाएं

1087. श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादिचरण दास :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी क्षति हुई ;

(ग) घायल तथा मृत व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है; और

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाड़ी दुर्घटनाओं की सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवार संकलित की जाती है । नवम्बर, 73 से अक्तूबर, 74 की अवधि में दक्षिण-पूर्व रेलवे जिससे उड़ीसा राज्य सेवित है, पर टक्कर, पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटि की 96 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) रेल सम्मत्ति की हुई क्षति की लागत लगभग 50,32,225 रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 17 व्यक्ति मरे और 125 घायल हुए।

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को अब तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है ।

उड़ीसा में किसानों के लिए डीजल की अनुपलब्धता

1088. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसानों को डीज़ल की अनुपलबद्धता के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कृषि उत्पादन पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है;

(ग) यदि हां, तो किसानों को केन्द्रीय दर पर डीजल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) पिछली तिमाही के दौरान उड़ीसा को कितनी मात्रा में डीजल सप्लाई किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) विगत में उड़ीसा में डीजल तेल की कमी की कोई 'शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कालटैक्स पम्पों में से एक डीज़ल तेल के पम्प के सूखे रखे का मामला था तथा राज्य सरकार के निवेदन पर भारतीय तेल निगम के पम्प को सप्लाई में तेजी लाकर मांग को पूरा किया गया था ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मध्यनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) डीजल तेल का राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है । तेल कम्पनियों के फुटकर पम्पों से डीज़ल तेल की बिक्री निःशुल्क की जा रही है । राज्यों को सप्लाई मांग के आधार पर की जाती है।

उड़ीसा में लघु प्लास्टिक निर्माताओं के सम्मुख कठिनाइयां

1089. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लघु प्लास्टिक निर्माताओं को कच्चे माल की अनुपलव्धता के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग जो लघु उद्योग क्षेत्र में अधिकांश है, उनकी सारे देश भर में, प्लास्टिक रेजिन प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि देशीय उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। थरमोप्लास्टिक कच्चे माल पर मूल्य और वितरण नियन्त्रण नहीं है।

देशीय उत्पादन बढ़ाने और यथासंभव आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की कार्यकुशलता में सुधार के लिए उपाय

1090. **श्री बेकारिया** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के एक सदस्य ने 16 सितम्बर, 1974 को राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा मूल्यों तथा आय नीति पर आयोजित की गई चर्चा के दौरान कहा था कि एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा आयोग कुछ एकक दलों के हाथ में संकेन्द्रित आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण में बहुत अप्रभावी सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आयोग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेद ब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) डाक्टर [एच० के० परांजपे ने सूचित किया कि उन्होंने 16 सितम्बर 1974 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा आयोजित की गई चर्चा में भाग लिया था। उनके द्वारा उद्घोषित विचार केवल उनके व्यक्तिगत विचार थे और उस रूप में सरकार का इस प्रकार के व्यक्तिगत विचारों की प्रतीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महोबा से खजुराहो तक रेलवे लाइन का निर्माण

1091. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महोबा से खजुराहो तक रेलवे लाइन के निर्माण की संभाव्यता की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक सर्वेक्षण की जांच पूरी होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) महोवा से खजूराहो (75 कि० मी०) तक एक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिये 1974-75 के बजट में टोह इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गयी है । रेलवे से कहा गया है कि वह इसके लिए आक्कलन प्रस्तुत करे। सर्वेक्षण पूरे हो जाने और उसके परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही इसके निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को हुई हानि

1092. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को 31 मार्च, 1973 तक 38.25 करोड़ रुपये की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 31 मार्च, 1974 तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) हानि को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 13 अगस्त, 1974 को लोक सभा अ० प्रशन संख्या 2395 के उत्तर में आवश्यक सूचना पहले ही दे दी गई है तथापि मूल्यह्रास एवं ब्याज से पूर्व लाभ/हानि तथा 1973-74 के लिए कुछ हानि के संबंध में "सुधारात्मक उठाये गये कदम" शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये आंकड़ों में इस प्रकार सुधार किया जाता है :

(लाख रुपयों में)

	1973-74
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व लाभ (+)/हानि (—)	(+) 357.10
शुद्ध हानि	182.28

1973-74 के लिए वार्षिक लेखों के अन्तिम रूप दिये जाने के परिणामस्वरूप सुधार करने का प्रश्न उठा ।

(घ) जी हां । वर्ष 1973-74 के लिए कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि तथा 31-3-1974 तक संचापित हानि क्रमशः 1.82 करोड़ तथा 40.08 करोड़ रुपये है ।

गुजरात में कम्पनियों की कमजोर वित्तीय स्थिति

1093. श्री प्रसन्नभाई महता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में निगमित निम्नलिखित कम्पनियों के तुलन पत्रों के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हैं ;

(1) सन्तोष बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (2) मोहन बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (3) सीगुल बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (4) गुजरात सेविंग यूनिट प्रा० लिमिटेड (5) दाखिला बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (6) नवजीवन ट्रेडिंग फाइनेन्स प्रा० लिमिटेड (7) फिंगसन बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (8) स्वश्राया बेनेफिट प्रा० लिमिटेड (9) परुल फाइनेन्सिस प्रा० लिमिटेड (10) कैथामगलम चिट फंड प्रा० लिमिटेड ;

(ख) यदि हां, तो क्या कमजोर वित्तीय स्थिति अपने ऋण न चुकाने की स्थिति वाली कम्पनियों को समाप्त करने के लिए समवाय अधिनियम, 1956 को धारा 433 को आकर्षित करती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर करने के लिए क्या कायवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Increase in Railway Freights

1094. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of Railways be pleased to state the percentage of increase in railway freights during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Based on the statistical average rate realised per tonne kilometre for all revenue earning goods traffic, the precentage increase in rates for the past three years, is as under :—

Year	Percentage increase over the previous year
1971-72	3.3%
1972-73	2.3%
1973-74 (Estimated)	2.6%

Payment of Bonus to Railway Employees

1095. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether bonus is paid to Railway employees also as was the case with the employees of other Government establishments or undertakings ;

(b) if so, the percentage thereof and whether this percentage is equal to that being paid to the employees working in other undertakings; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) All departmentally run Government undertakings including the Indian Railways are statutorily excluded from the provisions of the Payment of Bonus Act, 1965.

गोआ में किसानों के लिए डीज़ल की अनुपलब्धता

1096. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीज़ल की अनुपलब्धता के कारण गोआ के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कृषि उत्पादन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) विगत में गोआ में डीज़ल तेल की कोई कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में लघु प्लास्टिक निर्माताओं के सम्मुख कठिनाइयां

1097. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के लघु प्लास्टिक निर्माताओं को कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग जो लघु उद्योग क्षेत्र में अधिकांश है, उनको सारे देश भर में, प्लास्टिक रेजिन प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि देशीय उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। थरमोप्लास्टिक कच्चे माल पर मूल्य और वितरण नियन्त्रण नहीं है।

देशीय उत्पादन बढ़ाने और यथासंभव आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

गोआ में गत एक वर्ष के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

1098. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में गत एक वर्ष के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) इसमें कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाड़ी दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना राज्यवार संकलित नहीं की जाती बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है। दक्षिण मध्य रेलवे जिसमें गोआ क्षेत्र सेवित हैं, पर नवम्बर 1973 से अक्तूबर 1974 तक की अवधि में गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली 84 दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग 10,63,507 रुपये के मूल्य की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 44 व्यक्ति घायल हुए।

अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी

1099. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन रक्षक औषधियों की गम्भीर कमी है जिसके कारण अस्पतालों के कार्यकरण और परिणामस्वरूप जनता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या तत्काल उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषधों की आम अथवा अत्यधिक कमी नहीं है। राज्य औषध नियन्त्रकों से समय-समय पर इस मंत्रालय में कुछ स्वाम्य ब्रांड के औषधों, जिनके लिए अन्य निर्माताओं के इसी प्रकार के नुस्खे भी उपलब्ध हैं, की यदा-कदा कमी होने के बारे में रिपोर्टें मिलती रहती हैं। पैट्रोलियम संकट के कारण 1973 के उत्तरार्ध में तथा 1974 के प्रारम्भिक महीनों में प्रपुंज औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों तथा रसायनों की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धि कठिन हो गई थी। इससे कुछ वस्तुओं के वितरण अनुसूची पर बुरा प्रभाव पड़ा था। तब से इन वस्तुओं से संबंधित स्थिति में भी सुधार हुआ है।

(ख) औषधों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

1. कमियों के संबंध में राज्य औषध नियन्त्रकों से प्राप्त हुई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में नियतकालिक बैठकें बुलाई जाती हैं। कमियो के दृष्टान्त, जब कभी भी सरकार के ध्यान में आते हैं, तो संबंधित निर्माताओं के साथ पत्र-व्यवहार किया जाता है और उन्हें ऐसी आवश्यकताओं को आपातिक आधार पर पूरा करने का परामर्श दिया जाता है।
2. अपर्याप्त उत्पादन के कारण जब कभी कमियां उत्पन्न होती हैं, उत्पादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से बाधाएं दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं और जब ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है तो आयात लाइसेंसों की सिफारिश की जाती हैं या राज्य व्यापार निगम की मार्फत औषधों का आयात करने के प्रबंध किए जाते हैं।
3. कमियों के पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम की मार्फत आयात के लिए सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के लिए आयात कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
4. आयात नीति के अन्तर्गत सुव्यवस्थित आयातकर्ताओं को उनके कोटा लाइसेंसों के प्रति उन अत्यावश्यक जीवन-रक्षक औषधों का आयात करने की इजाज़त दी जाती है जिनका देश में उत्पादन नहीं होता।
5. आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा अस्पतालों को आयात नियंत्रण विनियमन के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना क्रमश: 200 रुपये तथा 1,000 रुपये की वित्तीय सीमा तक इलाज के लिए अपेक्षित औषधों का आयात करने की भी इजाजत है।

6. ऐसे मामलों जहां फर्मों द्वारा रखे हुए सुव्यवस्थित निर्यातकर्त्ताओं के लाइसेंस उनके द्वारा बेचे जा रहे अत्यावश्यक औषधों के आयात के लिए, पर्याप्त नहीं हैं, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे औषधों के आयात के लिए तदर्थ लाइसेंस दिए जाते हैं।

जर्मनी एवं इटली द्वारा उर्वरक एककों को दोषपूर्ण उपकरणों की सप्लाई

1100. **श्री धामन कर .**
श्री बसन्त साठे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार-पत्र देखे हैं कि इटली तथा जर्मनी द्वारा उर्वरक एककों के लिए सप्लाई किए गए उपकरण दोषपूर्ण पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

राजस्थान में किसानों के लिये डीज़ल की अनुपलब्धता

1101. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कृषि उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) हाल के पिछले दिनों में राजस्थान में तेल की किसी प्रकार की कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में लघु प्लास्टिक निर्माताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

1102. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लघु प्लास्टिक निर्माता कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योग जो लघु उद्योग क्षेत्र में अधिकांश है, उनको सारे देश भर में, प्लास्टिक रेजिन प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि देशीय उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। थरमोप्लास्टिक कच्चे माल पर मूल्य और वितरण नियन्त्रण नहीं है।

देशीय उत्पादन बढ़ाने और यथासंभव आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान में गत एक वर्ष में रेल दुर्घटनाएं

1103. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत एक वर्ष में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गाड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार संकलित की जाती है। उत्तर और पश्चिम रेलवे जो राजस्थान राज्य से गुजरती है, उनमें नवम्बर 1973 से अक्तूबर 1974 की अवधि के दौरान गाड़ियों की टक्कर होने, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 232 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) अनुमान है कि रेल सम्पत्ति की लगभग 46,51,445 रुपये की क्षति पहुंची।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 159 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 192 व्यक्ति घायल हुए।

Loss suffered by Railways due to Police firing on voilent mob at Patna City Station

1104. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in a satyagraha staged under the leadership of Jan Sangh leader, in connection with Bihar Bandh at Patna City Station of Eastern Railway on 5th October last, Police had to open fire on the violent crowd;

(b) if so, the number of persons killed or injured in the firing;

(c) whether the Railways suffered loss due to sabotage and arson by stayagrahis; and

(d) if so, extent of loss suffered as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) No one has been reported as killed or injured as a result of the firing at Patna City Railway Station premises.

(c) Yes.

(d) Rupees 7000/- approximately.

बेरोजगार स्नातकों का बुक स्टालों का आवंटन

1105. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार स्नातकों को छोटे रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टालों के ठेके देने की पेशकश की गई थी, जो कि लाभप्रद नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एरणाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन के निर्माण के लिये निःशुल्क भूमि और स्लीपर देने की पेशकश

1106. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री एरणाकुलम और कायमकुलम रेल लाइन के लिए केरल सरकार की भूमि और स्लीपर मुफ्त में देने की पेशकश के बारे में 13 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 2353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस पेशकश के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

अशोधित तेल के लिये सऊदी अरब से करार

1107. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री डी॰ डी॰ देसाई :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी॰ गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सऊदी अरब से अशोधित तेल की खरीद के लिए किए गए करार से पीछे हटने के बारे में विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सितम्बर, 1974 में ऋण तथा मूल्य में कटौती के बारे में बातचीत हेतु कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब भेजा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सऊदी अरब सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ आर॰ गणेश) : (क) से (घ) एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल विदेशी मुद्रा में आई बाधाओं को स्पष्ट करने के लिए सितम्बर, 1974 में सऊदी अरब गया था जिस कारण से इण्डियन आयल कारपोरेशन पेट्रोमिन (सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कम्पनी) और इण्डियन आयल कारपोरेशन के बीच हुए तीन वर्षीय संविदा के अन्तर्गत चालू कलैण्डर साल की शेष अवधि में जहाज द्वारा अशोधित तेल को उठाने में असमर्थ थी। इन स्वीकृत बाध्य कारणों से पेट्रोमिन ने वर्ष 1974 की शेष अवधि में अशोधित तेल की और मात्रा उठाने के उत्तरदायित्व से इण्डियन आयल कारपोरेशन को दोष मुक्त करने के लिए सहमत होगा। चूंकि चालू वर्ष की शेष अवधि में और अशोधित तेल की सप्लाई नहीं की गई थी अतः ऋण संबंधी बात चीत करने और मूल्य में कटौती करने का प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रतिक्रिया अधिनियम में संशोधन के लिये सुझाव

1108. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने के लिए सुझाव दिया है ताकि बड़े व्यापार गृह उन संकटग्रस्त उपक्रमों को जिनमें की उनके द्वारा बड़ी मात्रा में विनियोजन किया हुआ है, तथा अन्य सरकारी उपक्रमों को अपने अधिकार में ले सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव कम्पनी कार्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

पुल निरीक्षक, राजामुन्दरी के अधीन कर्मचारियों की छंटनी

1109. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुल निरीक्षक, राजामुन्दरी के अधीन 10 से 15 वर्ष तक की सेवा वाले 33 कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) क्या छंटनी का नोटिस दिये जाने से पूर्व विजयवाड़ा डिविजन में पुल इंजीनियरिंग विभाग में संवर्ग पुर्नविलोकन किया गया था ; और

(ग) अन्य रिक्त स्थानों पर फालतू कर्मचारियों को न नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 10 वर्ष से कम सेवा वाले 30 नैमित्तिक मजदूरों और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले 3 नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं क्योंकि उन्हें जिस काम पर लगाया गया था वह पूरा हो चुका है ।

(ख) जी हां, लेकिन कोई खाली जगह नहीं मिल सकी ।

(ग) उनको रखने के लिए कोई खाली जगह उपलब्ध नहीं थी क्योंकि निर्माण कार्य में कटौती कर दी गयी है ।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे में सेवा से बर्खास्त किए गए/हटाये गए/सेवा समाप्त किए गए/स्थाई, अस्थायी तथा मासिक वेतन वाले नैमित्तिक कर्मचारी

1110. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे में डिविजनवार, वर्कशाप वार कितने-कितने स्थायी, अस्थायी, मासिक वेतन वाले तथा दैनिक वेतन वाले नैमित्तिक कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किये गये, हटाये गये अथवा जिनकी सेवायें समाप्त की गयी ;

(ख) इस बीच प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी काम पर वापिस ले लिये ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी अभी वापस लिये जाने हैं ;

(घ) बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 8499/74]

(घ) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अपीलों की समीक्षा प्रत्येक मामले के आधार पर की जाती है । यह प्रक्रिया जारी है तथा मामलों की समीक्षा यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए प्रशासन द्वारा अधिकतम प्रयास किये जा रहे हैं । नैमित्तिक मजदूरों को दुबारा काम पर लगाना, काम की आवश्यकता तथा साधनों की स्थिति पर भी निर्भर करता है ।

इंजीनियरिंग विभाग (दक्षिण-मध्य रेलवे) में छटनी

1111. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के इंजिनियरिंग विभाग के ओ० पी० सी० वेतन मान में 20 से 25 वर्ष तक की सेवा वाले रेल कर्मचारियों को किसी भी स्थायी पद के समक्ष स्थायी किये जाने बिना छटनी के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा इस प्रकार उन्हें पेंशन तथा भविष्य निधि संबंधी लाभों से वंचित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान छंटनी के ऐसे कितने मामले हुए ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक एव आर्थिक अपराधों के विचारण तथा उनके लिए दंड दिए जाने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें

1112. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री एम० कतामुत्तु :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों के विचारण तथा उनके लिए दंड दिए जाने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968, दंड प्रक्रिया संहिता, विदेशी मुद्रा विनियमन और आवश्यक वस्तु से संबंधित विधि आयोग की उन सिफारिशों को, जो सरकार को स्वीकार्य थीं, उपयुक्त विधानों द्वारा क्रियान्वित किया जा चुका है । दंड विधि से संबंधित सिफारिशें, जो कि भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 द्वारा क्रियान्वित की जानी हैं और लोक स्वास्थ्य से, संबंधित सिफारिशें, जो कि खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 की विषय-वस्तु हैं, सदनों की संयुक्त समितियों के समक्ष हैं । अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए कर का संदाय करने में जानबूझकर असफल रहने, घोषणा में मिथ्या कथन करने, मिथ्या विवरणी को सुचोजित करने के लिए दंड और कराधान संबंधी अपराधों को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की परिधि से बाहर कर देने से संबंधित सिफारिशें कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1973 में, जो इस समय चयन समिति के समक्ष है, समाविष्ट की जा चुकी हैं ।

भारतीय तेल निगम द्वारा कुकिंग गैस के उत्पादन में नियोजित वृद्धि के कारण मिट्टी के तेल के आयात में कमी

1113. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की योजना निकट भविष्य में कुकिंग गैस के उत्पादन को प्रतिवर्ष 70,000 टन से बढ़ाकर 90,000 टन कर देने की है ;

(ख) क्या इसका अर्थ यह होगा कि मिट्टी के तेल का आयात घट जाएगा ; और

(ग) इस दृष्टि से मिट्टी के तेल की उपलब्धता में अधिक परेशानी नहीं होगी जिसका कि इस समय अभाव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारतीय तेल निगम ने 1979-80 तक अपनी एल० पी० जी० (खाना पकाने वाली गैस) की लगभग 1,36,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष की उपलब्धि के वर्तमान स्तर में लगभग 3,12,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक वृद्धि करने की योजना बनाई है ।

(ख) एल० पी० जी० के प्रयोग में वृद्धि होने से अन्य घरेलू ईंधन में बचत हो जाएगी । मिट्टी के तेल की मांग तथा विशेष रूप से आयात पर इस के प्रभाव का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

नई प्रकार के रेलवे वैगन

1114. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने नई प्रकार के रेल वैगनों का सफल परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन नई प्रकार के वैगनों से काफी मात्रा में खनिजों की ढुलाई की जा सकेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लोह अयस्क के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बड़ी लाइन के बी० ओ० वाई टाइप के एक नये अठपहिये माल-डिब्बे का सेवा परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर, नये टाईप के ये माल-डिब्बे दक्षिण-पूर्व रेलवे के किरंडुल-वालतेरू खण्ड पर लोह अयस्क के थोक परिवहन के लिए उपलब्ध हो जायेंगी । उक्त खंड भारी खनिज यातायात के लिए मुख्यतः 22.9 मीटरिक टन धुरा भार के लिए उपयुक्त हैं और वहां उतराई स्थल पर यांत्रिक सम्हलाई का प्रबन्ध है ।

(ग) नये टाइप के माल-डिब्बों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

समग्र लंबाई	11930 मि०मी०
भीतरी ऊंचाई	1175 मि०मी०
भीतरी चौड़ाई	2924 मि०मी०
भीतरी लंबाई	10990 मि०मी०
तल क्षेत्र	32.2 वर्ग मीटर
आयतनिक क्षमता	37.8 घन मीटर
धुरा भार	22.9 मीटरिक टन
टेयर	20.6 मीटरिक टन
आय भार	71.0 मीटरिक टन
कुल भार	91.6 मीटरिक टन

भारतीय रेलवे के रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनायें

1116. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी भारतीय रेलवे में गत दो महीनों में रेलवे फाटकों पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरुप कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा अपंग हुए ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान, भारत की सरकारी रेलों पर समपारों पर 21 दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 50 व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) समपारों पर दुर्घटनाएं कम करने के उद्देश्य से, रेल प्रशासनों ने अनेक उपाय किये हैं जैसे सड़क उपयोग कर्ताओं को समपार आगे हैं की चेतावनी के लिए 'स्टाप बोर्डों' और बिना चौकीदार वाले समपारों पर 'विसल बोर्डों' की व्यवस्था, चौकीदार तैनात करने अथवा समपारों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए यातायात की आवधिक गणना, इश्तहार, सिनेमा स्लाइड्ज, लाउड स्पीकरों के माध्यम से घोषणा, रेडियो वार्ता, ड्राइवरों और परिवहन संघों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना और समपारों आदि पर अचानक छापे मारना । सड़क-संकेतों के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत यात्री बसों के ड्राइवरों के लिए यह कानून बना दिया है कि समपारों से कुछ पूर्व ही रूक जाएं और केवल आगे पैदल कंडक्टर की सहायता से ही उन्हें पार करें ।

2 डाउन और 1 अप रेल गाड़ियों में गया बोगी जोड़ने का प्रस्ताव

1117. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए शीघ्र ही 2 डाउन और 1 अप रेल-गाड़ियों में गया बोगी जोड़ने का सरकारी प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1974 के दौरान बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को हुई हानि

1118. **श्री बीरेन एंगती :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार बिना टिकट यात्रा को रोकने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए विशेष स्वैक्वैड का गठन करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्वैक्वैड पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा तथा रेलवे को इससे कितना वित्तीय लाभ पहुंचेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली राजस्व की हानि के अनुमान साल-ब-साल नहीं लगाये जाते इसलिए 1974 के वर्ष के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1967–68 में सभी भारतीय रेलों पर की गयी नमूना जांच के आधार पर, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये तक की वार्षिक हानि होने का अनुमान था । बाद में की गयी जांचों से पता चला कि बिना टिकट यात्रा की घटनाएं काफी कम हो गयी हैं । भारतीय रेलों पर होने वाली बिना टिकट यात्रा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक और नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए टिकट जांच दस्ते पहले से ही रेलों पर काम कर रहें है । और कोई नया दस्ता बनाने का विचार नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल किरायों में वृद्धि के साथ साथ सुविधाओं में सुधार

1119. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर रेल के किराए में वृद्धि की गई है ;

(ख) क्या किरायों में वृद्धि के बावजूद भी यात्रियों के लिए उस अनुपात में सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) 1970 से कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार किराये बढ़े हैं ।

(ख) और (ग) धन की उपलब्धता और यात्री यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार, एक कार्यक्रम के आधार पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है ।

यात्री किरायों में की गयी वृद्धि अनिवार्य रूप से परिचालन की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के उद्देश्य से की गयी है ।

हिमाचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी में डकैती

1120. श्री डी० डी० देसाई :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में मुरादनगर के समीप हिमाचल एक्सप्रेस रेल गाडी में डकैती हुई थी :

(ख) देश में विभिन्न रेलवे लाइनों पर गत तीन महीनों के दौरान कुल कितनी डकैतियां हुईं ;

(ग) क्या यात्रा करने वाली जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कहां तक सफलता मिली है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां 22-9-74 को जब गाडी नं० 53 अप हिमाचल एक्सप्रेस गाजियाबाद से रवाना हुई तब लगभग 8/10 अपराधी जिनकी आयु 22/25 वर्ष थी दूसरे दर्जे की बोगी नं० 963 में सवार हो गये और पिस्तौल तथा चाकू दिखलाकर उन्होंने 15 यात्रियों को लूट लिया और मुरादनगर स्टेशन पर गाडी से उतर गये। एक रिपोर्ट मेरठ शहर की रेलवे पुलिस के पास दर्ज करायी गयी जिसके बाद यह मामला 23-9-74 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीन अपराध संख्या 196 के रूप में गाजियाबाद की रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया और इस की जांच की जा रही है । अभी तक 6 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ सम्पत्ति भी बरामद हुई है ।

(ख) 21 ;

(ग) और (घ) : ऐसे मामले कानून और व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पुलिस , जिसमें रेलवे पुलिस शामिल है राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें रेल गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोक-थाम करने के लिए आवश्यक कार्यवाई कर रही है । यह काम रात के समय महत्वपूर्ण गाड़ियों में पहरे की व्यवस्था करके , सादे कपड़ों में सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करके, स्टेशन प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में नियमित पहरा लगाकर, अपराधियों और घात बदमाशों पर निगाह रख-कर और विशिष्ट अपराधों के लिए अपराधियों पर निवारक नियमों के अधीन मामले चला कर राज्य सरकारों के पास उपलब्ध साधनों के भीतर किया जा रहा है ।

(ङ) डकैती की घटनाओं पर काबू पा लिया गया है ।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा कतिपय रसायनों के उत्पादन की योजना

1121. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड की योजना देशीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कई परमावश्यक और आधुनिक रसायन तथा कीटनाशक दवायें तैयार करने की है ;

(ख) क्या उक्त योजना 'फार्मूलेशन' तथा क्रियान्वित के अन्तिम चरण तक पहुंच चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) इस योजना पर कुल कितनी पूंजी लगेगी ;

(ङ) क्या आधारभूत कीटनाशक दवाओं तथा नये उत्पादों के फार्मुलेशन तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य रुप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी नही ।

(ग) से (च) : एक विवरण पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

हाल के वर्षों में फसलों को बचाने और सार्वजनिक स्वास्थय प्रयोजनों के लिए विभिन्न देशों में अनेक नई और जटिल कीटनाशियों का प्रयोग हो रहा है । यह विचार किया गया था कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि० दो कीटनाशियों अर्थात् डी०डी०टी० और बी० एच० सी० के उत्पादन कार्य में जुटी है वह अपने उत्पाद मिश्र का विविधिकरण/विस्तार करने की दिशा में भी कार्यवाई कर रही है जो इसके लाभ में और भी सुधार कर सकती थी । इस उद्देश्य से, उत्पाद सिद्धान्तों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1970 में विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना की गई थी जिन्हें हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० ले सकती थी । इस समिति की सिफारिश के आधार पर और योजना द्वारा स्थापित कीटनाशी कार्यकारी-दल द्वारा तथा अनुमानित पांचवीं योजना के लिए कीटनाशी की मांग पर भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल कर लिया गया है :—

क्रम संख्या	प्रयोजना का नाम	क्षमता	अनुमानित पूंजी गत लागत
			(रुपये लाख में)
1.	एण्डोसल्फन . . .	1600 टी०पी०ए०	941
2.	मलथियन . . .	1800 टी०पी०ए०	220
3.	डी०डी०टी० . . .	5000 टी०पी० ए०	739
4.	कास्टिक सोडा/क्लोराइन . .		600
	जोड़ . . .		2500

मलथियन प्रयोजन के सम्बन्ध में एक निवेश निर्णय लिया गया है और विस्तुत लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है । डी०डी० टी० संयंत्र के सम्बन्ध में व्यवहार्यता की रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार होने वाली है । देशीय प्रोद्योगिकी के आधार पर ये दोनों प्रयोजनाएं होगी । एण्डोसल्फान प्रायोजना के लिए प्रौद्योगिकी के चयन का निर्णय अब तक नहीं हुआ है ।

वैद्यनाथधाम और देवघर के बीच पटना, वैद्यनाथधाम और गया के बीच तथा वैद्यनाथधाम और समस्तीपुर के बीच सीधी गाड़ियां

1122. **श्री मधु लिमये:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन को इस प्रकार पुनः सम्बन्ध करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि वह उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल वैद्यनाथधाम हो कर गुजरे ।

(ख) क्या सरकार वैद्यनाथधाम-देवघर और पटना वैद्यनाथधाम और गया (गया वापस पहुंचने से पहले कई घंटे कियूल पर रुकने वाली गाड़ी को आगे तक बढ़ाकर) तथा वैद्यनाथधाम और समस्तीपुर के बीच सीधी रेलगाड़ियों चलाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है –

(ग) क्या सरकार ने वैद्यनाथधाम से दिल्ली, हावड़ा, पटना, गया और समस्तीपुर जाने वाली गाड़ियों में कुछ सीधे डिब्बे जोड़ने के वैकल्पिक सुझाव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इन सुझावों तथा प्रस्तावों को कियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दुमका के रास्ते मन्दर हिल से साइंथिया तक लाइन विस्तार करने और वैद्यनाथधाम तक शाखा लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । इन सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) एक थ्रू डिब्बा पहले से ही हावड़ा और बैद्यनाथधाम के बीच चल रहा है । वैद्यनाथधाम और दिल्ली पटना गया तथा समस्तीपुर के बीच थ्रू यात्रियों के लिए भी गाड़ियों के सुविधाजनक मेल की व्यवस्था की गयी है । इन बाद वाले स्टेशनों के बीच थ्रू बोगियों की व्यवस्था करना न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिता ही है ।

तेल की खरीद के लिये सऊदी अरब और ईराक के साथ करार

1123. **श्री मधु लिमये :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ:
श्री गदाधर मांझी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1974 से तेल की खरीद के लिए सऊदी अरब और ईराक के साथ सरकार ने कोई करार किये हैं ;

(ख) उक्त करार का क्या ब्यौरा है ;

(ग) कितने तेल के लिए समझौता किया गया है और सऊदी अरब के अशोधित तेल तथा ईराक के अशोधित तेल के लिए कितनी कीमत अदा की गई है ;

(घ) क्या ईराकी अशोधित तेल की अपेक्षा सऊदी अरब के अशोधित तेल के लिए अधिक कीमत अदा की गई है।

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(च) क्या भारत द्वारा सऊदी अरब को अधिक कीमत देने का ईराक ने विरोध किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने सऊदी अरब की पैट्रोमिन के साथ 1973, 1974 और 1975 प्रत्येक वर्ष के दौरान 1·1 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का आयात करने के लिए समझौता किया था। इंण्डियन आयल कारपोरेशन ने ईराकी राष्ट्रीय तेल कंम्पनी के साथ वर्ष 1974 के दौरान 2.8 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का आयात करने के लिए समझौते किये थे। इन समझौतों का ब्यौरा देना यहां उचित नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

झांसी मानिकपुर सैक्शन (मध्य रेलवे) पर इंजन ड्राइवर द्वारा 'सीमा सुरक्षा बल के तम्बू पर' जलता हुआ कोयला फैंकने के आरोप के मामले की जांच

1124. **श्री मधु लिमये :** क्या **रेल मंत्री** 9 सितम्बर, 1974 को लोक सभा में विनियोग रेलवे विधेयक पर वाद-विवाद के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर सेक्शन पर बेंधा पुल के निकट इंजन ड्राइवर द्वारा सीमा सुरक्षा बल के एक तम्बू पर जलता हुआ कोयला फैंकने के आरोप के मामले की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल प्रशासन को कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Acknowledgement of letters sent by Socialist M. Ps. about Railway workers

1125. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bhagi Rath Bhanwar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received a large number of communications from Socialist M.Ps about victimisation/removal/suspension etc. of Railway workers on account of participation in the strike;

(b) their exact number;

(c) how many of these communications have been acknowledged and to how many communications detailed answers have been given; and

(d) whether it is the policy of Government to deny to Members of Lok Sabha the ordinary courtesy of providing acknowledgements/answers to their letters on this particular subject ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (d); Yes. Generally all communications to the Minister are acknowledged. Most of these relating to the matter of strike contained individual names of employees on various Railways. As the number of employees involved on several Railways either having been arrested, or having been dismissed/removed, or whose services were terminated or who had break in service due to participation in strike was in fair numbers, the subject had to be taken up with the Railways on its entirety instead of being dealt with piece-meal. through a process of appeals and representations a majority of the employees have been put back to duty and break in service also has been condoned in respect of a large majority. Throughout the last session of Parliament a large number of questions were put and answers given on the subject matter of this question. This subject was also debated time and again in both Houses and the decisions taken by the Government and also the steps taken in respect of the employees were explained from time to time. While acknowledgements are given to the Members of Parliament, replies containing more detailed particulars of the subject referred to, occasionally take a little longer.

कालका मेल 2 डाउन और 1 अप गाड़ियों में दिल्ली से देहरी आनसोन तथा वहां से वापसी के लिये आरक्षण

1126 **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका मेल 2 डाउन और 1 अप में दिल्ली से देहरी आनसोन तथा देहरी से दिल्ली के दौरान किसी भी सीट का आरक्षण कराने की अनुमति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 2 डाउन/1 अप कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल गाड़ियों में शायिकाओं/सीटों का आरक्षण दिल्ली से देहरी आनसोन के लिए और वापसी में देहरी आनसोन से दिल्ली के लिए किया जाता है । इन गाड़ियों में अप और डाउन दोनों ओर के लिए शायिकाओं/सीटों के आरक्षण का विशिष्ट कोटा भी देहरी आनसोन स्टेशन को नियत किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयला पर आधारित उर्वरक संयंत्र

1127. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जा रहे कोयले पर आधारित संयंत्रों की कुल क्षमता कितनी होगी ; और

(ख) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई नया आशय-पत्र निकट भविष्य में जारी करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तालचर, रामागुण्डम तथा कोरबा (सभी सरकारी क्षेत्र में) पर प्रत्येक की 227,000 मीटरी टन नाइट्रोजन ।

(ख) कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों में सुधार

1128. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों में सुधार के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तरसम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उसे किस तिथि से क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) यह एक आम भावना है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें और निबन्धन इतने आकर्षक नहीं हैं कि बार के योग्य सदस्य न्यायाधीश का पद स्वीकार करें । उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के कतिपय प्रस्तावों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की सजा पाये रेलवे कर्मचारियों की संख्या

1129. **श्री शंकर राय सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने के कारण कितने रेलवे कर्मचारियों को (एक) बर्खास्त किया गया (दो) नौकरी से निकाला गया (तीन) पदावनत किया गया (चार) अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया तथा (पांच) उनकी सेवा भंग की गई ; और

(ख) रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या और हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में सजा पाये ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या-क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) (1) और (2)--जिन स्थायी या अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को हटाया/पदच्युत किया गया था जिनकी सेवाएं समाप्त की गईं, उनकी संख्या— 16,749।

(3) 18 महीने से कम समय से उच्च पदों पर स्थानापन रूप से काम करने वाले उन हड़ताली कर्मचारियों की संख्या जिन्हें परावर्तित किया गया—355

(4) 55 वर्ष या उसके बाद की आयु में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत व्यक्तियों की संख्या—96

(5) 5.91 लाख

(ख) रेल कर्मचारियों की कुल संख्या में से सजा पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत—1.22%

हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की कुल संख्या में से सजा पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत—2.91%

विभिन्न स्थानों पर तट पर और तट दूर तेल की खुदाई

1130. **श्री शंकर राय सावन्त** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन किन तटीय, तट-दूर और अन्तर्स्थलीय स्थानों पर तेल की खुदाई का कार्य चल रहा है ; और

(ख) अब तक खुदाई कार्य की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भूमि पर 18 स्थानों पर व्यधन कर रहा है —12 गुजरात में, अर्थात् अंक्लेश्वर, अहमदाबाद, क्लोल, गलोधरा, डेटरोज, नवागाम, ढोलका, नार्थ सुरखेज, खेम्बेल, वारा, नार्थ काढ़ी तथा सोमासन ; असम में 3 स्थानों पर अर्थात् लकवा, गलेकी तथा अमगूरी, त्रिपुरा में बारामूला, पांडिचेरी में कारेकल और राजस्थान में सुमखाली तलाई। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक स्थान बम्बई हाई संरचना पर भी व्यधन कर रहा है।

आइल इण्डिया लि० नहरकटिया, हुग्रीजन डम डमा क्षेत्रों और निग्रू क्षेत्र में खरसंग में तेल के लिए अन्वेषण कर रहा है।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भूमि पर और तटवर्ती क्षेत्रों में अब तक 1,117 कुओं की खुदाई पूरी की है जिसके कारण आयोग भूमि पर आरंभ में प्रति प्राप्ति योग्य भंडार के 108.66 मिलियन मीटरी टन और प्राकृतिक गैस के 25,000 क्यूबिक मीटरों से थोड़ा ऊपर को खोजने में समर्थ हुआ है। आयोग ने प्रारंभ से सितम्बर, 1974 तक अशोधित तेल के 33.45 मि० मी० टन उत्पादित किए है।

आइल इण्डिया लि० ने अब तक लगभग 322 कुओं की खुदाई की है। आइल इण्डिया लि० ने प्रारंभ से सितम्बर, 1974 तक अशोधित तेल के 31.3 मि० मी० टन उत्पादित किए हैं। 1-1-74 को आइल इण्डिया लि० के अशोधित तेल के अनुमानित भंडार 37.49 मि० मी० टन है।

ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, केरल को केन्द्रीय सहायता

1131. **श्री सी० जर्नादनन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के लिये विस्तार कार्यक्रम के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसयान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के विस्तार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में केरल सरकार से कोई निवेदन पत्र इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि अन्य मंत्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

किशनगंज रेलवे कालोनी, दिल्ली में गंदगी

1132. **श्री सी० जर्नादनन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किशनगंज स्थित रेलवे कालोनी में अत्यधिक गंदगी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) किशनगंज रेलवे कालोनी में व्याप्त गंदगी की स्थिति से रेल प्रशासन परिचित है। इसका मुख्य कारण कालोनी के चारों ओर अनधिकृत झुग्गियों के निवासियों द्वारा रेल कर्मचारियों के लिए बनी सामुदायिक टट्टियों का दुरुपयोग करना है। इसके अतिरिक्त गाय, भैंस और सुअर दूसरे स्थानों से आ कर इस कालोनी में घुमते रहते हैं और गन्दगी फैलाते हैं।

इस कालोनी की सामान्य सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक क्वार्टर में अलग से स्नानघर और टट्टी बनाने तथा सामुदायिक टट्टियों को गिरा देने का भी रेल प्रशासन का विचार है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो। रेल कर्मचारियों की सहायता और सहयोग से कालोनी में जानवरों के अतिक्रमण की रोकथाम करने का भी विचार है।

कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित लाभ

1133. **श्री वयालार रवि** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित लाभ की कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान किन किन कपड़ा मिलों को लाभ हुआ है और प्रत्येक फर्म के लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान किन किन कपड़ा मिलों को घाटा हुआ है और प्रत्येक मामले में कितना घाटा हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 31-3-1972 तक देश में 783 कपड़ा मिल कम्पनियां कार्यरत थीं। इन सभी कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये लाभ की बाबत सूचना सुलभ नहीं है। तथापि, इन कम्पनियों में से 133 कम्पनियों का अध्ययन किया गया है। इन 133 कम्पनियों द्वारा तीन वर्षों के अर्जित लाभ (करों से पहले) की कुल राशि निम्न प्रकार हैं :—

('000 रु० में)

1	2	3
1969-70	1970-71	1971-72
45,38,87	52,19,19	43,39,30

(ख) 82 कपड़ा मिल कम्पनियों, जिन्होंने तीनों वर्षों में लाभ अर्जित किया, के नाम, प्रत्येक कम्पनी के लाभ में वृद्धि के प्रतिशत सहित, विवरण-पत्र-1 में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8500/74]**

(ग) 51 कपड़ा मिल कम्पनियों, जिन्होंने तीनों वर्षों में से प्रत्येक में हानियां उठाईं, के नाम, तथा उनकी हानियों की सीमा, संलग्न विवरण-पत्र-2 में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8500/74]**

बिना टिकट यात्रा के मामलों में कमी

1135. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने के मामलों में कमी होने के साथ साथ रेलवे की इससे आय में भी कमी हुई है ;

(ख) क्या इससे बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी का बोध होता है अथवा अपराधियों को पकड़ने में ढील का ;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बिना टिकट यात्रा के पकड़े गये मामलों का ब्यौरा क्या है और उससे कितनी आय हुई ; और

(घ) इन वर्षों में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों में ढील आने के क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 1973-74 तक पिछले तीन वर्षों में बिना टिकट यात्रा करने के मामले में पकड़े गये यात्रियों की संख्या और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व में मामूली कमी-वेशी हुई है । इस संबंध में लगातार कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	बिना टिकट या गलत टिकटों से यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों के मामलों की संख्या	उनसे वसूल की गयी किराये और जुर्माने की रकम
		(रुपये)
1971-72 . . .	16,65,083	2,01,31,661
1972-73 . . .	17,49,004	2,17,39,384
1973-74	16,17,222	2,09,12,731

(घ) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के प्रयास में कोई ढिलाई नहीं की गयी है ।

रेल कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान

1136. श्री बेकारिया :

श्री डी०पी० जदेजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय विभिन्न मजदूर संघों द्वारा रेल कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों के आधार पर उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक विचार शुरु किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इन शिकायतों को दूर करने हेतु बातचीत के लिये सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न ट्रेड यूनियनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाई सदैव मामलों के गुणावगुण के आधार पर की जाती है ।

(ख) और (ग) स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के अन्तर्गत मजदूर संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। अतः वार्ता की सुविधा प्राप्त संगठनों के अतिरिक्त किसी अन्य संगठन को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय नई दिल्ली, (उत्तर रेलवे) के सब-हैड्स को निलम्बित करना

1137. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सब-हैड्स को निलम्बित किये जाने के बारे में 30 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुकिंग गैस की कमी

1138. **श्री मुखितयार सिंह मलिक:**
श्री वीरेंद्र सिंह राव :
श्री जगन्नाथ मिश्र:
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कुकिंग गैस की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कुकिंग गैस की कितनी मांग है;

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए कितने गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता है; और

(ङ) कुकिंग गैस की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाहीं की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : ऐसे कारणों, जो उन के नियन्त्रण के बाहर हैं, से उत्पन्न हुई छुट-फुट अस्थाई कमियों के सिवाय, आई ओ सी तथा एच पी सी अपने वतमान ग्राहकों की गैस सिलेन्डरों संबंधी आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में समर्थ है । तथापि, जुलाई 1974 से उन की शोधनशालाओं में कच्चे तेल की थ्रूपुट में कमी हो जाने के कारण वर्मा-शैल तथा कालटैक्स द्वारा अपने वर्तमान ग्राहकों को की जा रही सिलेन्डरों की सप्लाई में कमी हो गई थी । तथापि, बाजारों के पुन: वर्गीकरण तथा अपनी शोधनशालाओं के लिये कच्चे तेल की उपलब्धि में तुलनात्मक वृद्धि हो जाने के कारण स्थिति में अब सुधार हो गया है । लेकिन वर्मा-शैल तथा कालटैक्स द्वारा कोई नये ग्राहक नहीं बनाये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) : गैस के नये चूल्हों की मांग तथा नये शहरों में एल पी जी (खाना पकाने की गैस) की बिक्री शुरू करना तेल कम्पनियों के उत्पादन तथा विक्रय क्षमता से बहुत अधिक है । 1974-75 के दौरान, एल पी जी के विक्रय का अनुमान 300,000 मीटरी टन है । तेल कम्पनियों तथा उन के वितरकों के पास इस समय 32.47 लाख सिलेन्डर हैं जो कि उन के वर्तमान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं । 1974-75 के दौरान सिलेन्डरों की अतिरिक्त उपलब्धता भी उपर्युक्त विक्रय लक्ष्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी ।

(ङ) आई ओ सी द्वारा शोधनशालाओं से एल पी जी के उत्पादन को अधिकतम करने तथा इसके पूरी तरह से प्रयोग किये जाने के लिये विक्रय संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के प्रयत्न कर रही है। एल पी जी के लिये विक्रय संबंधी सुविधाओं के लिये शोधनलशालाओं में तथा बोटलिंग स्थलों पर विशेष स्टोरेज टैंकों की स्थापना करने, प्रचुर मात्रा में माल लाने ले जाने के लिये परिवहन प्रबंध करने, बोटलिंग सुविधाओं, अतिरिक्त सिलेन्डरों तथा वाल्वों तथा उपयुक्त स्टोरेज सुविधाओं से युक्त वितरकों तथा प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत है। इस बारे में आई ओ सी द्वारा एक योजना बनाई जा चुकी है। सिलेन्डरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 1973-74 के दौरान आई ओ सी द्वारा 5,000 मीटरी टन इस्पात का आयात किया गया था तथा चालू वर्ष के दौरान इतनी ही मात्रा के आयात करने की योजना है। इस से आई ओ सी के विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकताएं 1975-76 तक पूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें

1139. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन नई लाइनों को शामिल किया गया है;

(ख) नई रेलवे लाइनों पर कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ग) नई रेलवे लाइनों पर अनुमानित व्यय कितना आयेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनायी जाने वाली नई रेलवे लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन निम्नलिखित नई रेलवे लाइनें मंजूर कर ली गयी हैं और 1974-75 की वार्षिक योजना में शामिल कर ली गयी हैं। इन लाइनों की अनुमानित लागत और उन्हें पूरा करने की अन्तिम तारीख प्रत्येक के सामने नीचे दी गयी है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	खुलने की अंतिम तारीख
1.	रोहतक-भिवानी (ब० ला०)	6.13	मार्च, 1979
2.	हसनपुर-सीकरी (मी० ला०)	5.96	मार्च, 1978
3.	मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम को ब० ला० रेल सम्पर्क	15.00	मार्च, 1979
4.	झंझारपुर-लौकहा बाजार (मी० ला०)	2.93	अप्रैल, 1976
5.	बीबीनगर-नाडिकुडे (ब० ला०)	13.47	1-4-1979
6.	बांसपानी-जखपुरा (ब० ला०)	39.00	1-4-1980

डीजल और मिट्टी के तेल की कमी

1140. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी है, जबकि ये बाजार में ऊंची कीमत पर अवैध रूप से उपलब्ध हैं;

(ख) क्या कमी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाल के विगत दिनों में देश में डीजल तेल की कमी होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है । तथापि खपत को कम करने के लिए राज्यों को मिट्टी के तेल के आबंटन में कटौती की गई है । हो सकता है कि इससे कतिपय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी उत्पन्न हो गई हो । इन उत्पादों की किसी प्रकार की जमाखोरी और काले-बाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दे दिये गए हैं ।

(ख) और (ग) यद्यपि राज्य सरकारों को डीजल तेल की खपत में बचत करने के बारे में अनेक उपाय करने के लिए सलाह दी गई है तथापि वर्तमान में इस तेल की खुली उपलब्धता है तथा समस्त राज्यों में वर्तमान मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है ।

चालू महीने से उपलब्धता को बढ़ाने हेतु राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में लगाई गई कटौतियों में भी कमी कर दी गई है । कटौतियों की सीमा को जिसे किन्हीं महीनों में 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, समग्र उपभोग में केवल लगभग 10 प्रतिशत कमी लाने हेतु अब घटा दिया गया है । राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल की प्रभावकारी विवरण प्रणाली अपनाने तथा मिट्टी के तेल की जमाखोरी या काले बाजारी के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाई करने की सलाह दे दी गई है ।

मुगलसराय से परे कोयले की सप्लाई

1141. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण मुगल सराय से परे कोयला सप्लाई की स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मुगल सराय से परे कोयला सप्लाई करने के लिए और अधिक वैगनों की व्यवस्था करने के बारे में क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन

1142. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कतिपय परिवर्तन करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या संसद् की संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों को संशोधनों कें रूप में इस अधिनियम में शामिल किये जाने की आशा है; और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : संसद् की संयुक्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों को, जहां तक उन्हें स्वीकार करने योग्य पाया गया, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973 में, जो 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, कार्यान्वित किया गया है । जहां तक कोई अन्य परिवर्तन करने के लिए और आगे कार्यवाही करने का संबंध है, इसके लिए समुचित अवसर उस समय होगा जब पूर्वोक्त विधेयक को लोक सभा में विचारार्थ लिया जाएगा । इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है ।

हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड द्वारा जनता साबुन का उत्पादन और बिक्री

1143. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की, जो एक विदेशी सहायक कम्पनी है, लाइफ वॉय, लैक्स और रेक्सोना के साथ जनता साबुन के उत्पादन और बिक्री की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग किये जाने वाले सभी साबुनों की बिक्री भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित संगठित क्षेत्र द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों वाले तथा-कथित लाभकर साबुनों का उत्पादन और बिक्री करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जिससे हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को और अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित साबुनों पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा लेने के बाद तथा साबुनों की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए अधिकतम उत्पादन करने की व्यवस्था के अनुसार संगठित क्षेत्र में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर सहित साबुन निर्माताओं को अन्य बातों के साथ साथ जनता किस्म का नहाने के साबुन का उत्पादन भी करना था ।

(ख) आई एस आई की प्रमाणीकरण परियोजना एक स्वैच्छिक परियोजना है ।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड पिछले कई वर्षों से इस किस्म (ब्रान्ड) के साबुन का उत्पादन कर रहे हैं तथा विदेशी स्वामियों को इन ब्रान्ड नामों का प्रयोग करने के उपलक्ष में कोई रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाता ।

दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदला जाना

1144. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री हरी सिंह :
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि नहीं तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई और उक्त कार्य के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना की लागत में रेलवे और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर हिस्सा बंटाया जा रहा है । चालू वित्तीय वर्ष के रेलवे बजट में इस काम के लिए 21 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जब कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गयी है जिसमें से 1 करोड़ रुपये रेलवे को उपलब्ध हो चुके हैं । आशा है कि यह परियोजना अप्रैल, 1978 तक पूरी हो जायेगी ।

पश्चिम रेलवे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध परेशान करने संबंधी मामलों का वापिस लिया जाना

1145. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की आम हड़ताल के दौरान पश्चिम रेलवे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के कुछ पदाधिकारियों को भी आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और सेवा से हटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के स्टेशन तथा पदनाम सहित नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने घोषणा की थी कि वह उन रेल कर्मचारियों को परेशान नहीं करेगी जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था और जो तोड़-फोड़ करने में शामिल नहीं थे ; और

(घ) क्या कर्मचारियों को वापिस काम पर नहीं बुलाया गया है और परेशान करने सम्बन्धी मामले वापिस नहीं लिये गये हैं ; यदि हां तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ; और परेशान करने सम्बन्धी मामलों का वापिस लेने में सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है और मामलों को अंतिम रूप देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कोई भी रेल कर्मचारी जिसने मई, 1974 की हड़ताल के दौरान देश के कानन की अवहेलना की थी और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया था उसके विरुद्ध कानून के उपबन्धों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की गयी है । आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को प्रशासन ने मान्यता नहीं प्रदान की है अतएव इस एसोसिएशन के पदाधिकरियों के बारे में, जो आंतरिक सुरक्षा अनरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार हुए होंगें, उनकी सूचना नहीं दी जा सकती ।

(ग) से (घ) किसी भी रेल कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होता यदि वह देश के कानून की सीमाओं के अंतर्गत काम करता है । लेकिन, रेल कर्मचारियों द्वारा किये गये विभिन्न अपराधों के लिए उनके विरुद्ध जो मुकदमें दायर किये गये हैं उन्हें कानून की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और कानून अपना समय लेगा, इसलिए उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

निर्वाचन विधियों का उपांतरण

1146. **श्री एस०एन० मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्वाचन विधि में उपातंरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने निर्वाचन विधियों का उपातंरण करने के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने पूर्व विपक्षी दलों के विचार जान लिए थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं :

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी हां । कंवर लाल गुप्त बनाम अमरनाथ चावला और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में 1974 के अध्यादेश सं० 13 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसने "उपगत या प्राधिकृत" पद का विस्तृत निर्वचन किया है जिससे कि इसकी परिधि के अन्तर्गत वे व्यय भी शामिल किए जा सकें जो न केवल अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा बल्कि राजनीतिक दल द्वारा भी उपगत किए गए हों । उक्त अध्यादेश से प्रभावित संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 77 में निहित आशय को यह उपबन्ध करके स्पष्ट कर दिया गया है कि उस धारा के अधीन अधिकतम रकम की गणना करने में वह व्यय हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय या राजनीतिक दलों द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया हो । अन्यथा उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने न्यायालयों के पिछले निर्णयों के आधार पर उस समय समझे गए विधि के उपबन्धों के अनुसार अपना निर्वाचन लड़ा था, अनचाही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

(ग) जी नहीं । तथापि सरकार निर्वाचन सुधारों पर जिनमें निर्वाचन व्ययों में कटौती करने के उपाय भी सम्मिलित हैं, विचार विमर्श करने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करने का विचार कर रही है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्वाचन व्यवस्था में परिवर्तनों के बारे में पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य

1147. श्री एस०एन० मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री ने पूना में यह कहा है कि निर्वाचन व्यवस्था तथा साथ ही साथ सांविधानिक ढांचे में भी उपयुक्त परिवर्तन किया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किए जाएंगे ; और

(ग) निर्वाचन व्यवस्था में कहां तक परिवर्तन कर दिया जाएगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का संबंध, संभवतः उस तकनीकी चर्चा से है जो राजनीतिक और सामाजिक अध्ययन अकादमी द्वारा पूना के एस० पी० महाविद्यालय में 19 अक्तूबर, को आयोजित 'भारतीय लोकतंत्र का भविष्य संबंधी व्याख्यान-माला' में हुई थी, जिसमें केन्द्र के पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर इसके अध्यक्ष की हैसियत से भाग ले रहे थे । यह कोई असामान्य बात नहीं है कि ऐसे अवसरों पर शैक्षिक रुचि के प्रश्न रखे जाएं और वक्तागण अपनी वैयक्तिक हैसियत से उस पर अपनी राय प्रकट करें, फिर भी, वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों को संदर्भ से परे हटकर इस प्रकार उद्धृत किया गया है जिससे कि यह धारणा पैदा हो कि मंत्री महोदय विषय के किसी ऐसे पहलू पर सरकार के विचार प्रकट कर रहे थे जिसका संबंध "निर्वाचन-प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ ही साथ सांविधानिक ढांचे में भी परिवर्तन करने" से है ।

तथापि, यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि निर्वाचन विधि का संशोधन करने संबंधी एक विधेयक, अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1973 लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1973 को पुरःस्थापित किया गया था और वह लोक सभा में विचाराधीन है।

राज्यों को मिट्टी के तेल का पूरा कोटा पुनः दिया जाना

1148. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को मिट्टी के तेल की पूरी सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस महीने से ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में अभी भी मिट्टी के तेल की भारी कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की मांग क्या है तथा वर्तमान कमी कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) से (घ) यद्यपि नवम्बर के बाद से राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे बढ़ा दिये गये है, लेकिन पूरी सप्लाई पुनः आरम्भ नहीं की गई है। अत्याधिक रूप से बढ़े हुए मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये देश के विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर पड़े भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से मिट्टी के तेल जो निजी उपयोग की वस्तु है, में बचत करना जरूरी है। विगत में राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में कुछ महीनों के दौरान 30 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई थी। नवम्बर में, राज्यों के लिये कोटे इस ढंग से नियत किये गये हैं ताकि समस्त कुल खपत में केवल 10 प्रतिशत के लगभग कमी की जा सके। उन राज्यों, जहां मिट्टी के तेल की खपत कम है, अर्थात् 500 मिलियन मीटर प्रतिवर्ष से कम है, के मासिक कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है। राज्यों में विद्युतीकरण या अन्य वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धि की सीमा को ध्यान में रख कर ही अन्य राज्यों के आबंटन में कटौती की जाती है। किसी भी राज्य में 15 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं की गई है।

बगदाद में विश्व तेल सम्मेलन

1149. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अक्तूबर, 1974 में बगदाद में हुए विश्व तेल सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ; और

(ग) मुख्यतया किन-किन विषयों पर विचार किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1 नवम्बर 4 से नवम्बर, 1974 तक बगदाद में तेल एवं कच्चे माल विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा इंडियन आयल कारपोरेशन के एक प्रतिनिधि आमंत्रित

थे । किन्तु पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने इसमें उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी । इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक (विपणन प्रभाग) ने उक्त संगोष्ठी में इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है एवं यथाशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के बकुलताला में तेल खुदाई के कार्य में प्रगति

1150. श्री एच० एन० मुखर्जी:
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के बकुलताला स्थान पर तेल खुदाई के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार को पहला कुंआ कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस उद्देश्य के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है । बकुलताला में लगभग मार्च 1975 तक व्यधन कार्य करने के लिए सिविल निर्माण और अन्य प्रारंभिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

Decision to set up Benches of Allahabad High Court at Jhansi and Merrut

1151. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up Benches of Allahabad High Court in Jhansi and Meerut cities of Uttar Pradesh; and

(b) if so, when these benches are likely to be set up ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Disposal of cases pending with High Courts and Supreme Court

1152. **Shri Hari Singh :**
Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the average number of cases disposed of by the Supreme Court during one year;

(b) whether in view of the slow rate, the cases pending in the Supreme Court will be disposed of within a reasonable period of time; and

(c) if not, whether Government propose to appoint some new judges for the disposal of pending cases ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shir H. R. Gokhale) : (a) The average for the last three years was 6,640.

(b) Every effort is being made by the Supreme Court to expedite the disposal of pending cases.

(c) The maximum strength of the Supreme Court permissible under the Constitution is 14 Judges including the Chief Justice and the Supreme Court is already functioning with the maximum strenghth. There is no proposal to increase the Judge strength further.

Proposal to set up Benches in Supreme Court and High Courts for disposal of labour cases

1153. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 2340 on the 13th August, 1974 regarding proposal to set up Benches of High Courts and Supreme Court for disposal of labour cases and state :

(a) the progress made so far in setting up special benches in High Courts for disposing of labour disputes;

(b) whether Government have conducted any enquiry in this regard; and

(c) if so, the findings thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) to (c) Benches for the disposal of different categories of cases like labour cases, taxation matters, election appeals etc. are constituted by the Chief Justices of High Courts, whenever considered necessary, in accordance with the rules of High Courts. However, the matter is still under examination.

राज्यों को पैट्रोलियम उत्पादों का आवंटन और उनकी बेकार खपत को रोकना

1154. **श्री बी०बी० नायक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम-उत्पादों का राज्यवार आबंटन किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) जीप जैसी अधिक खपत वाली गाड़ियों में पेट्रोलियम उत्पादों की बेकार खपत को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या जीपों के चलाये जाने पर रोक लगाने की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) मिट्टी के तेल को छोड़कर कर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे का नियतन खपत के विगत आधार पर किया जाता है।

(ख) पेट्रोल के मूल्य में भारी वृद्धि हो जाने से जीप आदि गाड़ियों के ईंधन में किफायत करने के लिये निर्माताओं द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये बताये जाते हैं। निम्न अनुपात के पिछले धुरे, नौसिक्रिया आकार के मेट्स तथा कार्बूरेटर पर वेन्टूरी आदि तकनीकी संशोधन किये गये हैं। निर्माताओं द्वारा विभिन्न जीप गाड़ियों पर निशुल्क नैदानिक जांच भी की जा रही है और ऐसी त्रुटियां, जिन के कारण ईंधन की बचत नहीं हो पाती, जीप के ग्राहकों के ध्यान में लाई जा रही है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को सौंपे गये मामले

1155. **श्री बी०बी० नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्थापना के बाद उसे कुल कितने मामले सौंपे गये; और

(ख) कितने मामलों पर निपटारा किया गया तथा उनके क्या परिणाम निकले और इस समय एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन कितने मामले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8501/74]

Late Running of Jhansi Manikpur Passenger Train

1156. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of days as also the time by which the Jhansi Manikpur Passenger train arrived and departed late during the period from 1st July, 1974 to 30th September, 1974.

(b) whether a lesser number of bogies is attached to this train on the occasion of fairs; and

(c) whether there is only one engine to haul this train for both UP and DN services resulting in its late arrival and departure and further delay is caused in fueling and watering this engine and if so, the remedial measures taken by the Railway department ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) A statement showing the extent of late running of Jhansi-Manikpur Passenger train for the period 1st July, 1974 to 30th September, 1974 is attached. [Placed in Liabrary. See No. L.T. 8502/74]

(b) No.

(c) Yes. The same engine is required to do the UP and Down trips in respect of each of 521/522 and 523/524 pairs of trains. However, the punctuality performance of these passenger trains is unsatisfactory primarily because of very heavy incidence of alarm chain pulling and theft of communication wires causing interruption of control working and consequent detentions enroute. Such miscreant activities are being tackled in concert with civil authorities through coordination at suitable levels.

Sale of iron loaded in a wagon by Station Master, Kulpahar

1157. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a wagon full of iron had reached Kulpahar Station of Jhansi Division (Central Railway) alongwith empty wagons in the second week of May;

(b) whether the Station Master on duty at Kulpahar Station got the iron of this wagon unloaded and sold it to a contractor;

(c) whether a complaint was lodged in this regard by a Member of Parliament of this area to his Ministry;

(d) whether on the day the enquiry officer went to the station for conducting enquiry full quantity of the iron was not available there and it was made good afterward by bringing back the same;

(e) whether the Station Master had also not indicated the number of the wagon; and

(f) if so, the reasons for not suspending the Station Master before the commencement of the enquiry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No. However, on 6-2'74 one wagon No. CR 55705 was received at Kulpahar Station as 'empty' but it was found loaded with scrap iron jaws.

(b) The contents of the wagon received on 6-2-74, were got unloaded by the Station Master. As regards the sale thereof to a contractor, the matter is still under eqnuiry.

(c) Yes, in regard to the wagon received on 6-2-74.

(d) The matter is still under enquiry by a Gazetted Officer's Enquiry Committe. consisting of Assistant Commercial Superintendent, Asistant Security Officer and Assistan Controller of Stores.

(e) The number of the wagon was not indicated properly.

(f) As enquiries were in progress, it was not considered necessary to place the Station Master under suspension.

स्टीम कोयले की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द कर दिया जाना

1158. **श्री राज देव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेलवे हड़ताल के बाद स्टीम कोयले की कमी के कारण केवल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी कर रही कुछ यात्री गाड़ियों रद्द हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ियों की जोनवार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन का विचार इस कमी को कोयला खानों के मुहानों से अपेक्षित मात्रा में तथा अच्छी किस्म के कोयले की ढुलाई के लिये और अधिक वैगन आवंटित करके पूरा करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

तेल की खोज के बारे में डेनमार्क के एक आविष्कारक द्वारा निकाली गई नयी प्रणाली

1159. **श्री राज देव सिंह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डेनमार्क के कार्ल कोइयार नामक आविष्कारक ने एक नया तरीका पेटेंट कराया है जिससे तेल शीघ्रता से ऊपर आ जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरीके तथा उसके लिये उपकरणों का उपयोग गुजरात के तेल के कुओं और आसाम के तेल क्षेत्रों के लिये किया जाएगा जो धीमी गति से तेल निकालने के कारण लाभप्रद नहीं रहे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है एवं यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

नेफ्था का निर्यात

1160. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पहले ही निर्यात किए जा चुके एक लाख टन नेफ्था के अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान 75,000 टन और नेफ्था निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र नेफ्था का कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं ; और

(ग) क्या कुछ उर्वरक संयंत्रों में नेफ्था को मूल सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है ; यदि हां, तो क्या हमारे शोधन-शालाओं में नेफ्था के अतिरिक्त उत्पादन के कारण निर्यात की आवश्यकता हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चालू वर्ष में जुलाई 14 तक लगभग 124,000 मीटरी टन नेफ्था निर्यात किया गया है । इस महीने और 20,000 मीटरी टन का निर्यात किए जाने की योजना है । चालू वर्ष के दौरान, यदि आवश्यक समझा गया, बाद में और 50,000 मीटरी टन नेफ्था का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) : देश के अधिकांश उर्वरक संयंत्र संभरण सामग्री के रूप में नेफ्था का इस्तेमाल करते हैं । नई उर्वरक परियोजनाओं की कार्यान्विति में विलम्ब हो जाने तथा वर्तमान संयंत्रों के पूरी क्षमता पर न चलने के कारण उर्वरक संयंत्र नेफथा की अनुमानित स्तर पर खपत नहीं कर सके । इससे नेफ्था के निर्यात की जरूरत बढ़ गई है ।

काश्मीर में तेल और गैस निक्षेपों का पता लगना

1161. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Prices of Life-saving drugs and their availability in Rura Areas

1162. **Shri R.V. Bade :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Petroleum & Chemicals** be pleased to state :

(a) the statement showing the prices of life-saving durgs of common use for the ast three years, year-wise as also the prices thereof at present;

(b) the steps taken to make these drugs easily available at cheap rates to those living in far off forests, hills and villages;

(c) whether there is a scheme to supply life-saving drugs to vulnerable areas at concessional rates and if not, the reasons therefor;

(d) whether the Central Government propose to implement any special scheme in this regard in the coming years; and

(e) if so, the broad features thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh) :

(a) The required information about the prices of 17 'essential' bulk drugs listed in Schedule I of Drugs (Prices Control) Order, 1970, is indicated in the attached Annexure. [Placed in Library See No. L.T. 8503/74]

(b) to (e), A Scheme aimed at making available at reasonable prices essential Household remedies to the rural population particularly to the people residing in remote areas has been included in the Fifth Five Year Plan. For this purpose an allocation of Rs. 500 lakhs has been made in the Fifth Five Year Plan in the programme of the Ministry of Health and Family Planning. Under this scheme a list of about 100 drugs has been drawn-up for manufacture and supply to the masses through the primary Health Centres and Sub-centres. The measures required for making common drugs and medicines available at reasonable prices to the common man has also been examined by the Committee on Essential Commodities of Mass Consumption set up by the Planning Commission. The Government have

also appointed a committee under the Chairmanship of Shri Jaisukhlal Hathi whose terms of reference, inter-alia include : (i) to examine the measures taken so far to reduce the prices of drugs to the consumers and to recommend such further measures as may be necessary to rationalise the prices of drugs and formulations; and (ii) to recommend measures for providing essential drugs and common House-Hold Remedies to the general public especially in the rural areas. The Committee has yet to submit its report.

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मूल्य बढ़ाये जाने के कारण अशोधित तेल के आधार पर खर्च में वृद्धि

1163. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल सप्लाई करने वाली तीन विदेशी फर्मों अर्थात् बर्मा शैल, काल्टक्स और एस्सो द्वारा मूल्य में 50 सेंट प्रति बैरल की वृद्धि को देखते हुए सरकारी हिसाब में अशोधित तेल के आयात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बर्माशैल, काल्टैक्स तथा एस्सो ने अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई जो निम्न प्रकार हैं :—

	से	को
बर्माशैल (1-10-74 से)	डालर 9.90/बी०बी० एल०	डालर 10.40/बी०बी०एल
(14-11-74 से अस्थाई)	डालर 10.40/बी०बी०एल०	डालर 10.67/बी०बी०एल०
कालटैक्स		
(1-10-74 से)	डालर 9.75/बी०बी०एल०	डालर 10.25/बी०बी०एल०
एक्सोन		
(3-10-74 से)	डालर 9 764/बी०बी०एल०	डालर 10.094/बी०बी०एल०

इस समय सरकार की ओर से अशोधित तेल के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

बिना टिकट यात्रा

1164. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में पहली जनवरी, 1974 से 31 अक्टूबर, 1974 तक बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल कितने यात्री पकड़े गये ;

(ख) इसी अवधि में उनसे जुर्माने के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ग) जुर्माना न देने के कारण उनमें से कितने यात्रियों को जेल भेजा गया ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को बिना जुर्माने दिये जाने दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के दौरान 11,67,917 व्यक्ति बिना टिकट या अनुचित टिकटों पर यात्रा करते पकड़े गये थे । अक्तूबर, 1974 के आंकड़े अभी क्षेत्रीय रेलों से आने बाकी हैं ।

(ख) उनसे प्राप्त रकम इस प्रकार है :

(i) किराया और प्रतिप्रभार 1,59,64,659 रुपये

(ii) न्यायिक जुर्माना 9,05,359 रुपये

(ग) 79,159

(घ) सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेटों को प्राप्त विवेकधिकारों के अन्तर्गत 6,212 यात्रियों को अदालतों द्वारा छोड़ दिया गया था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

1165. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री मती सावित्री श्याम :
श्री स०ए० गुरुगनन्तम :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री राम सहाय पांडे:
श्री बी० मयावन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पुनर्गठन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन विचाराधीन है । इस समय कोई ब्यौरे बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

अफ्रीकी देशों को डिब्बों का निर्यात

1166. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अफ्रीकी देशों से रेल डिब्बों की सप्लाई के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और सरकार को प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये रेल डिब्बे कब तक निर्यात कर दिये जाएंगे ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, पहले एक बार । फिलहाल, कोई नया आर्डर हमारे पास नहीं है ।

(ख) जाम्बिया, 4 निरीक्षण और 2 कैब्रज सवारी डिब्बों के लिए ।

(ग) ये सवारी डिब्बे जून, 1973 में जहाज से भेज दिये गये ।

(घ) लगभग 11.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा कर्मचारियों को दिये गये अनुदेश

1167. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल में दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न रेलवे याडों का अचानक दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रेलवे के कार्यकरण में जिन त्रुटियों का पता लगा उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उनके द्वारा कर्मचारियों को दिए गए अनुदेशों की रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । रेलवे राज्य मंत्री ने 25-10-74 को नयी दिल्ली और दिल्ली जंक्शन स्टेशनों का निरीक्षण किया था ।

(ख) पायी गयी अनियमितताएं ये थीं कि कुछ गाड़ियों के अनारक्षित सवारी डिब्बे गाड़ियों को प्लेटफार्म पर लगाये जाने से पहले ही यात्रियों द्वारा दखल कर लिये गये थे, सफाई सुविधा की फिटिंगों तथा रोशनी व्यवस्था की दृष्टि से कुछ सवारी डिब्बों की दशा संतोषजनक नहीं थी तथा बुक स्टाल की ट्रालियों पर कुछ किताबें बिना मुहर लगी पायी गयीं ।

(ग) जो कमियां पायी गयी हैं उनको दूर करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि टिकट जांच, सफाई, सवारी डिब्बे और बुक-स्टालों की भली-भांति जांच करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाये ।

बिहार बन्द के दौरान तोड़-फोड़ के मामले

1168. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) बिहार के कितने स्थानों पर अक्तूबर, 1974 के प्रथम सप्ताह में बिहार वंद के दौरान रेलवे में तोड़-फोड़ तथा अन्य प्रकार की हानि के मामले पाए गए ; और

(ख) ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमं श्री बूटा सिंह सिंह) : (क) 104 स्थानों में ।

(ख) राज्य पुलिस के प्राधिकारियों द्वारा अभी तोड़-फोड़ के मामलों को जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है ।

गत तीन वर्षों में पूर्वी रेलवे में चोरियां

1169. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी रेलवे में कुल कितने मूल्य का माल चोरी गया ;

(ख) क्या चोरी की समस्या पूर्वी क्षेत्र में बहुत बढ़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से हुआ है ;

(घ) चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या हैं ; और

(ङ) उनका अब तक क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पूर्व रेलवे पर उठाईगीरी (जिसमें सीलबंद माल डिब्बों से उठाईगीरी भी शामिल है) के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान जितने माल की हानि हुई उसका कुल मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	खो गयी सम्पत्ति का मूल्य
1971	92,28,098 रुपये
1972	35,31,616 रुपये
1973	63,95,756 रुपये

(ख) जी हां।

(ग) कानून और व्यवस्था में गिरावट, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में, कीमतों में भारी वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी बड़ी मात्रा से उठाईगीरी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार मुख्य तत्व हैं।

(घ) उठाईगीरी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) सभी महत्वपूर्ण यार्डो, माल गोदामों, यानान्तरण/रिपैकिंग स्थलों आदि पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा दिन-रात पहरा दिया जा रहा है।

(ii) नामांकित माल गाड़ियों , विशेषरूप से ऊंची दर वाली पण्यों को ढोने वाली गाड़ियों पर भेद्य स्थलों पर रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग रक्षियों का पहरा रहता है ।

(iii) चोरी का माल लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं और मामलों का चालान रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत किया जाता है।

(iv) अपराधियों की कार्यवाइयों पर निगाह रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के सादी पोशाक कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(v) रेलों पर अपराधों की रोकथाम और पता लगाने के लिये रेलवे के मजदूर यूनियनों की सहायता और सहयोग मांगा गया है ।

(vi) रेलों पर बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक सहयोग दिया जाता है ।

(ङ) पंजीकृत उठाईगीरी के मामलों (इसमें सीलबंद मालडिब्बों से उठाईगीरी के मामले भी शामिल हैं) की संख्या 1971 में 14,699 थी जो 1972 में घटकर 11,186 और 1973 में 8,252 रह गयी है । लेकिन सभी पण्यों के मूल्य के सामान्य स्तर में भारी वृद्धि होने के कारण वर्ष 1973 के दौरान उठाईगीरी की सम्पत्ति की मूल्य में कमी कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

एक्सोन द्वारा अरब के अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि

1170. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकसोन ने अरब के अशोधित तेल के मूल्य में 31 अक्तूबर, 1974 से 30 सैंट की और वृद्धि कर दी है ;

(ख) क्या इसका अर्थ यह है कि इससे सरकारी कोष पर पूरे वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये का और बोझ पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) एकसोन ने 3 अक्तूबर, 1974 से अरब के अशोधित तेल (अरेबियन मिक्स) के मूल्य में 33 सैन्टस प्रति बैरल से वृद्धि की है ।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) एक्सोन को कहा गया है कि वे वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करें तथा उसकी मात्रा बताएं ।

रेलवे द्वारा रेल कर्मचारियों की स्वीकार की गई मांगों को क्रियान्वित किया जाना

1171. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेल कर्मचारियों की अखिल भारतीय आम हड़ताल के अवसर पर रेल कर्मचारियों की कुछ मांग स्वीकार की थी ;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें कौन सी थीं ;

(ग) क्या उन्होंने किसी मांग को क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, कतिपय रियायतें मान ली गयी थीं जो मुख्यतः इस प्रकार हैं :– (i) मियांभाई पंचाट को पूर्णतः लागू करना (ii) श्रेणी iii और श्रेणी iv के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा तथा ग्रेड ऊंचा करना (iii) वेतन आयोग की सिफारिशों

के ढांचे के अन्तर्गत काम का मूल्यांकन (iv) वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप उत्पन्न असंगतियों को दूर करना (v) नैमित्तिक मज़दूरों के नियोजन के बारे में कुछ नीतियां और (vi) 300 परिवारों से अधिक मकान वाली रेलवे बस्तियों में उचित दर की दुकानें खोलना ।

(ग) और (घ) इन सभी रियायतों के संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है और इन्हें लागू किया जा रहा है ।

रेल कर्मचारियों की गत अखिल भारतीय आम हड़ताल के कारण बर्खास्त किये गये /मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों की संख्या

1172. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों की गत अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लेने के आरोप में (एक) बर्खास्त किये गये और (दो) अभी तक मुअत्तिल कर्मचारियों की रेलवे-वार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इन कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) साधारणतया, कोई रेल कर्मचारी हड़ताल में भाग लेने मात्र से सेवा से पदच्युत या निलम्बित नहीं किया जाता । लेकिन, मई, 1974 की रेल हड़ताल में पदच्युत किये गये और अभी तक निलम्बित कर्मचारियों की रेलवेवार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

रेलों पर अपीलें और अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और अब तक लगभग 12,000 कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है ।

विवरण

रेलवे	पदच्युत/सेवामुक्त/ निष्कासित कर्मचारियों की कुल संख्या	अभी तक निलम्बित कर्मचारियों की कुल संख्या
मध्य . . .	1701	118
पूर्व . . .	2585	165
उत्तर .	1389	79
पूर्वोत्तर	826	262
पूर्वोत्तर सीमा	3336	9
दक्षिण	530	55
दक्षिण मध्य	707	—
दक्षिण पूर्व	2098	263
पश्चिम .	3507	46
जोड़	16679	997

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग द्वारा टाटा बन्धुओं की 11 कम्पनियों के मामलों की जांच

1173. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग में टाटा बन्धुओं को 11 कम्पनियों के मामलों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अभी तक एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 10 (क) (1) और 10 (क) (3) के अन्तर्गत टाटा समूह से सम्बन्धित निम्नलिखित कम्पनियों के विरुद्ध जांच गठित की है :--

धारा 10(क)(1)

(1) इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड और उसकी दिल्ली की 3 वितरक

धारा 10(क)(3)

(1) टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड

(2) टाटा आइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड

(3) स्वदेशी मिल्स कम्पनी लिमिटेड

(4) अहमदाबाद एडवांस मिल्स लिमिटेड

(5) टाटा मिल्स लिमिटेड

(6) सन्ट्रल इण्डिया स्पि० एण्ड मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड

(7) टाटा केमिकल्स लिमिटेड

पूर्वोक्त सभी जांचें, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10(क) (1) के अन्तर्गत इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड और उसकी दिल्ली की—3 वितरकों, जिनके मामले में आयोग ने अपने आदेश दिनांक 11 अप्रैल, 1974 के अनुसार वितरकों द्वारा प्रस्तुत और इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड द्वारा समर्थित वितरण की एक वर्ष की योजना का परीक्षण आधार पर अनुमोदन के मामले को छोड़कर, अभिवचन स्तर पर हैं। वितरकों ने यद्यपि आयोग से योजना में कतिपय संशोधनों के लिए अब सम्पर्क स्थापित किया है। मामला आयोग के विचाराधीन है।

पाइप डीलर्स एसोसियेशन ने चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में आयोग के निर्णय दिनांक 11 अप्रैल, 1974 के विरुद्ध एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत की है।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड के व्यवसायिक बाहनों के क्षेत्र में विस्तार हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत उसकी संदर्भित प्रस्ताव के विषय में आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर 4 दिसम्बर, 1973 को उस पर केन्द्रीय सरकार के आयोगों सहित रख दी गई थी।

पश्चिम बंगाल में मार्टिन रेलवे परियोजना की बड़ी लाइन के वित्तपोषण के बारे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद

1174. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मार्टिन लाईन रेलवे परियोजना की बड़ी लाईन के वित्तपोषण के बारे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद है ;

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) लाइनों के निर्माण और संचालन व्यय में राज्य सरकार द्वारा 5 हिस्सेदारी के आधार पर, बड़गाछिया से चंपाडांगा तक शाखा लाइन सहित हवड़ा से शियाखला और हवड़ा से आम्ता तक बड़े आमान की लाइन के निर्माण को संसद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । इस वित्तीय व्यवस्था की सूचना पुनः पश्चिम बंगाल सरकार को सामान्य स्वीकृति के लिए भेजी गयी हैं । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

हाल में रेल हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि में रोक, सेवावधि में व्यवधान तथा पदोन्नति न करना

1175. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेल हड़ताल में शामिल होने वाले कुल कितने रेलवे कर्मचारी हैं जिनकी वेतन वृद्धि में रोक लगा दी गई थी, सेवा अवधि में व्यवधान डाल दिया गया था अथवा पदोन्नति नहीं की गई थी ;

(ख) इसके क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जिन कर्मचारियों की सेवा भंग हुई उनकी क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	संख्या
मध्य	65,602
पूर्व	1,15,868
उत्तर	38,453
पूर्वोत्तर	17,506
पूर्वोत्तर सीमा	65,000
दक्षिण	65,115
दक्षिण मध्य	43,748
दक्षिण पूर्व	78,869
पश्चिम	72,581

कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं रुकती किन्तु उसे उतनी अवधि के लिए स्थगित कर दिया है जितनी अवधि तक वे हड़ताल पर थे । उनकी वरिष्ठता अथवा पदोन्नति की हानि भी नहीं होती ।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक कर्मचारी, संभवतः इन कारणों से अनुपस्थित रहे होंगे जैसे डराना-धमकाना, हिंसा का भय, महाप्रबन्धकों को यह अधिकार दिया गया था कि वे जहां ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्हें नजर अन्दाज किया जा सके, सत्यापन के बाद सेवाभंग माफ कर दें। कुल 5.91 लाख कर्मचारियों का सेवाभंग हुआ था जिनमें से अब तक लगभग 3.4 लाख कर्मचारियों का सेवाभंग माफ किया जा चुका है।

Separate Railway Zone for Bihar

1176. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propose to set up a separate Railway Zone at Patna for the trains running through Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : There is no such proposal under consideration at present.

Proposal to avoid enactment of more laws

1177. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the layers are of the opinion that Government should avoid enactment of more laws and the existing laws should be consolidated; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) : Government have not been apprised of any representative opinion of lawyers in this regard. However, as and when the Law Commission takes up a subject for revision, it bears in mind the desirability and feasibility of consolidation of the relevant enactments. This policy of consolidation has been followed by the Law Commission while submitting their reports, for example, reports relating to (a) Law of Acquisition and Requisition of Land (10th Report), (b) Law relating to Marriage and Divorce among Christians in India (15th Report), (c) Insolvency Laws (26th Report) and Offences against the National Security (43rd Report).

Monopoly for sale of Magazines at various stations by M/s. A.H. Wheeler & Co.

1178. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the monopoly for sale of books and magazines on various stations have been given by Government to M/s. A.H. Wheeler and Company;

(b) whether Government propose to break this monopoly; and

(c) if so, the time by which it will be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The rights previously given to M/s. A.H. Wheeler & Co. for running bookstalls exclusively over an entire railway or portions thereof have, with effect from 1-8-1960, been modified so that (i) at stations where there are no bookstalls, others can be allotted bookstalls, and (ii) even at stations where bookstalls exist at present, it is permissible to open other bookstalls for sale of books, periodicals etc. of certain specified philanthropic institutions like Ramakrishna Mission, Gita Press, Sarva Seva Sangh Parkashan etc. As a result, M/s. A.H. Wheeler & Co. do not have any monopoly now in running bookstalls. There are about 220 other contractors running about 350 bookstalls at various stations on Railways.

(b) and (c) : Do not arise.

Uprooting of Railway lines by anti-social elements in Bihar

1179. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the anti-social elements had been active in Bihar in uprooting railway lines since the 2nd October, 1974;

(b) if so, whether the political elements had also a hand therein; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) In the course of the agitation launched by a section of students and political parties over various demands some incidents of up rooting of Railway tracks, have been reported.

(c) Protective arrangements were made by the State Government and Railway administration to guard against such incidents. Security patrolling of Railway track was introduced in the vulnerable areas. The cases are under Police investigations and some persons found responsible for the incidents, have been arrested.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित विभिन्न पदों पर उन्हें नियुक्त करने के लिये उनकी प्रतीक्षा सूची

1180. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे सेवा आयोग और रेल मंत्रालय में अधीन अन्य भर्ती प्राधिकारी विभिन्न सचिवालय सेवाओं के लिये सभी आरक्षित रिक्त पदों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नामांकित करते हैं परन्तु इन पदों के लिये जितने व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है वे सेवा पर नहीं आते और कुछ आरक्षित पद खाली रह जाते हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनेक व्यक्ति विभिन्न सचिवालय के पदों के लिये अर्हता प्राप्त कर लेते हैं परन्तु संबंधित प्राधिकारी सामान्य रूप से उतने ही उम्मीदवारों के नाम भेजते हैं जितने उपलब्ध आरक्षित पदों पर वास्तव में नियुक्त करने होते हैं, और वे बाद में होने वाले रिक्त पदों को भरने के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाते; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस प्रकार की प्रतीक्षा सूची बनाने के लिये संबंधित प्राधिकारियों को उचित अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार करेगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

गौहाटी तेलशोधक कारखाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति

1181. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति (पांचवीं लोक सभा) द्वारा अपनी छटी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुरूप गोहाटी तेल शोधक कारखाने में श्रेणी II के पर्यवेक्षी पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उपर्युक्त रिपोर्ट (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति) में की गई सिफारिशों के अनुसार श्रेणी I और श्रेणी II की सेवाओं में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिये उस तेल शोधक कारखाने के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देने के लिये समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त तेलशोधक कारखाने में उपर्युक्त पदों में इस समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उपबन्ध में नवीतम स्थिति का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) निगम की भर्ती नीति के अनुसार श्रेणी II पर्यवेक्षी पद की सीधी भर्ती तब तक नहीं की जाती जब तक पदोन्नति के लिये विभाग का कोई उचित प्रत्याशी नहीं मिल जाता है। पदोन्नति के लिये विभागी प्रत्याशियों का विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों क अनुसार आवश्यक प्रधानता दी जाती है। गोहाटी शोधनशाला में श्रेणी II की पर्यवेक्षी संवर्ग की कोई सीधी भर्ती वर्ष 1972 से नहीं की गई है।

(ख) परिष्करणशाला प्रबन्धक के एक प्रशिक्षण योजना तैयार की है। परिष्करणशाला के कर्मचारियों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी शामिल हैं, को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण संयंत्र में दिया जा रहा है।

(ग) गोहाटी शोधनशाला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है:—

श्रेणी	इस समय काम कर रहे	अनुसूचित जाति प्रत्याशी	अनुसूचित जन-जाति प्रत्याशी
I	134	2	2
II	162	13	1

सल्फर तथा एसिड के उत्पादन, नियतन तथा निपटान के बारे में सल्फयूरिक एसिड निर्माताओं को जारी किये गये अनुदेश

1182. **श्री शक्ति कुमरा सरकार :**
श्री टूना उरावं :
श्री लुतफल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ सहाता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने एसिड निर्माताओं की निम्नलिखित विवरण देने के लिये अनुदेश जारी किये हैं; (1) वर्ष 1973-74 में एसिड का उत्पादन (2) वर्ष 1973-74 में सल्फर का नियतन और वास्तव में प्राप्त मात्रा (3) उत्पादित एसिड तथा उसके निपटान का ब्यौरा;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माता से अब तक प्राप्त जानकारी की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग को उपयुक्त मात्रा में एसिड सप्लाई करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। प्रश्न में उल्लिखित विषयों पर सूचना, कलकत्ता क्षेत्र में सल्फयूरिक एसिड निर्माताओं से मांगी गई थी।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) निर्माताओं और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया था। निर्माताओं को सलाह दी गई है कि लघु-उद्योग एककों की सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष प्रयास करें। मूल्य के सम्बन्ध में उनको यह भी सलाह दी गई थी कि उन्हें किसी एक मूल्य पर सहमत होना चाहिये जो दोनों पार्टियों के अनुकूल हो।

विवरण

कलकत्ता क्षेत्र के सल्फयूरिक निर्माताओं से अब तक प्राप्त सूचना

एकक का नाम	1973-74 में एसिड का उत्पादन	1973-74 में सल्फर का अबंटन और वस्तुतः प्राप्त	एसिड उत्पादन के ब्यौरों सहित निपटान
1	2	3	4
1. मैसर्स जयश्री रसायन तथा उर्वरक लिमिटेड कलकत्ता	17,592 मीटरी टन	5198 मीटरी टन (वस्तुतः प्राप्त)	सुफरफास्फेट के उत्पादन में खपाया जाता है।
2. मैसर्स सी० डी० ठाकर एंड को० कलकत्ता	6,440 मीटरी टन	2277 मीटरी टन (प्राप्त)	बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर चन्द्रापुर एंड पतरातू थरमल पावर स्टेशन, एलाय स्टील प्लांट (एच० एस० एल०) दुर्गापुर, भारतीय उर्वरक निगम/बारोनी तथा दुर्गापुर, भारतीय तेल निगम, बरोनी थरमल पावर स्टेशन और उनके कारखाने के निकट कुछ निर्माताओं के लिये 50 प्रतिशत। शेष उनके कारखाने द्वारा अल्यूमाइन फरिक, मेगनीजिम, सल्फेट, जिंक सल्फेट आदि के उत्पादन के लिये खपाया जाता है।
3. मैसर्स फास्फेट को० लिमिटेड कलकत्ता	22,590 मी० टन	आबंटन 10,000 मीटरी टन प्राप्त 9345 मीटरी टन	उनके कारखाने में 17,700 मीटरी टन खपाये गये। उनके कारखाने में 4821 मीटरी टन बेचे गये।

सोडा ऐश का निर्माण और वितरण

1183. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री टूना उरावं:
श्री देवेन्द्र नाथ महाता:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोडा ऐश बनाने का काम करने वाली निर्माता फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) उसके वितरण का तरीका क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक एकक को अधिष्ठापित क्षमता का कितना उपयोग किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1. मैसर्स टाटा कैमिकल्स, लि०, मिथापुर (गुजरात)।

2. मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर (गुजरात)।

3. मैसर्स ध्रंगधरा कैमिकल्स लि०, ध्रंगधरा (गुजरात)।

4. मैसर्स साहु कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, वाराणसी (उ० प्र०)।

(ख) सोडा राख के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा निर्माणकर्ता वितरण की अपनी पद्धति का अनुसरण, या तो खपत करने वाले उद्योगों को सीधे देकर अथवा डिपो के माध्यम से अथवा व्यापारियों आदि के माध्यम से करते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान चार उत्पादक एककों की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन निम्न-प्रकार है :--

क्रम सं०	यूनिट का नाम	स्थापित क्षमता मी० टन	उत्पादन (मी० टन)		
			1971	1972	1973
1.	मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० गुजरात	250,000	204,900	225,120	221,946
2.	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स पोरबन्दर (गुजरात)	168,000	196,900	185,890	169,755
3.	मैसर्स ध्रंगधारा कैमिकल वर्कस ध्रंगधरा (गुजरात)	50,000	52,800	53,530	57,574
4.	मैसर्स साहू कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (दि० न्यू० सेंट्रल जूट मिल्स कं० लि० साहूपुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश) . .	40,000	24,300	21,200	19,799

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में रेल लाइनों का प्रस्ताव

1134. **श्री नूरुल हुडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में रेल लाइनों के प्रस्तावित निर्धारण का विचार त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) स्थिति नीचे बताई गई है :—

इन राज्यों में निम्नलिखित प्रस्तावित नई लाइनों के लिये सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये हैं और उनकी रिपोर्टों की जांच की जा रही है/जांच की जा चुकी है :—

(1) सिलचर—जिरीबाम (मणीपुर)

(2) धर्मनगर—अगरतल्ला (त्रिपुरा)

(3) धर्मनगर—कुमारघाट-कैलाशहर (त्रिपुरा)

(4) अगरतल्ला—साबरुम (त्रिपुरा)

धर्मनगर-कुमारघाट मीटर लाइन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना था बशर्ते, उत्तर पूर्वी काउंसिल द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता। यह काम शुरु नहीं किया गया क्योंकि उत्तर पूर्वी कांउसिल अभी तक इस परियोजना के लिये धन राशि का नियतन नहीं कर पायी। सिलचर जिरीबाम, और कुमारघाट, अगरतल्ला, साबरुम का निर्माण यदि धन उपलब्ध हुआ तो, पांचवीं योजना में शुरु किया जायेगा।

निम्नलिखित लाइनों के सर्वेक्षण उत्तर पूर्वी कांउसिल के खर्च पर किये जायेंगे / किये जा रहे हैं। प्रत्येक के सामने उन राज्यों का नाम दिया गया है जो उस लाइन द्वारा सावित होंगे:—

1. दारनगिरि (बड़ी लाइन) (जोगीधोपा और पंचरत्नघाट के बीच माल डिब्बा घाट उतराई व्यवस्था ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल सहित) (असम और मेघालय)।

2. गुहाटी–बरनीहाट (असम और मेघालय)।

3. लालाघाट–सैरंग (मीटर लाइन) (असम और मिजोरम)।

4. रंगपाड़ा–बालीपाड़ा भालुककुंग (मीटर लाइन) (असम और अरुणाचल प्रदेश)।

5. टिपलिंग–इज्जतनगर (मीटर लाइन) (असम और अरुणाचल प्रदेश)।

6. मुंरकोंगसेलेक–पासी घाट (मीटर लाइन) (असम और अरुणाचल प्रदेश)।

7. गुवाहाटी–दुदनाई (असम)।

8. अखोरा (बंगलादेश में) और अगरतल्ला (त्रिपुरा में) और बेलोनिया स्टेशन (बंगलादेश) और बेलोनिया सिटी (त्रिपुरा में) के बीच साइडिंगें।

सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के बाद इन लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त सभी लाइनों के अलाभप्रद होने की संभावना है और रेलों को आवर्ती हानि से बचाने के लिये समुचित प्रवन्ध करने होंगे। इन लाइनों के निर्माण के लिये पांचवीं योजना से धनराशि भी प्राप्त करनी होगी ।

मद्रास में सिगनलरों, को मकान किराया भत्ता न दिये जाने के बारे में ज्ञापन

1185. **श्री नूरुल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मद्रास में कार्य कर रहे सिगनलरों को मकान किराया भत्ता न दिये जाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख), और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

तिनसुकिया—नामरूप सैक्शन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई श्रमिकों का दर्जा दिया जाना

1186. **श्री नूरुल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया—नामरूप सेक्शन में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थाई श्रमिकों का दर्जा दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अनुरोध यह है कि जिन आकस्मिक श्रमिकों ने पटरी बिछाने के काम में 4 महीने पूरे कर लिये हों उन्हें अस्थायी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना चाहिए ।

(ग) पटरी बिछाने का काम परियोजना कार्य है । परियोजनाओं पर लगाये गये आकस्मिक श्रमिक अस्थायी दर्जा पाने के हकदार नहीं होते बल्कि वे छ: महीने की निरंतर सेवा पूरी कर लेने पर वेतनमान के न्यूनतम का 1/30 भाग तथा मंहगाई भत्ता ही पाने के हकदार होते हैं ।

पश्चिम बंगाल के लघु-उद्योगों को गंधक के तेजाब की अपर्याप्त सप्लाई

1187. **श्री एस०एन० सिंह देव :**

श्री टूना उरावं :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के लघु-उद्योग कारखानों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जो वाजिव मूल्य पर गंधक के तेजाब को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। कलकत्ता क्षेत्र में लघु-क्षेत्रीय एककों को सल्फ्यूरिक एसिड की कम सप्लाई के सम्बन्ध में अभ्यावेदन थे तथा ये अभ्यावेदन सप्लाई के लिए अधिक मूल्य लिये जाने के बारे में भी थे।

(ग) स्थिति की समीक्षा निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ सम्मिलित रूप में हुई बैठक में की गई थी। उत्पादकों को सलाह दी गई कि लघु क्षेत्रीय एककों को सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता के लिये विशेष प्रयत्न किय जायें। मूल्य के पहलुओं के सम्बन्ध में उन्हें यह भी सलाह दी गई कि ऐसे मूल्यों पर भी सहमत हों जो दो पार्टियों के लिए उचित हों।

गैस की चोरी छिपे सप्लाई के कारण दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को हानि

1188. **श्री एम० कत्तामुतु : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड को इसके अधिकारियों द्वारा औद्योगिक तथा घरेलू कार्य के लिये उपभोक्ताओं को चोरी छिपे गैस की सप्लाई किये जाने के कारण प्रति मास 4,60,000 रुपयों की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र लोक सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

मध्य रेलवे में डिवीजन-वार और वर्कशाप-वार हड़ताल के कारण दंड पाने वाले विभिन्न दर्जों के कर्मचारी

1189. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में डिवीजन-वार और वर्कशाप-वार मई, 1974 की हड़ताल के कारण मासिक वेतन और दैनिक मजदूरी वाले कितने स्थायी, अस्थाई और नैमित्तिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, हटाया गया या सेवा से निकाला गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को इस बीच वापिस काम पर ले लिया गया है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को अभी वापिस काम पर लिया जाना है; और

(घ) उनकी बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8504/74]

(घ) कर्मचारियों की व्यक्तिगत अपीलों की हर मामले के आधार पर समीक्षा की जा रही है। यह प्रक्रिया जारी है और इन मामलों की यथासंभव शीघ्र समीक्षा करने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। नैमित्तिक मजदूरों को पुनः काम पर लगाने का मामला काम सम्बन्धी आवश्यकताओं और साधनों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

भारतीय रेलवे में आई०ओ०डब्ल्यू० तथा बी०आर०आई० के अन्तर्गत इंजीनियरी विभाग में कर्मचारियों की छंटनी

1190. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय रेलवे में आई० ओ० डब्लू तथा बी० आर० आई० के अन्तर्गत इंजीनियरी विभाग में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) क्या रेल मंत्री द्वारा दिये गये वचन के अनुसार छंटनी करने से पूर्व प्रत्येक डिवीजन में इन विभागों का संवर्ग (काडर) पुनरीक्षण किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सिविल इंजीनियरी कार्यों को कम कर देने और धीमा कर देने के कारण निर्माण शाखा में कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। इसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हुए, परन्तु नियमित कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गयी, क्योंकि सरकार की यह नीति है कि कर्मचारियों की छंटनी न की जाये बल्कि बदलाव प्रशिक्षण, जहां आवश्यक हो, देकर वैकल्पिक पदों में समाहित कर लिया जाये जिनकी छंटनी की जाती है, वे मुख्यतः नैमित्तिक श्रमिक होते हैं। संवर्ग समीक्षा नहीं की जाती और धनराशि की कटौती को ध्यान में रखकर स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही छंटनी किये जाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की सूचियां बनायी जाती हैं। जिन्हें निकाला जाता है, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम में निर्धारित सभी लाभ दिये जाते हैं।

रेलवे बोर्ड के आई०सी०एफ०, डी०एल०डब्ल्यू० और सी०एल०डब्ल्यू०, प्रोडक्शन यूनिटों में बर्खास्त किये गये, हटाये गये और सेवा से निकाले गये कर्मचारी

1191. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल के कारण रेलवे बोर्ड के अधीन आई० सी० एफ०, डी० एल० डब्लू० और सी० एल० डब्लू प्रत्येक प्रोडक्शन यूनिटों में से प्रत्येक में मासिक वेतन और दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कितने स्थायी, अस्थायी, नैमित्तिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, हटाया गया या सेवा से निकाला गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को इस बीच वापिस काम पर ले लिया गया है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को अभी वापिस काम पर लिया जाना है; और

(घ) उनकी बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) नौकरी से बर्खास्त करने/हटाने/सेवा समाप्त करने के विरुद्ध इन कर्मचारियों द्वारा दी गयी अपीलों पर, हर मामले के गुणावगुणों के आधार पर, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया जारी है। नैमित्तिक मजदूरों को पुनः काम पर लगाने का मामला उत्पादन कारखानों की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

विवरण

		स्थायी कर्मचारी	अस्थायी कर्मचारी	नैमित्तिक मजदूर
(क)	चि० रे० का०	44	—	65
	डी० रे० का०	11	—	—
	स० डि० का०	24	—	5
(ख)	चि० रे० का०	43	—	—
	डी० रे० का०	—	—	—
	स० डि० का०	20	—	4
(ग)	चि० रे० का०	1	—	65
	डी० रे० का०	11	—	—
	स० डि० का०	4	—	1

मई 1974 की हड़ताल के बाद की गई दंडात्मक कार्यवाही को वापिस लेने के लिये श्रमिक संघ की मांग

1192. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रेलवे श्रमिक संघों तथा अन्यों ने समय-समय पर मांग की है कि मई, 1974 की कथित रेलवे हड़ताल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाही को सरकार वापिस ले ले;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में संघों द्वारा पारित कुछ संकल्प भी प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कतिपय श्रमिक संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों अथवा उनके द्वारा परित संस्तावों में, आमतौर से, सरकार से कहा गया है कि हड़ताल पर गये ऐसे सभी रेल कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले लेना चाहिए जिनकी सेवाएं मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में खत्म कर दी गई थी या जो सेवा से निलम्बित कर दिये गये थे और जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था, उनकी सेवा में आये भंग को माफ़ कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ भारत रक्षा नियम, आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनों के अधीन चलाये गये मामले वापस ले लेने चाहिए ।

(ग) जिन कर्मचारियों ने देश के कानून की अवहेलना की थी और स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करनी पड़ी थी । लेकिन, जब हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली गयी तो सरकार ने मामले पर सहानुभूति से विचार किया । प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गयी व्यक्तिगत अपीलों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया है और हरएक मामले की अच्छाई-बुराई को देखते हुए ऐसे 16000 कर्मचारियों में से जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, लगभग 12000 कर्मचारी फिर से ड्यूटी पर ले लिये गये हैं । जहां कहीं कठिन परिस्थिति रही है और डराने-धमकाने हिंसा आदि के कारण कर्मचारी काम पर न आ सके थे, उनके मामलों में सेवाभंग को माफ कर दिया गया है। अब तक लगभग 3-4 लाख कर्मचारियों के सेवा भंग के मामले में माफी दी जा चुकी है ।

भारतीय रेलवे की विभिन्न सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1193. **श्री एस०एम० सिद्धय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे, रेलवे सेवा आयोग तथा रेलवे बोर्ड के अधीन अन्य कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में और पदों पर पहली जनवरी, 1974 को कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों में से (i) अनुसूचित जातियों और (ii) अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) यदि उक्त सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम था तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) इन सेवाओं और पदों पर इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिये गत दो वर्षों में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 30-9-1973 को समाप्त होने वाली छमाही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के सम्बन्ध में रेलों में की गयी प्रगति की रिपोर्ट, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, के अध्याय II में उन रियायतों अ का उल्लेख है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को भर्ती और पदोन्नति के मामले में स्वीकार्य हैं ।

जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, इन समुदायों के लिए आरक्षित कुछ पदों को मुख्यतः इस कारण भरा नहीं जा सका कि इन समुदायों के अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।

जहां तक पदोन्नति कोटे का सम्बन्ध है, इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी या तो न्यनतम अर्ह अंक प्राप्त नहीं कर सके या वे निम्न कोटियों में, विचारार्थ उपलब्ध ही नहीं थे ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित रिपोर्ट के अध्याय II में वर्णित रियायतों के अलावा पिछले दो वर्षों में, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक उम्मीदवार लेने के लिए निम्नलिखित और उपाय किये गये हैं :—

(i) रेलवे बोर्ड में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष एक अपर निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए दो सलाहकार हैं ।

(ii) केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले निपटाने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का एक वरिष्ठ वेतनमान पद बनाया गया है । उसकी सहायता के लिए निरीक्षक और अन्य कर्मचारी हैं ।

(iii) रेलों से कहा गया है कि जहां तक श्रेणी में सीधी भर्ती का सम्बन्ध है, यदि विद्यमान नैमित्तिक श्रमिकों और एवजी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में न मिलें तो बाहर से उनकी भर्ती कर ली जाये।

(iv) जून, 1974 में रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों का एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया और इस बात पर बल दिया गया कि रेलों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करते समय वे सुनिश्चित कर लें कि इन समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले।

(v) जहां तक श्रेणी III और श्रेणी IV की रिक्तियों में अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की भर्ती का सम्बन्ध है, रेलों को निदेश दिया गया है कि वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (आरक्षण) से सम्बद्ध निरीक्षक कर्मचारियों को चाहिए कि वे जन जातीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसोसिएशनों जन-जातीय क्षेत्रों में स्थित कालेजों और स्कूलों के प्रिंसिपलों और मुख्याध्यापकों और जन-जातीय क्षेत्रों में कल्याण कार्य में लगे सेवा-भावी संगठन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जन-जातीय लोगों से सम्पर्क स्थापित करें।

(vi) जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, रेल प्रशासनों को फिर कहा गया है कि अतिक्रमण के सभी मामलों को पुनरीक्षा के लिए महाप्रबन्धक/सम्बन्धित प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) हाल में ये आदेश जारी किये गये है कि पदोन्नति के मामले में यदि पहले से स्वीकृत विभिन्न रियायतों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार पेनल में रखे जाने के लिए अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ को अर्थात् जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करे, उसको, उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक पेनल में रखने के लिए निर्दिष्ट कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के नामों को छोड़ते हुए पेनल अनन्तिम रूप से घोषित कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के इस तरह निर्दिष्ट उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर 6 महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर देना चाहिए। 6 महीने की अवधि बीतने के बाद इन उम्मीदवारों के कार्य-कलाप के बारे में विशेष रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए और सम्बन्धित विभाग को पुनरीक्षा के लिए मामला महाप्रबन्धकों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन उम्मीदवारों को उन पदों पर बनाये रखा जा सकता है और आरक्षित रिक्तियों पर अन्तिम रूप से पदोन्नत किया जा सकता है।

(viii) वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरे जाने वाले श्रेणी I, II, III और IV के पदों और इन कोटियों में पदोन्नति करते समय आरक्षण की व्यवस्था करने के आदेश जारी किये गये हैं बशर्ते इन ग्रेडों में सीधी भर्ती, यदि कोई हो तो, 50% से अधिक न होती हो।

(ix) इस आशय के भी आदेश जारी किये गये हैं कि श्रेणी III से श्रेणी II और श्रेणी II से श्रेणी I सेवा की निम्नतम कोटि में प्रवरण के आधार पर पदोन्नति करते समय वहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को आरक्षण दिया जाये जहां सीधी भर्ती 50% से अधिक न होती हो।

44 LSS/74—10

विभागीय पदोन्नति समितियों, सिलेक्शन बोर्डों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का नामांकन

1194. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न पदों के लिये पदोन्नति / भर्ती के लिये विभागीय पदोन्नति समितियों और सिलेक्शन बोर्डों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का नाम-निर्देशन सदा किया जाता है ; और

(ख) यदि कुछ कार्यालयों में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा तो उनके नाम क्या हैं और उनके द्वारा इस प्रक्रिया का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कम से कम एक सदस्य सभी प्रवरण मंडलों/भर्ती समितियों में शामिल करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की सिफारिश पर संबन्धित प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलों पर बहुत सा काम तकनीकी किस्म का होता है जिसके कारण इन समितियों में उपयुक्त स्तर और पृष्ठभूमि के तकनीकी विभागीय अधिकारियों को रखना जरूरी हो जाता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों को प्रवरण समिति में हमेशा शामिल करना शायद संभव न हो । लेकिन रेल प्रशासनों को यह बता दिया गया है कि विभागीय पदोन्नति समितियों/प्रवरण मंडलों आदि में अधिकारियों को नामजद करते समय, जहां तक संभव हो, समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा जाये और इसका अनुसरण किया जाये ।

तीसरी श्रेणी की सेवा में भर्ती के मामले में, जो रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है, उपर्युक्त निर्देश के अलावा इन आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य आम तौर पर अनुसूचित जाति/जन-जाति के समुदायों में से लिये जाते हैं । इन आयोगों में अधिकांश कार्मिक अनुसूचित जाति/जन-जाति और अल्प संख्यक समुदायों के होते हैं ।

रेलवे के अन्तर्गत बनाई गई गृह-निर्माण समितियों के कार्यकरण में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना

1195. **श्री एस० एम० सिद्धय्या:**

श्री बी० एम० सईद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे अधिकारियों को इस सम्बन्ध में उपयुक्त आदेश जारी कर दिये गये हैं कि उनके अधीन बनाई गई गृह निर्माण समितियों के कार्यकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो ये आदेश कब जारी किये गये तथा क्या इन आदेशों का सभी ऐसी समितियां दृढ़ता से पालन करती हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी हां । 21-6-1971 को रेलवे बोर्ड द्वारा इस बारे में अनुदेश जारी किये गये थे और जहां आवास समितियां गठित की गयी हैं वहां उनका अनुसरण किया जा रहा हैं । जिन रेल प्रशासनों ने इन अनुदेशों का अब तक क्रियान्वयन नहीं किया है उन्हें वैसा करने के लिए कहा जा रहा है ।

विभिन्न रेलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों के बारे में विस्तृत जानकारी

1196. श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति (पांचवीं लोक सभा) के पंद्रहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार, विभिन्न रेलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों, भर्ती के तरीकों, अपेक्षित अर्हताओं और अन्य रियायतों तथा उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली पुस्तिका प्रकाशित कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पुस्तिका की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख), कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी पुस्तिका की तरह ही एक पुस्तिका इस मंत्रालय में संकलित की जा रही है । मुद्रित और प्रकाशित होते ही इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को सप्लाई कर दी जायेंगी ।

Agreements for Import of Crude Oil

1197. Shri Bharat Singh Chowhan :

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) the total quantity of oil for the import of which agreements were entered into by Government of India during the last two years;

(b) the quantity of oil that will be imported from the oil producing countries under these agreements;

(c) the names of those non-oil producing countries which are supplying oil to India; and

(d) the per barrel price of oil being supplied by them and the mode of payment to be made to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) & (b) Indian Oil Corporation has entered into agreements with the National Oil Companies of Iraq, Iran and Saudi Arabia for the import of crude oil as indicated below :—

Country	Qty. to be imported (M. Tonnes)	Period during which the import will be made
Iraq	3.95	1972—1975
Iran	1.00	1974
Saudi Arabia	3.3	1973—1975

(c) Crude oil is not being imported from non-oil producing countries.

(d) Does not arise with reference to (c) of the question.

Demand for Reforms in the Election system

1198. Shri B. S. Chowhan :
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Law Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand for making reforms in the present election system is being made in the country;

(b) if so, the names of persons, parties and institutions making demands alongwith their main demands in this regard; and

(c) the difficulties in the way of Government in conceding to these demands ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) & (b) Two statements containing the required information have been laid on the Table of the House [Placed in Library See. No. L.T. 8505/74).

(c) All the demands which are in the form of suggestions for the reform of the present election system will no doubt be kept in view at the time when the Representation of the People (Amendment) Bill, 1973, now pending in the Lok Sabha, comes up for consideration.

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों का सरकार के पास विचाराधीन पड़ा होना

1199. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति हेतु भेजे जाने के लिए अनेक आवेदन-पत्र सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदन-पत्रों का ब्यौरा और मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन आवेदन-पत्रों के निपटान में विलम्ब होने के कारण आवेदन कर्ता उद्योग उत्पादन-लक्ष्य पूरा करने में असफल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति बनाये रखने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान जी। इस संदर्भ में 31 दिसम्बर, 1971 अवधि समाप्ति हेतु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्यकरण एवं प्रशासन पर प्रथम रिपोर्ट के अध्याय 1 तथा 31 दिसम्बर, 1972 की वर्ष समाप्ति हेतु द्वितीय रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा 4 के साथ पठित उन रिपोर्टों के जो सदन के पटलों पर रखी गई थी, और जिनमें उल्लेख किया गया था कि अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत विभिन्न आवेदन पत्रों को समव्यवहारित करते हुए, भूतपूर्व रिपोर्ट के पष्ट 3-4 को परिगणित 14 सूत्रों की सूची के विशिष्ट संदर्भ सहित एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आधनियम की धारा 28 में उल्लिखित बोर्ड संदर्शिका के संदर्भ में प्रगाढ छानबीन की जाती है, वर्णित आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण

के विषय में अध्याय 3 के उपबन्धों के कार्यकरण के सम्बन्ध में सामान्य समीक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। आवश्यकता के सम्बन्ध में नीति या अन्यथा अध्याय 3 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को आयोग को संदर्भित करना सम्बन्धित रिपोर्टों के कथित पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ) घोषित परिशोधित औद्योगिक नीति के अनुसरण में 2 फरवरी, 1973 की प्रेस टिप्पणी के माध्यम से, केन्द्रीय सरकार ने 1 नवम्बर, 1973 से औद्योगिक अनुमोदनों के उपयोगीकरण हेतु नई पद्धति को पुरः स्थापित करने का निर्णय किया, जिसकी अनिवार्य बातें है कि कतिपय समय के लक्ष्यों के अन्दर पूर्व निवेश अनुमोदनों के विषय में आवेदकों को निर्णय सूचित किया जाना चाहिए। समय लक्ष्य जहां एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा की निकासी निहित है, 150 दिवस होगी। इस समय अनसूची का अधिकतर पालन किया जा रहा है जब तक कि आवेदक कम्पनियों आदि से सूचना/ब्यौरा प्राप्त करने में विलम्ब न हो। केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के मामलों में पालन की गई नीति उद्योगों 1974-75 हेतु मार्ग संदर्शिका में वर्णित है, जिसकी प्रतियां सदस्यों द्वारा संदर्भ हेतु सदन के संसद पुस्तकालय में रखी हुई है।

विक्टोरिया टर्मिनस, (बम्बई) रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की से जाली टिकटों की बिक्री

1200. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्टोरिया टर्मिनस, बम्बई की रेलवे बुकिंग खिड़की से जाली रेलवे टिकटें बेची जा रही हैं ;

(ख) क्या हाल में वी० टी० स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने बम्बई से पूना जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जिसके पास से वी० टी० स्टेशन की स्थानीय बुकिंग खिड़की से खरीदी गई जाली रेलवे टिकट पाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं और इससे रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना मिलने पर कि विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के टिकट घर में एक सहायक कोचिंग क्लर्क अनियमितताएं कर रहा है, मध्य रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा 19-10-74 को एक जांच की गयी थी। उस जांच के दौरान एक टिकट, जो उस क्लर्क से एक यात्री ने खरीदा था, जाली पाया गया था। पूछने पर सम्बन्धित क्लर्क ने स्वीकार किया कि उक्त टिकट उसने बेचा था और उसने बम्बई वी० टी० से पुणे तक के दूसरे दर्जे के डाक/एक्सप्रेस के 62 जाली टिकट और भी पेश किये। सम्बन्धित बुकिंग क्लर्क को निलम्बित कर दिया गया है। यह मामला आगे और जांच के लिए अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। इस समय पूरी तरह से यह मालूम नहीं है कि इसके कारण कितनी हानि हुई है। उसी दिन रेलवे पुलिस ने अलग से एक यात्री को गिरफ्तार किया था जो विक्टोरिया टर्मिनस टिकट घर से खरीदे गये एक जाली टिकट पर यात्रा करता हुआ पाया गया था। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि विक्टोरिया टर्मिनस टिकट घर पर जाली रेलवे टिकट बेचे गये थे तब रेलवे मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ने का आदेश दे दिया।

स्थगन प्रस्ताव

देश में अकाल की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : देश में अकाल की स्थिति के बारे में मुझे लगभग 19 माननीय सदस्यों से नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैंने इन सब की जांच की है और मैं यह समझ पाया हूं कि इन सबको एक साथ नहीं लिया जा सकता। श्री समर गुह का नोटिस ऐसा है जो बैलट में प्रथम आया है श्री समर गुह इस प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाने के लिये सब की अनुमति चाहता हूं :—

"पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में अकाल की स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और पर्याप्त राहत उपाय करने में सरकार की असफलता जिसके कारण हजारों लोगों की भुखमरी से मौत हो गयी।"

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे खड़े हो जायें। संख्या पचास से अधिक है अतः अनुमति दी जाती है। इस पर आप किस समय चर्चा चाहते हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैय्या) : मध्याह्न भोजन के तुरन्त बाद।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Commerce Minister has not so far given a statement reg. fall in prices of cotton in Punjab, Haryana and Rajasthan which was raised by me on 11th November 1974 under rule 377 and it was also admitted by you.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देना चाहिये ? वाणिज्य मंत्री एक वक्तव्य दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : When will the statement come ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : परसों तक।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The chancellor of Exchequer in a budget speech **has** withdrawn the guarantee for the sterling deposits.... (*Interruption*). We have **given a** notice for protecting external value of rupee.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 393 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 394(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) मट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 395 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—8491/74]

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सम्बन्धी विधि-आयोग का 59वां प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : मैं हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 सम्बन्धी विधि आयोग के 59 वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8492/74]

जमा बीमा निगम का 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अनिवार्य निक्षेप स्कीम, 1974

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जमा बीमा निगम बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे पुन: सभा पटल पर रखेगें।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० – 8259/74]

(2) अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर-दाता) अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अनिवार्य निक्षेप (आयकर-दाता) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 463 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—8493/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन, आदेश 1974 जो दिनांक 15 अक्टूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 423 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1974 जो दिनाक 15 अक्टूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 424 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—8494/74]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिमय बसु से कहता हूं कि वे कार्यवाही में व्यवध्यान न डालें।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) मैंने जूट के मूल्यों के बारे में एक प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : कृप्या करके बैठ जायें।

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश को सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 11 नवम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर लिया है।

2. मैं दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

दिल्ली विक्रय कर विधेयक

Delhi Sales Tax Bill

प्रवर समिति में सस्दयों की नियुक्ति :

श्री एस०एम० सिद्दाय्या : (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में सर्वश्री यशवंत राव चव्हाण, के० आर० गणेश, विश्वनाथ प्रताप सिंह और बूटा सिंह के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री सी० सुब्रहमण्यम, सपतपाल कपूर, सुधाकर पाण्डेय और दलीप सिंह को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधिन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्वश्री यशवंत राव च्व्हाण, के० आर० गणेश, विश्वनाथ प्रताप सिंह और बूटा सिंह के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री सी० सुब्रहमण्यम, सतपाल कपूर, सुधाकर पाण्डेय और दिलप सिंह को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक
Taxation Laws (Amendment) Bill

प्रवर समिति में सदस्यों की नियुक्ति

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961 धनकर अधिनियम, 1957 दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० आर० गणेश के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री चिंतामणि पाणिग्रही को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961 धनकर अधिनियम, 1957 दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री के० आर० गणेश के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री चिंतामणि पाणिग्रही को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
Matter under Rule 377

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को बहाली के बारे में फैसले की क्रियान्विति में विलम्ब

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : ऐन्टीबायोटिक्स परियोजना, ऋषिकेश के निलम्बित कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब हुआ है। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी भी दी है। । मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए । सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ताकि हड़ताल को रोका जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : जी, हां । मैं एक वक्तव्य दूंगा।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक
Indian Telegraph (Amendment) Bill

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : डाक और तार विभाग की सेवायें दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में । लाइनें महीनों तक खराब पड़ी रहती हैं। ट्रंग मार्ग भी काफी समय तक खराब पड़े रहते हैं ।

कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं मिल रहा है और उनका कार्य बढ़ गया है क्योंकि रिक्त स्थानों को भरने के लिये नियुक्तियां नहीं की जाती और विद्यमान कर्मचारियों में ही उस कार्य का वितरण किया जाता है, कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें नहीं दी जा रहीं, जिन तीन लाख गैर-विभागीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता था ; वह बंद कर दिया गया है । इसके विपरित राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या में पांच या दस गुणा वृद्धि कर दी गई है । ये अधिकारी सारी सेवा का नाश कर रहे हैं ।

कर्मचारी संघों को मान्यता न देकर हतोत्साहित किया जा रहा है जबकि उनके संघों को बहुमत प्राप्त है । 1971 में मंत्रालय से सीधे तौर पर राजनीतिक हस्ताक्षेप किया गया था और कार्मिक संघों को जिसे कर्मचारियों का बहुमत प्राप्त था, अमान्य कर दिया गया जिसके फलस्वरूप कर्मचारी अपना कार्य संतोषजनक रूप से नहीं कर पा रहा है । कर्मचारियों तथा प्रबन्ध के बीच तनाव पूर्ण सम्बन्ध हैं ।

ऐसी स्थिति में 10 रुपये प्रति आवेदन पत्र शुल्क लगाना अनावश्यक है । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

हमें बताया जाना चाहिये कि 1969 से अब तक 10 रुपये की इस योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुयें हैं और उन आवेदन पत्रों में से कितना को नए कनेक्शन दिए गए हैं । जब सरकार समयसीमा की गांरटी नही दे सकती, तो यह उनके लिये बहुत ही अवैध है कि जनता से बिना किसी सेवा के पैसे लिए जायें । अतः मंत्री महोदय को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिलि) : यह निर्णय किया गया है कि नए पदों को बनाने पर अब कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिये । कमचारियों की संख्या घटाकर, जिससे लगभग 400 रुपये सप्ताह की बचत होगी, भारत सरकार काल्स को रद्द करके लगभग 7,000 रुपयें प्रति सप्ताह गंवा रही है । कर्मचारियों की संख्या कम न करने पर विचार किया जाना चाहिये ।

तारों के पहुंचने में भी देर लगती है । कई बार तो तार और पत्र साथ-साथ ही मिलते हैं ।

आपरेटरों को अंग्रेजी भाषा का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये क्योंकि अधिकांश लोग जो काल्स बुक करते हैं राजधानी की क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते ।

कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये । वे परिवहन निरीक्षकों की दया पर निर्भर करते हैं । अन्यथा ये पोस्टल निरीक्षक उन्हें नौकरी से बर्खाशत कर देंगे ।

सरकार ने मदन किशोर पर प्रतिवेदन की सिफारिशों को मान लिया है । कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया । डाकखाने में नियुक्ति के लिए एक शर्त यह थी कि उसका आय का कोई और स्त्रोत भी होना चाहिये । केरल में भंयकर बेरोजगारी की समस्या के कारण स्नातक भी 50 रुपये या 60 रुपये के वेतन के लिये ई० डी० डाकखानों में कार्य करने के लिये तैयार हैं ।

आप अन्य कर्मचारियों का वेतन अथवा मंहगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन विभागेत्तर कर्मचारियों के मामले में ऐसी कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं । आप का तर्क यह है कि कुल कर्मचारियों की संख्या 7 लाख है और उनमें से आधे विभागेतर कर्मचारी हैं । आप उन्हें कम से कम 100 रु० तो दे ही सकते

हैं । आखीरकार विभाग को 150 करोड़ रु० का लाभ हो रहा है । विभाग को अपने कर्मचारियों को अच्छी सेवा प्रदान करनी चाहिये । मदन किशोर प्रतिवेदन का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिये और जहां तक सम्भव हो, उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

इस विभाग में एक अजीब नियम यह है कि अगर दो स्थानों के बीच 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, तो सीधे डायल घुमाकर सम्पर्क नहीं किया जा सकता । इस नियम के कारण अल्वाये और एर्नाकुलम के बीच सम्पर्क स्थापित करने में काफी कठिनाई उपस्थित हो रही है । अगर नियमों से जनता को कोई परेशानी होती है, तो नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिये । यह समस्या केवल केरल में ही नहीं है, बल्कि यही समस्या इलाहाबद, कलकत्ता और भोपाल के मामले में भी है । मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस नियम में संशोधन करें । इससे विभाग को अधिक आय की प्राप्ति होगी ।

विभाग के अधिकारियों का व्यवहार भी कभी-कभी बहुत खराब होता है । मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1973 के छः महीनों के लिए मैंने टेलीफोन के बिलों का भुगतान नहीं किया है । मेरे पास भुगतान करने की रसीदें थीं, इसीलिए मैंने विभाग को लिखा कि मैं पहले ही टेलीफोन बिलों का भुगतान कर चुका हूं । लेकिन विभाग ने आज तक इसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया है ।

तेल्लीचेरी में काफी समस्या है । मैंने डी० ई० टी० से भी बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ । एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाम स्थानीय कालों के लिये 1,000 रु० या 1,200 रु० का टेलीफोन बिल आता है । हर बार उसे जिला प्रबन्धक के पास बिल की राशि माफ कराने के लिये जाना पड़ता है । आपका विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता । यह अधिकारियों का दुरुपयोग है ।

मैं मंत्री महोदय से फिर अपील करना चाहूंगा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 बहुत पुराना है और उसमें कई असंगतियां तथा हास्यस्पद उपबन्ध हैं । इसका संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक पेश किया जाना चाहिये । कर्मचारियों को सेवा-शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The aim of the present Bill is to regularise the deposit of Rs. 10/- by the applicants for new connections. I am not opposed to the proposal, but this amount should be refunded to those applicants, who are not provided with the telephone connections.

There is inefficiency prevailing in the Department, but the employees are not responsisble for this. The employees are not provided with necessary equipments and facilities. T.P. Machines and stable channels are always out of order in Patna. Moreover, there is no arrangement for T.P. training in Hindi there. The strength of employees should be augmented there keeping in view the work-load. There are no charpoys, dormitories and catering arrangement for the employees. The Government should strive for the provision of facilities to the employees.

The Third Pay Commission has not done justice to the employees. Four instalments of D.A. have became due to the employees, but even half of the amount of these instalments are not being paid to them. How could they make both ends meet in these circumstances. The Finance Minister had assured the ten thousand demonstrators yesterday that the Govt. would take a decision within three weeks.

My telephone connection is said to be a V.I.P. Telephone, but it remains out of order all the time. It has not been made operative in spite of my repeated complaints. When my telephone is out of order, it could be well imagined what would be the faith of Common men's telephones.

The Telephone Advisory Committee comprises of generally sleeping members. There should be regular meetings of the Telephone Advisory Committee, and the members who do not attend its meeting consecutively on three occasions should be removed from its membership. M.Ps. M.L.As. and the representatives of the people should be associated with the Telephone Advisory Committee. The Co-operation of the employees should be solicited to increase the efficiency of the Department.

It is surprising that S.T.D. system exists between Delhi and Patna but there is no such system between Delhi and Calcutta which are metropolitan cities. Similarly Patna and Calcutta have no direct dialling system. All metropolitan cities should be interconnected through trunk dialling system. Corrupt practices are followed in matter of granting lines. No action is taken on the applications for lines. Prompt action should be taken on them. Employees of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given fair deal in the matter of promotion.

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg) : The Post and Telegraph employees work round the clock. Their duty hours are odd. But housing facilities are not adequate for them. Similarly the pay of etxra-departmental employees is very less. It should be increased.

The state Reorganisation Commission had recommended that taking into consideration the vast area of the state the central Government should give special attention in the matter of communication. But neither more Post Offices have been opened nor arrangements of Telephones have been made. The Bhilai Steel Plant is the biggest one in the country but there is no direct dialling system which is causing great hardships.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई) ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock).

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker—in the Chair]

स्थगन प्रस्ताव

Motion for Adjournment

देश के कुछ भागों में अकाल की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह प्रस्ताव लेंगे कि सभा अब स्थगित होती है । श्री समर गुह ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि समय इस तरह आवंटित किया जाये जिससे वाद-विवाद 6 बजे तक समाप्त हो जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुह ।

श्री समर गुह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं—

"कि सभा अब स्थगित होती है "

मैं नहीं जानता कि इंसान भूख का सामना कहां तक करता रहेगा । हम क्या संसद भवन के रेलवे कैंटीन तथा पांच स्टार वाले होटलों का खाना खाकर भूखे लोगों की पुकार सुन सकेंगे ? अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां मैं ठहरा हुआ था, वहां मैंने एक शव को देखा। पुलिस को सूचना देने पर भी उसने कुछ नहीं किया । इसी प्रकार एक छोटी लड़की की मां की भी भूख से मृत्यु हो गई थी । 30 अक्तूबर को कन्टाई के निकट बालीफाई में एक सभा में भाषण करने के लिए जाते समय मैंने एक लावारिस शव को पड़ा देखा था, कूच-बिहार से भी एक दर्दनाक समाचार आया था जिसके बारे में समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार छपा था । वहां एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को गोदी में लिए निर्धनों के लिए चलाई जा रही रसोई घर में इस आशा से लाईन में खड़ी थी कि उसे दो यूनिट खाना मिलेगा, केन्द्रीय सरकार शायद इस बात को नहीं जानती है कि 1943 के भीषण अकाल के बाद ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा था जैसा कि इस समय देश के अनेक स्थानों पर पड़ा हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में भूख से हुयी मौतों के बारे में यदि मैं अपने आंकड़े दूं तो सरकार उनका विरोध करेगी । पश्चिम बंगाल सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही पश्चिम बंगाल में भूख से 10,000 व्यक्ति मरे हैं । यदि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा में 25,000 व्यक्ति भूख के कारण मृत्यु के शिकार हुए हैं । सरकार ने इस मामले में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है । ऐसे रवैये को देखकर किसी देश के निवासी सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने में पीछे नहीं रह सकते । ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं भी त्यागपत्र दे देती है । परन्तु पता नहीं यह सरकार लोगों को मारने के लिये शासन कर रही है । राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तथा अन्य मंत्रियों ने इस मामले में कोई रूचि नहीं दिखाई है । यह बड़े आशचर्य की बात है । जब राष्ट्रीय विपदा की स्थिति होती है तो समस्याओं के समाधान तथा लोगों के भरण-पोषण का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है ।

हमारे खाद्य मंत्री ने, जो दलित वर्ग की समस्याओं के एकमात्र सहारे समझे जाते हैं, कई बार कहा है कि देश में भूख से कोई नहीं मर रहा है । खाद्य मंत्री से ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जाती है । जो लोग भूख से मर रहे हैं वे कौन हैं ? भूख से मरने वाले आदिवासी, हरिजन, भूमिहीन श्रमिक, तथा दलित वर्ग के लोग हैं जिनके लिये सत्तारूढ़ दल ने गरीबी हटाओ का नारा लेगाया था । परन्तु गरीबी के कारण आज वे इस दुनियां में नहीं हैं ।

अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही 700 व्यक्ति मरे है । इनमें से कुछ व्यक्ति हैजे आदि बीमारियों से भी मरे हैं । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी कहा है कि वहां लोग घास खाकर जीवित हैं । बाजार में मिलावटी अनाज बेचा जा रहा है । इमली के बीजों तथा सीपियों को सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है और उसे आटे में मिलाकर बेचा जा रहा है । जो लोग इस आटे को खाते हैं हैजे आदि बीमारियों के शिकार हो जाते हैं । इण्डियन मैडिकल एसोसियेशन के अनुसार, हैजे आदि बीमारियों के 4000 रोगी हैं और 700 रोगी इन रोगों के कारण मृत्यु का शिकार बन चुके हैं । लोग विवश होकर अपनी भूमि बेच रहे हैं, बर्तन और पशु बेच रहे हैं । वे अपने बच्चों को बेचते हैं और मातायें अपने बच्चों के भोजन के लिये अपने शरीरों को बेचती पायी जाती हैं ।

पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने भी कहा है कि राज्य के विभिन्न भागों में भुख-मरी से मौत हुई हैं । राज्य मंत्री श्री संतोष राय ने भी यही कहा है कि 150 लाख लोग भुख-मरी के शिकार हैं । कलकत्ता के एक विधान सभा सदस्य के अनुसार उनके निर्वाचन क्षेत्र में भूख

से 100 लोगों की मृत्यु हुई है । इससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में भुखमरी व्याप्त है । पश्चिमी बंगाल के समाचार पत्रों में भयानक समाचार छपे हैं । लोग मर रहे हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार पूर्णता अनदेखी कर रही है और सरकार की ओर से एक बयान भी नहीं दिया गया है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर ध्यान दें । हम अपने को स्वतन्त्र देश कहते हैं । हम कहते हैं हमें मूलअधिकार प्राप्त हैं । हम कहते हैं कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है । हम अपने को मानव प्रेमी कहते हैं । यदि हमारी, रगों में मानवी रक्त है तो इन समाचारों से हमें द्रवित होना चाहिये । हजारों लोग भूख से मर रहे हैं परन्तु सरकार इस ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनायें हुये है ।

दायित्व से बचने के लिये सरकार कहती है कि ये मौतें भूख से नहीं हुई हैं अपितु कुपोषण हुई है । कुपोषण सरकार का एक रटा हुआ शब्द है । साम्राज्यवादी राज्य के दिनों में भी इस शब्द का प्रयोग होता रहा है । उन्होंने 'भुखमरी' कभी नहीं कहा । हम भूखों को भिखारी, अभावग्रस्त कहते है और भूख से हुई मौतों को कुपोषण से हुई मौतें कहते हैं ।

इस बारे में विशेषज्ञों का क्या मत है ? डा० जगदीश बनर्जी ने कहा है कि भूख से हो रही मौतों की दुखान्त घटना के लिये कुपोषण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । कलकत्ता के सभी प्रसिद्ध डाक्टरों ने ऐसी ही विचारधारा व्यक्त की है । उन्होंने कहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं, किसी अन्य कारण से नहीं । लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता और सरकार इसे कुपोषण कहती है ।

ब्रिटिश सरकार अकाल संहिता बनाती थी । जनगणना के अनुसार, जनसंख्या का 1/2 प्रतिशत अकाल घोषित करने के लिये पर्याप्त था परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, 10 प्रतिशत लोगों को राहत दी जाती है परन्तु फिर भी पश्चिम बंगाल को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ।

अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अकाल संहिता बनाई हुई थी, परन्तु अब ऐसी कोई संहिता नहीं है । न इस कार्य के लिए कोई राष्ट्रीय निधि ही है।

पश्चिम बंगाल में 220 लाख व्यक्ति भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है । उड़ीसा या बिहार अथवा अन्य किसी राज्य को भी केन्द्र ने धन नहीं दिया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 करोड़ रुपये खर्च किये हैं अर्थात् 5 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किये हैं, जिससे 1½ किलो चावल या 2½ किलो आटा खरीदा जा सकता है। इससे तो केवल एक सप्ताह तक ही गुजारा हो सकता है ।

पश्चिम बंगाल सरकार कांग्रेसी संसद सदस्यों से भी उनके इलाके के मसलों के बारे में सलाह मशविरा नहीं करती, विरोधी पार्टियों का तो कहना ही क्या ? क्षेत्र की समस्याओं का सारा जिम्मा विधान सभा सदस्य का होता है । उसे इलाके का बादशाह बना दिया जाता है । यही कारण है कि भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा मिल रहा है ।

यदि पश्चिम बंगाल या असम से केन्द्रीय सरकार में कठपुतली मंत्री नहीं होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाती । प्रजातांत्रिक भारत की महारानी के दरबार में ये कठपुतलियां नृत्य कर रही

है। अगर उनमें हिम्मत होती तो वे स्पष्ट रूप से प्रधान मंत्री से कह सकते थे कि या तो जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करो अन्यथा भूखमरी से होने वाली मौतों का दाग अपने सिर लो।

अब वित्त आयोग की उस सिफारिश का सहारा लिया जा रहा है कि प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति का सामना करने के लिए तदर्थ अनुदान नहीं दिया जायेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मामले में पिछले वर्ष 300 करोड़ रू० खर्च किया, मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है, परन्तु इस समय पश्चिम बंगाल सरकार ने विकास व्यय में से 10 प्रतिशत खर्च इस संकट की स्थिति का सामना करने पर ही खर्च कर दिया है। वित्त आयोग सिफारिशी संगठन है, उसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

मेरी मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उ० प्र०, मध्य प्रदेश और देश में अन्य भागों को, जहां लोग भूख से मर रहे हैं, सरकार अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और उस क्षेत्र के लोगों का भोजन उपलब्ध करने का राष्ट्रीय दायित्व माने।

(2) भुखमरी से होने वाली मौतों संबंधी खबरों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाये।

(3) अकाल समस्या को राजनीति से परे रखते हुए अखिल भारतीय राहत समितियां गठित की जायें।

(4) 'केयर, केरिटस और कासा' जैसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अकाल क्षेत्रों में व्यापक राहत कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया जाये।

(5) सरकार को जनवरी के महीने तक राहत कार्यक्रम तब तक चालू रखने चाहिए, जब तक कि अकालपीड़ित लोग राहत कार्यक्रम संबंधी परियोजनाओं में काम न करने लगें।

(6) विकास परियोजनाओं के साथ एकीकृत करके व्यापक राहत कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिए। किसानों की ओर बकाया सभी भू-राजस्व, ऋण आदि समाप्त घोषित कर दिये जाने चाहिए।

(7) अकालपीड़ितों क्षेत्रों के छात्रों को उनके अध्ययन के लिए पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

(8) पोषाहार कार्यक्रम के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए।

(9) अकालग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के बारे में लेवी की नीति का संशोधन होना चाहिए।

(10) राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को तत्काल अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए।

स्वतन्त्र भारत में या तो यह सरकार अकालपीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध करे, अन्यथा त्यागपत्र दे।

उपाध्यक्ष महोदय : समय सीमित है । इसलिए प्रत्येक सदस्य 10 मिनट तक ही भाषण को सीमित रखे ।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Our Country is very large conutry having a best population of nearly 57 crores of people. Due to natural calamities like floods at certain places and drought at other places, the food production of the country is seriously affected.

During the last three decades, due to administrative and other changes in developing countries, the longevity of people has increased. In our coountry the average age of the people has gone up from 28 years to 52 years. The population of the Country has increased as a result of increase in longevity. The food production has risen by three times since we achieved independance. But the demand went up still further and in such a difficult situation, the traders and consumers try to hold the stocks. This creates complications for the poor.

Shri Samar Guha had stated that 25,000 peolpe have died of starvation. According to West Bengal Government , there were 700 deaths in the State, but the persons had died not of starvation, but for want of nutritions food. The Central Government as well as State Governments are taking all possible steps to meet the situation there. Whenever such a situation arises, the areas should be immediately declared famine affected and new schemes should be undertaken three to increase the purchasing power of the people. West Bengal Government has spent **1350** lakhs of rupees uptil now. Four lakhs of people are receiving daily food through 900 catering units. 1500 relief projects have been undertaken to increase the purchasing power of the people. The West Bengal have been given 1,15,000 tonnes of foodgrain, whereas other famine. affected states in similar conditions were given only 45,000 or 50,000 tonnes of foodgrain. The politics should not be brough into such matters.4,00,000 people are employed in relief works in Gujarat and same number are employed in M.P. also. Though the Finance Commission has laid down a limit for giving such help to the states, the Government is providing necessary funds to various states keeping in view the limitations of deficit financing. I hope that the difficulties would be overcame and the production would be increased.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि श्री मिर्धा की तरह प्रत्येक सदस्य को सहयोग करना चाहिए । श्री ज्योतिमय बसु ने एक नोट भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुसार समय मिलना चाहिए । इस प्रकार तो उन्हें केवल 8 मिनट ही मिलेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यथासम्भव कम से कम समय लूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुसार....

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज देश में भूख के कारण मौतें हो रही हैं । असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भुखमरी और अकाल की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है । "इकानामिक टाइम्स" के सम्पादकीय के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1943 के अकाल जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई है । राज्य की एक तिहाई जनता सूखा, बाढ़ और समुद्री तूफान के कारण भुखमरी की शिकार हो रही है । छिपाये गये अनाज को निकालने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं । असम में हजारों लोग भूख से मर गये हैं । असम की 74 प्रतिशत ग्रामीण जनता भुखमरी से नीचे के स्तर पर है ।

पश्चिम बंगाल में लगभग 170 लाख व्यक्ति भुखमरी के शिकार हैं । गुजरात में, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ में 19 जिलों में से 17 जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं । इन जिलों में 150

लाख लोग भूख से पीड़ित हैं । जब मोरारजी देसाई ने गुजरात के कुछ क्षेत्रों का दौरा किया, तो यहां के लोगों ने उनसे खाद्यान्न मांगने की अपेक्षा जहर देने की मांग की क्योंकि उन्हें वर्तमान सरकार से जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की आशा नहीं है । उत्तरी बिहार भुखमरी से अत्यधिक प्रभावित है । केरल में सरकार ने स्वीकार किया है कि भूख से 550 व्यक्तियों की मौतें हुई । जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है । उड़ीसा में 50 लाख लोग भुखमरी के शिकार हुए हैं । मध्य प्रदेश की स्थिति भी उतनी ही खराब है ।

यह सरकार यहां के व्यक्तियों को ही नहीं अपितु विश्व को झांसा दे रही है । सरदार स्वर्ण सिंह वाशिंगटन में प्रेस सम्मेलन में कहते हैं कि भूख से एक भी मौत नहीं हुई । यह कितना बड़ा झूट है ।

पश्चिम बंगाल राज्य के कांग्रेसाध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि राज्य में एक हजार व्यक्ति भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गये । परन्तु इसे छिपाया जा रहा है । पश्चिम बंगाल के राहत मंत्री कहते हैं कि राज्य की खाद्य स्थिति अत्यन्त दयनीय है । कूच बिहार में स्थिति सभ्य जीवन से कहीं अधिक खराब है । 24 परगना में भी स्थिति उतनी ही खराब है । कलकत्ता में आने वाले आधे लोग 24 परगना के दक्षिण से आते हैं । बांकुरा में पहली बार मध्यम वर्ग की भुखमरी की स्थिति हुई है । पुरूलिया जिले में स्थिति और भी खराब है ।

आसाम में भुखमरी से मौतें होने के बारे में समाचार मिले हैं । राहत कार्य से केवल 2 प्रतिशत लोगों को राहत मिल रही है । सत्ताधारी लोगों के आंतरिक झगड़ों के कारण यह सहायता भी उन्हें नहीं पहुंच रही है । आसाम में राहत शिविरों में 150 ग्राम अनाज लोगों को दिया जाता है और वह भी अच्छा नहीं होता ।

सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कमी सामान्य है और प्रति व्यक्ति की खाद्य उपलब्धि इस समय कहीं अधिक है । प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 3 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिए जबकि मिलता 1250 ग्राम ही है । राशनिंग व्यवस्था टूटने की स्थिति में है । सार्वजनिक वितरण पद्धति को व्यवस्थित ढंग से खत्म किया जा रहा है ताकि जमाखोरों और कालाबाजारियों को जनता को लूटने की स्वतन्त्रता मिल सके और वे मनमानी कर सकें । ऐसा दिखाई देता है कि सरकार ने कालाबाजारियों, जमाखोरों तथा जोतदारों के सम्मुख पूरी तरह से आत्म-समर्पण करदिया है । स्वतन्त्रता के 27 वर्ष बाद भी 22 प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई होती है तथा बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था न के बराबर है । पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है तथा आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम तथा ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम कांग्रेस के हित साधन में प्रयुक्त किये जा रहे हैं । वास्तव में इससे कुछ ठोस काम नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय सरकार ने केरल को 80,000 टन चावल देने का वायदा किया था । इस महीने उसे केवल 25,000 टन चावल दिया गया है । अब उन्हें प्रति परिवार प्रति सप्ताह 2 किलोग्राम चावल दिया गया है । राज्य में नकद फसल की अधिक पैदावार है जिससे पटसन, चाय, मिर्च, रबड़ तथा अनेक अन्य वस्तुओं की बिक्री से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है । अतः राज्य को पर्याप्त सहायता दी जाए जिससे लोगों को भोजन दिया जा सके ।

हम राष्ट्रीय खाद्य बजट की मांग कर रहे हैं, परन्तु श्री जगजीवन राम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। देश में भुखमरी की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए प्राकृतिक आपदायें जिम्मेदार नहीं हैं अपितु इस सरकार की भू-स्वामी तथा जमाखोरों के प्रति अपनायी गई नीति जिम्मेदार है। इसका हल यह है कि सरकार खाद्यान्नों के थोक राज्य व्यापार को अपने हाथ में ले तथा काले धन के संचालन को रोके और घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त करे। सरकार द्वारा खाद्यान्नों की अधिक वसूली की जाये और अच्छी वितरण मशीनरी बनाई जाये तभी जनता की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुवतुपुजा): इस मामले में सदन में दो मत नहीं है कि खाद्य के मामले में देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इस मामले में दो मत होने की गुंजाइश नहीं है कि खाद्यान की कमी केवल भारत में ही नहीं है। फिर भी इसे अन्तर्राष्ट्रीय संकट कहकर स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं किया जा सकता।

स्थिति का सामना करने के लिए तीन उपाय किए जा सकते हैं। पहला तो यह कि हम मजबूती से स्थिति को संभाले और आपसी सहयोग से कोई हल निकालें। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हम निराशावादी बन जाएं और तीसरा उपाय यह है कि हम कठोरता से सरकार को दोषी कहें।

मैं अपने दल की ओर से केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी ओर से स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। यदि सरकार ऐसा न करती तो देश की स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो जाती। प्रतिपक्ष के सदस्य स्थिति की गम्भीरता का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री समर गुह ने कहा है कि 25,000 लोग भुखमरी से मर गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वह आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर क्यों कहते हैं। हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1947 में हमें 30 करोड़ लोगों का पेट भरना होता था जबकि आज हमें 56 करोड़ लोगों का पेट भरना पड़ रहा है। 1947 में हमने 60 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात किया। वर्ष 1971 में 18 लाख तथा वर्ष 1972 में 20 लाख टन का आयात किया गया। देश की खाद्य स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। देश आत्मनिर्भरता के मामले में प्रगति कर रहा है। इसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिये।

वर्तमान खाद्य संकट का सामना करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने फिर से आयात करने की नीति अपना ली है, हालांकि विरोधी दलों ने इसपर विरोध प्रकट किया है। सरकार ने रूस से 20 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया। सरकार देशवासियों के संकट को दूर करना चाहती है, चाहे उसके लिए विदेशी मुद्रा व्यय क्यों न करनी पड़े।

जन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। सरकार ने खाद्यान्न के थोक-व्यापार को अपने हाथ में लेने की घोषणा की तो विरोधी दलों ने इसके विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप सरकार को बहुत कम खाद्यान्न की वसूली हुई। 80 लाख टन की बजाय केवल 44 लाख 50 हजार टन की ही वसूली हुई और इस पर सरकार के पास रक्षित भंडार के लिए अन्न नहीं बचा।

सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। परन्तु विपक्ष ने इसका भी विरोध करना शुरू किया। विरोधी पक्ष तस्करों के विरुद्ध जारी किए गए अध्यादेश तथा राष्ट्रपति के आदेश

का भी विरोध कर रहे हैं। उनके विचार में तस्कर का मौलिक अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल सरकारी नीतियों में व्यवधान डालना चाहते हैं।

गत वर्ष 53,231 छापे मारे गए और 5.97 लाख टन खाद्यान्न बरामद किया गया। यदि छापे मारने हैं तो मीसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा।

विपक्षी दल और गैर-सामाजिक तत्वों का साथ दे रहे हैं और वह सरकार से झगड़ना चाहते हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे देश की राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं ?

इस बारे में दो मत नहीं है कि सारा विश्व संकट की स्थिति से गुजर रहा है और कई देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

सरकार को चाहिए कि वह जमाखोरों के विरुद्ध अभियान को और तीव्र कर दे और गैर-सामाजिक तत्वों को भी पकड़ना शुरू कर दे, चाहे इसके लिए कितने ही आदेश और अध्यादेश जारी क्यों न करने पड़ें ? कृषि क्षेत्र में सरकार को चाहिए कि वह गहन खेती पर जोर दे। औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव भुखमरी से हुई मौतों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत के संबंध में है। क्या माननीय सदस्य चर्चाधीन विषय से बाहर नहीं जा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने ठीक प्रश्न पूछा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री ज्योतिर्मय बसु ने केरल का उल्लेख करते हुए कहा है कि केरल वासी चावल पर निर्भर हैं और इसलिये राज्य जोनल व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से हमारी मांग पूरी हो सके। अब बाहर से खाद्यान्न खरीदने पर भी प्रतिबन्ध लग गया है। अब हर एक राज्य को अपना ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इस आधार पर यह व्यवस्था की गई थी। परन्तु तमिलनाडु ने अपना कोटा सप्लाई नहीं किया; आन्ध्र प्रदेश ने किया है। अन्य राज्यों ने भी अपना कोटा नहीं दिया।

वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न सप्लाई करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है, परन्तु उसे राज्यों में वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाई जानी चाहिये। उस नीति के अनुसार, देश में जहां कहीं भी फालतू खाद्यान्न हो, उसे ले लेना चाहिये। मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : आज लगभग वैसी ही आर्थिक परिस्थितियां है जो वर्ष 1943 में थीं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग शहरों और देहातों में भूखे मर रहे हैं। सरकार को ऐसी स्थिति पर दुख व्यक्त करना चाहिये। वर्ष 1952 में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि उन्होंने खाद्यान्न का आयात बन्द करने का आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें उक्त आश्वासन को पूरा न कर सकने का दुख है। परन्तु वर्तमान सरकार भुखमरी के समाचारों को गलत बताती है।

क्या पश्चिम बंगाल के राहत मंत्री अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों ने यह बात कई बार नहीं कही कि कूच बिहार स्टेशन पर शव देखे गये थे और उनकी मृत्यु का कारण यही था कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला ? मध्य प्रदेश में भी लोगों के भूख से मरने के समाचार मिले हैं। हमें यह कहने में कोई मजा नहीं आता है कि लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं और नवयुवतियों को अपनी इज्जत लुटानी पड़ रही है। यदि सरकार ने इस निराशाजनक स्थिति की ओर कोई ध्यान न दिया तो वे राजनीतिक अपराधी माने जायेंगे। अतः उसे अपनी नीति बदलनी चाहिये। देश की समस्याओं को देशभक्ति की भावना से हल किया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल में निश्चय ही भूख के कारण मौतें हुई हैं। यह कहना गलत है कि कुपोषण के कारण मौतें हुई हैं। जब भुखमरी का प्रश्न उठाया जाता है तो सरकार कहती है कि सारे विश्व में स्थिति खराब है या वह मुद्रास्फीति की दुहाई देती है । इस समस्या को हल करने के लिये असंगत बातें करने की बजाय ठोस उपाय करने होंगे। क्या सत्ताधारी सदस्यों ने इस विषय पर कभी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है ? यह कहना गलत है कि विरोधी दलों ने सरकार की नीतियों को विफल बनाया है। सरकार इस प्रकार के बहाने करके अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करती है। यह बहुत अनुचित है। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं परन्तु इस समस्या का हल तर्क-वितर्क से नहीं हो सकता। सरकारी वितरण व्यवस्था लगभग असफल हो गई है जो देश के लिये घातक है। सरकार को जनता के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिये और फिर हम सब को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिये। हमें जनता को भी विश्वास में लेना चाहिये, तभी हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। जनता एवं अन्य दलों का सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है, यदि सरकार की नीतियां प्रगतिवादी हों। यदि आप देश के लिये कुछ अच्छाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएं। अभी हमने श्री जवाहरलाल का जन्म दिवस मनाया। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत अधिक चाहते थे, परंतु आज लाखों बच्चे हर रात को भुखे सोते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण आज 140 लाख बच्चे अन्धे हो रहे हैं। सरकार को जनता के सामने मानना चाहिये कि वह अपने आश्वासन पूरा करने में असमर्थ रही है। इसके साथ ही प्रगतिशील नीतियां अपनाई जाएं, तभी हम आगे बढ़ सकते है।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur) : The subject under discussion has no scope for becoming sentimentalist or for eloquence of speech. The only worth-while suggestion which come from the member who preceded me was that the ruling party should constitute a food crops in which the co-operation of the opposition should be sought.

डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए

Dr. Henry Austin in the Chair

An effort was made by the Chief Minister of Bihar to constitute a Food Council with the co-operation of the opposition Parties. But the opposition Parties did not agree to co-operate with the Chief Minister.

It is regrettable that serious problems such as food problem are being looked upon from political angles. Such problems should be looked at from national angle.

It is not only in India but in other advanced Countries as well that the agriculture depends mainly on rains. Irrigation is a gamble with nature and we can not conqueste nature. We can only adjust with nature.

I would also request that we should take due care while discussing serious issues such as food-shortage. Because unnecessary exaggeration of the situation creates a psychology of shortage, which is not conducive for the welfare of our people.

It is not correct to say that the Government has been indifferent and callous to the problem. About 53,000 raids were conducted on hoarders during the last year, as a result of which 60,000 tonnes of food-grains were seized and 5,000 persons arrested. The Price Index for cereals rose by 5.3% during this month last year whereas this year it has come down by 5.7 per cent. This has been possible due to efforts made by the Government.

I would, however, like to warn the Government against man-made floods and droughts. These man-made calamities result in huge losses of life and property. For instance, it was claimed that Gandak Project when completed would prove a born to the State of Bihar. But it has proved otherwise. I would also urge that incomplete project should be taken over by the Central Government for speedy completion.

Narrow gauge line is being connected into broad gauge in North Bihar. There were five bridges on that line between Madhaul and Kafen. But during the conversion period only two bridges have been provided. Due to this the floow of water has been obstructed. This is a man-made flood. Such things are un-explainable.

This year 15 lakhs tonnes of crop has been damaged. Previously there used to be a deficit of 7 lakh tonnes in Bihar whereas this year this deficit has been 15 lakh tonnes. The Government has provided seeds but this allotment has been made very late. Even out of allocation of 2,15 thousand quintals merely 56 thousand quintals have been received. 96,00 tonnes of Nitrogen Fertilizer was allocated to Bihar but now it is going to be reduced by one third. This reduction should not be done.

Farmers are not getting adequate loans. Due to floods and droughts, the loans distribution Capacity of Co-operative Banks and Co-operative Societies has come down This Capacity should be increased. Bihar needs 25 crores on this accounts. The Government should try to fulfil this need by broviding short-tern credit or in any toher forms.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): People are facing starvation in many parts of the country. It is, therefore, necessary that this fact should be accepted by the Government and it should try to take steps to alleviate the sufferings of the people.

Some Members have said that the situation is not so serious. But there have been newspaper reports about the starvation deaths. A member of this House has also said that 'the Chhatirgarh people are eating grass and animal feed.' But it is not understood why this fact is not being accepted ? The food situation is so accute that there have been report about selling of children by people. No body else except the Government could be held responsible for this serious situation. May I know whether the concerned Minister had visited the areas where starvation deaths have taken place ? Whoether he paid any attention to see the working of public distribution system ? What efforts are being made to improve it ?

Famine code was framed during the British period. This should be amended. There are drought prove areas in the country. There were identified all these years but the Government have not taken any permanent measures to help the people of drought prove areas like Rayalaseema and Champaran.

A Committee appointed by the Maharashtra Government had stated in its report that people in certain areas were digging graves to take out bones for selling.This is the outcome of the planning by the Government for the last 27 years.

During drought there is shortage of fodder. People do not get fodder for their Cattle. They have to be moved from one province to another in search of fodder. The Government should take steps to send fodder to the drought affected areas so as to save our cattle wealth.

I would like to know as to what permanent steps have been taken by Government in this regard. We are aware of drought-prove areas, famine conditions as well as floods, but what steps have been taken to increase the irrigational facilities. Various river disputes like Krishna-Godavari dispute, Kaveri dispute and Narmada dispute, have not been resolved so far. Therein dam has been shelved. The Government is trying to remove the middle men, but they are establishing international middle men. USSR is the biggest middleman, as it is supplying wheat imported from USA.

The nature has given us fertile land and water resources in sufficient quantity, but only 38 per cent of water is being utilised ? Minor irrigation schemes should be undertaken to make the country prosperous. The Government is begging food from abroad and bringing bad name to the country in the international field.

The people are dying of starvation. I have seen with my own eyes hungry boys and girls picking food from the drains. The Central Government is not providing foodgrains as demanded by the Government of M.P. The Government is sticking to the recommendation of Finance Commission in regard to the help for meeting the natural calamities. The Central Government has totally failed in meeting the urgent needs of the States and checking starvation deaths. I, therefore, support the adjournment motion.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Shri Joshi has just now said that a wrong impression of our country should not be created in foreign countries. But, in fact, opposition parties are bringing bad name to the country by exaggerating the difficult situation prevalent in the country. (*Interruption*)

Jana Sangh tells the farmers not to give levy foodgrains to the Government and on the other hand, they pressurise the Government to supply foodgrains to the consumers. They ask the people not to pay taxes and on the other hand, force the Government to give subsidy. They exhorted the electricity workers to go on strike, when there was urgent need for electricity for agricultural purposes. The opposition parties have always been trying to obstruct the working of the Government. (*Interruption*)

The situation is really very difficult, but we have developed a habit to deal with the problems. When Bangla Desh struggle was going on, all the opposition parties had unanimously supported the Government. Such a support could be extended at this difficult time also.

The Arab Countries have became prosperous by raising the price of oil. We produce four million tonnes of sugar, which is in great demand in foreign countries. If we export 75 percent of our sugar, 4,000 or 5,000 crores of rupees could be earned as foreign exchange.

There has been continuous drought in Andhra Pradesh for the last two years. One Kg. of foodgrains is being supplied there per head. Coarse grains are being produced by the people there. The Government can not feed each and every individual in the entire Country. Andhra Pradesh had procured 8 lakh tonnes of foodgrains, half of which was given to the central pool. We have to work unitedly to solve the problems.

In 1966-67, 22 lakh tonnes of sugar was produced in the country. Now the sugar production was gone up to 44 lakh tonnes. There have been wide spread rains throughout the country, which will improve the prospects of rabi crops. We should not create panic in the country. I, therefore, oppose this adjournment motion.

***श्री एम०एस० शिवस्वामी** (तिरुचेंडूर) : देश में व्याप्त अकाल और भुखमरी की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रूपेश किये गये स्थगन प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों और राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों ने भी अपने-अपने राज्यों में अकाल की स्थिति का उल्लेख किया है, इसलिये अपनी पार्टी की ओर से इस स्थगन प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

11 अक्टूबर, 1974 को मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्य के 25 जिलों के 50,000 ग्रामों में 1.62 करोड़ जनता अकाल और भुखमरी की स्थिति से प्रभावित है। राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने 3 नवम्बर, 1974 के अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्य के दस जिलों के 10,000 ग्रामों में 90 लाख जनता भखमरी और अकाल की स्थिति की शिकार है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री के अनुसार राज्य की 30 प्रतिशत जनता अकाल की स्थिति का सामना कर रही है उड़ीसा के मुख्य मंत्री क अनुसार उड़ीसा की 60 प्रतिशत जनता सूखे की स्थिति से प्रभावित है। केरल में 40,000 टन धान सूखा और कीढ़ों के कारण नष्ट हो गया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जीवित रहने के लिए लोग घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। सरकार को इस गम्भीर स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और जनता के जीवनयापन स्तर में भी सुधार करना चाहिए।

मैं गुजरात के लोगों की गम्भीर स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 19 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में आयोजित गुजरात राज्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैंने भाग लिया था। मैंने चार पांच दिनों तक गुजरात के उत्तरी जिलों का भी दौरा किया था। वहां पानी के एक गिलास के लिए 5 या 10 पैसे देने पड़ते हैं। लाखों पशुओं को चारा अनुपलब्ध है और पड़ोसी राज्यों से चारा ट्रकों में भर कर लाया जा रहा है। कल ही समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि गुजरात में एक लाख बच्चों को कुपोषण के कारण अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ा है। बैठक में लाखों की संख्या में विटामिन की गोलियां भेजने की भी मांग ली गई थी।

आजादी के 27 वर्षों के बाद भी गुजरात में इतनी भयानक स्थिति क्यों होनी चाहिए? अहमदाबाद से 500 मील दूर तक जाने पर जो कहीं पम्पसेट या नलकूप नहीं मिलता। तमिलनाडु में 10 मील की रेलयात्रा में ही 1000 पम्पसेट मिलेंगे। अगर सरकार भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकना चाहती है, तो देश के सारे ग्रामों में बिजली उपलब्ध की जानी चाहिए।

तमिलनाडु में अक्तूबर-नवम्बर के महीनों में मानसून की वर्षा नहीं हुई है। अगर अगले पन्द्रह दिनों में बारिश नहीं होती, तो तमिलनाडु के 8, 9 जिलों में अकाल की स्थिति पैदा हो जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में, यह अफसोस की बात है कि कर्नाटक सरकार ने काविनी जल भण्डार में अगले साल की जरूरत के मुताबिक पानी का संग्रह कर लिया है। वर्षा हो नहीं रही है और कर्नाटक सरकार गुजरात से ज्यादा पानी का संग्रह कर रही है, इस प्रकार फसल के लिए आवश्यक पानी से तमिलनाडु को वंचित किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री को इस बारे में तार भी भेजा है। अगर राजस्थान, बिहार, असम, उड़ीसा मध्य प्रदेश जैसी अकाल की स्थिति से तमिलनाडु को बचाना है, तो पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। एक ओर हम सब राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर देश के दक्षिणी भाग में इस प्रकार भेदभाव किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने अपनी आवश्यकता से अधिक जल एकत्रित कर रखा है। यदि 15 दिन के भीतर जल सप्लाई नहीं किया गया तो 15 लाख टन चावल पैदा करने की क्षमता वाली तथा सिंचाई की सुविधाओं वाली 7 लाख एकड़ भूमि शुष्क हो जायेगी। यदि तंजावुर तथा तिरुचिरापल्ली जिलों में अगले पखवाड़े में पानी सप्लाई नहीं किया गया तो तमिलनाडु के 4 करोड़ लोगों की समाप्ति की समस्या उत्पन्न हो जायगी। मुझे आश्चर्य है कि जब देश में अकाल पड़ा हुआ है तो समूचे राष्ट्र के हित में नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से क्यों नहीं निपटाया गया है।

भारत सरकार ने बहुत वर्षों तक दुर्भाग्यवश, सिंचाई का प्रभार कनिष्ठ मंत्रियों के हाथ में रखा। अब श्री जगजीवन बाबू जैसे योग्य व्यक्ति को यह कार्यभार देकर उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक सरकार से यह कहने में तुरंत कार्यवाही करें कि वह तमिलनाडु को जल सप्लाई करे।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

खाद्यान्न की कमी अन्तर्राष्ट्रीय है। कुछ महीने पूर्व 200 से अधिक देशों के 2500 प्रतिष्ठित विद्वानों ने राष्ट्र-संग के महासचिव से अपील की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि "खाद्यान्न की कमी के कारण विश्व के अनेक भागों में गंभीर सामाजिक अशांति उत्पन्न हो गई है।" मैं महसूस करता हूं कि अब जो कृषि मंत्री आये हैं वह उन बहुत सी समस्याओं को हलकर सकेंगे जो आज तक नहीं सुलझ पाई हैं।

हमारी प्रधान मंत्री ने एक अमरीकी पत्रकार को साक्षात्कार में बताया कि हमारे देश की जनसंख्या विश्व के देशों से काफी अधिक है और वर्ष 1967 से बाढ़ या सूखे के प्राकृतिक प्रकोप यहां होते रहे हैं परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इन समस्याओं के प्रति जागरू नहीं है। भारत का प्रत्येक मुख्यमंत्री इस बात की भरसक कोशिश कर रहा है कि कहीं भुखमरी न होने पाये।

मैं पहले भी कह चुका हूं और मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि अकाल संहिता में परिवर्तन किया जाये ताकि हमें पता चल सके कि भुखमरी से किसकी मृत्यु होती है। खाद्य की कमी के कारण लोग कुपोषण के शिकार हैं।

जहां तक राहत का सम्बन्ध है, इस दिशा में भारत सरकार ने सरहानीय कार्य किया है। सरकार ने देश के कोने-कोने में राहत पहुंचायी है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमें कुछ मर्यादाओं के अन्दर कार्य करना पड़ता है और ये मर्यादाएं आर्थिक संसाधनों की हैं।

मैं उड़ीसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1952 से अब तक उड़ीसा को गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात को समझता हूं कि भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार की यथासंभव सहायता की है। आज स्थिति यह है कि चावल का मूल्य कम होकर डेढ़ रुपया प्रतिकिलो हो गया है।

उड़ीसा सरकार ने कृषकों को 9 करोड़ रुपये का ऋण दिया और उनमें 2500 क्विंटल बीज वितरित किया। परीक्षण राहत कार्यों के लिये 47 लाख रुपये दिये गये हैं।

मुख्य बात यह है कि देहाती लोगों को रोजगार दिया जाये। हमें प्राकृतिक प्रकोपों का सामाना करना है और लोगों को भुखमरी से बचाना है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो सहायता मिलती है उसे जरूरतमन्द लोगों को ठीक समय पर पहुंचाना है।

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : गुजरात में इस वर्ष अकाल और सूखे का बहुत प्रभाव रहा है। 19 जिलों में से 17 जिलों पर बहुत प्रभाल पड़ा है। राज्य में पर्याप्त राहत कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इस वर्ष राज्य को केवल 77 हजार टन खाद्यान्न कोटा दिया गया है। इस राज्य की जनसंख्या 2.75 करोड़ है जिसमें से 1.75 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति मास 1 या 2 किलो अनाज दिया जाता है। जो पर्याप्त नहीं है। अकाल या कमी की स्थिति ऐसी है जैसी 100 वर्षों में कभी नहीं हुई। लोगों ने अपने घरों के वर्तन, गाय, भैंस तक बेच दी है। उनके पास अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिये पैसे नहीं हैं। यदि राहत नहीं पहुंचाई गई तो वे जीवित रहने की स्थिति में नहीं होंगे।

लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदि वासियों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है।

जैसाकि आपको ज्ञात ही है, गुजरात में राष्ट्रपति का शासन है अतः केन्द्रीय सरकार का यह विशेष दायित्व है कि वह आगामी चुनाव होने तक राज्य के हितों की देखभाल करें। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या पर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये और राज्य को पर्याप्त अनुदान देना चाहिये।

गुजरात राज्य की वित्तीय स्थिति भी संकटमय है। अनुदान या खाद्यान्न के रूप में केन्द्रीय सहायता राज्य को दी जानी चाहिये।

सरकार ने राज्य में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये 8 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। केन्द्रीय दल ने कोई निर्णय नहीं किया है। उन्हें उचित निर्णय करके राज्य को उचित अनुदान देनी चाहिये।

राहत कार्य में लगे प्रत्येक श्रमिक को प्रति मास कम से कम 12 किलो खाद्यान्न मिलना चाहिये।

गुजरात की खाद्य समस्या के समाधान के लिये नर्मदा नदी परियोजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिये और राज्य को भुखमरी की स्थिति में नहीं रखना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि जब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, तब तक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री को वहां का प्रभारी बनाया जाये जो वहां की सभी समस्याओं का समाधान करे।

Shri R.S. Panday (Raj Nand Gaon) : I remember that when Shri Jagjiwan Ram took charge of the Ministry of Agriculture and Irrigation, it rained on that day and soon after a conference of various countries of the world took place to consider the food situation. On the inspiration of Shri Jagjivan Ram World Food Council came into existence. There are only, four or five countries in the world which are surplus in food and they deal with international trading. According to Charter, there are 38 or 40 countries where natural calamities like flood and drought affect them. Our country is also prove to such natural calamities. It was envisaged in the Third and Fourth Five Year Plans that we would produce 110 to 115 million tonnes of foodgrains. We did produce about 107 to 108 million tonnes. We also treated a buffer stock of 7 to 8 million tonnes but it was for the first time that the cycle of production failed for three consecutive years due to excessive rain in one area and drought in the other which caused scarity conditions in the country and exhausted our buffer stock. It is a matter of gratification that the Department of Irrigation has been tagged with the Department of Agriculture. We have 44 crores of acres of cultivable land which is only 2 per cent of the total cultivable area in the world and it has to bear a load of 19 per cent of population . It is fortunate that we have 10 per cent of water. If we divert that water to our fields, we will be able to feed our people for the next fifty years even if our population goes on increasing at the rate of 2.5 per cent.

The five-point programme accepted at the recent world Food Conference includes creations of an international pool of buffer-Stock, helping production, making all kinds of resources available to developing countries at the time of calamity. Therefore, there is no question of going in the world with a begging bowl as Shri Joshi has said . It is a question of co-existence. The problem of food scarcity is a national problem. It does not envolve politics.

When prices go up, the opposition parties go to farmers and tell them that the prices of agricultural inputs have gone up and the Government is imposing levy. On the other hand, they incite wholesal traders in urban areas. They should not bring politics in such problems.

Madhya Pradesh has been facing a grim famine situation for the last three consecutive years. A sum of Rs. 10 crores for relief work and 20,000 tonnes of foodgrains should be given for the next three to four months. But nothing has been given so for except an assurance.

With these words I oppose the Motion.

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi) : There is shortage of food in the country and some of the hon. Members have said that this is an international problem. May I know whether there is any firm policy of the Government to meet this shortage.

In my region—Rewa, Shahdole, Sidhi and Satna there has been scanty rainfall in the last two years the people of that area has put forward a proposal they say that they should procure as much foodgrains at the Panchayat level as is sufficient for two or three years so that if rains fail, they do not have to go about asking for food. I would like to know how the Government considers such proposals ! The Government should clarify their policy in this regard.

A test work was necessiated to be started in our area but people are not piad any wages for 15 to 20 days and work is immediately stopped in case there are less than 50 workers. Hence, the workers are compelled to go to some other place for earning their livelihood. In such circumstances, how for it is fair to close relief work ? I would like to know whether the Government takes such decision or it is the local officers ? Several schemes are lying unimplemented. The Bansagar Project is an important scheme but still it has not been implemented. People havee to depend upon nature.

श्री बी०के० दासचौधरी : (कूच बिहार) स्थगन प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकड़े परस्पर विरोधी हैं। खाद्यान्न के अभाव की वर्तमान स्थिति का लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी बंगाल के विभिन्न जिले गत दो वर्षों के दौरान बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । इसी प्रकार उत्तरी बंगाल तथा दक्षिणी बंगाल की कुछ मिलों में लोग बाढ़ के कारण अपनी आजीविका कमाने के लिये नहीं जा सके। क्या इन सब कठिनाईयों के लिये केवल सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है ? क्या सभी माननीय समस्याओं को हल किये जा सकने का इतिहास में कहीं उदाहरण मिलता है।

सरकार कठिनाईयों को दूर करने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे हुए है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में 40 प्रतिशत लोग निर्धनता से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं परन्तु साथ ही सरकार की सक्रियता पर भी संदेह नहीं किया जा सकता। जब कभी किसी राज्य में अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न होती है, वहां के मुख्य मंत्री उससे निपटने के लिये तैयार हो जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के 5 करोड़ लोग संकट की स्थिति में हैं। सरकार ने 36 प्रतिशत लोगों को राहत दी है। कूच विहार में भी जरुरतमंद लोगों को राहत दी गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सरकार अपनी ओर से एवं कल्याण कारी संस्थाओं के सहयोग से 25 से 30 हजार लोगों को मुफ्त भोजन दे रही है। सरकार ने अन्य संस्थाओ को सस्ती दरों पर भोजन देने का अनुरोध किया है। यह भी सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार पर अत्यधिक दवाब के कारण राहत के लिए जितनी व्यवस्था की गई वह राहत उपायों पर पहले ही व्यय हो चुकी है । पश्चिम बंगाल सरकार 18 करोड़ रुपये पहले ही व्यय कर चुकी है। और 30 करोड़ रुपये और व्यय करेगी जिसमें से 15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है।

वस्तुत: वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण फसलों की क्षति है। हमें इसके स्थायी समाधान के लिए फिर से विचार करना होगा कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में भूमि का वितरण किया जाना चाहिये।

यदि ऐसा हो जाए तो निर्धन किसान भूमि में खेती करके अपनी आजीविका कमा सकता है। इसके साथ ही हमें जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण श्रमिक बल की वृद्धि का भी ध्यान रखना है। इस अतिरिक्त श्रमिक बल को रियायती आवास सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इसके अतिरिक्त जिला आयोजना कार्यों को शीघ्रता से क्रियान्वित करना चाहिए।

मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता उसे प्रदान करे। छटे वित्त आयोग द्वारा बनाए गए सिद्धान्तों पर अड़े न रहकर ,सरकार को इन विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची की प्रविष्टि 33 में सरकार को तिलहन, खाद्य तेल सहित अन्य खाद्यान्न सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरित करने के कार्य में असफल रही है। भुखमरी से हो रही मौतें सरकार की असफलता का प्रमाण हैं। बड़े ही खेद की बात है कि जो व्यक्ति खाद्यान्न के मामले में सरकार की असफलता के लिये जिम्मेदार रहा हो, उसे सजा देने की बजाय राष्ट्रपति भवन में स्थान दिया जाये .... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप ऐसा उल्लेख न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्या हम भूतपूर्व खाद्य मंत्री के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकते .... (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इससे पहले कि आप अपना विनिर्णय दें, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि हमें भूतपूर्व खाद्य मंत्री के आचरण के बारे में चर्चा करनी हो तो किस प्रकार की जा सकती है ?

सभापति महोदय : हम वर्तमान खाद्य मंत्री के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भूतपूर्व खाद्य मंत्री के बारे में नहीं।

श्री सुरेंद्र महन्ती : वर्तमान खाद्य मंत्री ने हाल में विश्व खाद्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम का दौरा किया था। वहां उन्होंने इस बात से इन्कार किया था कि भारत में भुखमरी से मौत हुई हैं। वहां की एसोशिएटिड प्रैस ने समाचार दिया है कि 123 राष्ट्रों के 1250 प्रतिनिधि भूख के बारे में भाषण देते रहे और जब तक वहां रहे खूब जम कर खाया। 11 दिन में इन प्रतिनिधियों के खाने पर 2.7 लाख डालर व्यय हुए। एक ओर खाद्य मंत्री भुखमरी से होने वाली मौतों से इन्कार कर रहे हैं, दूसरी ओर प्रतिदिन अखबारों में भुखमरी से होने वाली मौतों के समाचार छप रहे हैं। सरकार ने खाद्यान्न की कमी जानबूझकर पैदा की है। वस्तुतः देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। काले बाजार में भरपूर खाद्यान्न मिल रहा है।

सरकार जोर शोर से छिपे अनाज को निकालने के अभियान का प्रचार कर रही है। परन्तु सरकार चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, खाद्यान्न की वसूली 20 लाख टन से अधिक नहीं हो सकती।

गत वर्ष उड़ीसा में भरपूर फसल हुई थी और सरकार का लक्ष्य 4 लाख टन चावल की वसूली करने का था, परन्तु जमाखोरों के दबाव में आकर सरकार ने इसे तीन लाख टन कर दिया।

सरकार के पास खाद्यान्न के स्टाक नहीं है और लोग भूखों मर रहे हैं। इन परिस्थितियों में में कांग्रेस सरकार एवं उनके कम्यूनिस्ट साथियों ने जमाखोरी करने वालों व मिल मालिकों के आगे घुटने टेके जिसके परिणाम स्वरूप दोहरी मूल्य नीति तैयार की गई 50 प्रतिशत लेवी देकर शेष 50 प्रतिशत को मनमाने दामों पर बेचने की छूट दी गई । इस नीति के कारण राज्य में चावल 3 रु० किलो की दर पर बिक रहा है उड़ीसा की 80 प्रतिशत जनता गरीबी के स्तर से नीचे रहती है। इस स्थिति में उनकी क्रय क्षमता के अनुमान लगाए जा सकते हैं।

केन्द्र सरकार ने अक्टूबर मास में राज्य को 25000 टन खाद्यान्न दिया। परन्तु अन्य राज्यों को दिये गए खाद्यान्न की तुलना में यह मात्रा बहुत ही कम है।

अब प्रश्न यह है कि भविष्य के लिए क्या किया जाना है। सरकार की खाद्य नीति स्पष्ट नहीं प्रतीत होती। सरकार विश्वास पूर्वक नहीं कह सकती कि खाद्य स्थिति का सामना किया जा सकेगा अथवा नहीं। सरकार को बताना चाहिये कि खाद्य संबंधी हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। यह भी बताया जाये कि क्या खाद्यान्नों में राज्य द्वारा व्यापार की नीति का त्याग कर दिया गया है? सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि भुखमरी से एक भी मौत होने नहीं दी जायेगी।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : स्थिति की गंभीरता से इन्कार नहीं किया जा सकता। सरकार भी स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरुक है। खाद्यान्न की कमी है परन्तु क्या ऐसी स्थिति के लिये जो आंशिक रूप से मानव निर्मित है और आंशिक रूप से प्राकृतिक कारणों से है सरकार को ही दोष दिया जा सकता है?

वास्तव में बाढ़ व दुर्भिक्ष जैसी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के पास खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डार रहने चाहियें। सरकार ने इस दिशा में गेहूं तथा धान के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने का उचित निर्णय दिया था परन्तु विपक्षी दलों ने उस पर आपत्ति उठाई व सरकार को अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ा। नीति में परिवर्तन के कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी व काला बाजारी को बढ़ावा मिला। खाद्यान्न व्यापारियों ने सरकार को दिये गए आश्वासन पूरे न किये। वर्तमान खाद्य मंत्री की यह बात सही है कि देश में खाद्यान्न की उतनी अधिक कमी नहीं । आवश्यकता इस बात की है कि बड़े-बड़े धनवान किसानों को जमा किये गए खाद्यान्न को बाजार में लाने को बाध्य किया जाए। सरकार ने तस्करी के विरुद्ध कुछ उपाय किए उनके कारण वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आनी प्रारम्भ हुई परन्तु विपक्षी दलों ने मौलिक अधिकारों के निलम्बन करने संबंधी उपायों पर शोर करना प्रारम्भ कर दिया है। हमें उनकी इस प्रकार की बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये।

राज्यों और केन्द्र के कृषि और सिंचाई विभागों के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है। सरकार तब तक कोई उपाय नहीं करती जब तक कि स्थिति अत्यन्त असाधारण न हो जाए । उत्तर प्रदेश में दुर्भिक्ष की स्थिति नहीं और न भूख से मौतों की समस्या है परन्तु सिंचाई सुविधाएं इस प्रकार नगण्य हैं कि इस ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य मंत्री को खाद्य समस्या हल करने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री डी० आर० पंडा (भजनगर) : उड़ीसा के लगभग 180 लाख लोगों की स्थिति स्वयं सरकारी आकड़ों के अनुसार बहुत ही दयनीय है। सभी लोगों ने लोगों की दयनियता का उल्लेख किया है परन्तु किसी ने भी इस समस्या के हल के लिए पर्याप्त सुझाव नहीं दिया है। मूल्य बढ़े हैं व जमाखोरी हुई

है तो उसका लाभ किसे मिला है ? उड़ीसा में श्री बीजू सिह देव व महताव का शासन भी रहा है उस समय भी इसी प्रकार की स्थिति रही है। जहां तक वर्षों का संबंध इस वर्ष राज्य 1918 के स्तर तक पहुंचा है। इस कारण सूखा की स्थिति की गंभीरता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता।

उड़ीसा में राहत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परन्तु उड़ीसा को केवल 1 प्रतिशत वित्त का ही आवंटन किया गया है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। राज्य में जमा चावल को बाहर निकालने के लिये अभियान चलाया जाना चाहिए।

उड़ीसा में 1974-75 में 45 लाख टन चावल के उत्पादन की योजना है परन्तु उसके लिए कोई 'द्रुत' कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। नलकूपों की मांग करने पर 'रिग्स' की कमी का बहाना बनाया जाता है। जब एक ओर लोग भुखमरी से मर रहे हों तो ऐसे बहानों को कोई स्थान नहीं होना चाहिये। सभी सिंचाई परियोजनाओं और अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा किया जाये। सभी सम्बद्ध विभागों तथा योजना आयोग में समन्वय होना चाहिये। यदि उड़ीसा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो वहां पर बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। अतः केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ उड़ीसा राज्य सरकार को वसूली तथा वितरण प्रणाली के बारे में अपनी नीति में भी पर्याप्त संशोधन करने चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : श्री समर गुह ने केवल मात्र अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही उल्लेख किया है। यदि उन्होंने देश के अन्य भागों की यात्रा की होती तो उन्हें प्रतीत होता कि वहां पर क्या स्थिति है।

यह आंशिक रूप से ठीक है कि लोग इस समय खुश नहीं। परन्तु स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करना भी उचित नहीं। लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। बंगाल, बिहार, असम तथा मध्य प्रदेश आदि में स्थिति उतनी अच्छी नहीं परन्तु केन्द्र सरकार तथा असम, बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें स्थिति का सामना करने में सफल हुई हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति थी। परन्तु राज्य सरकार और जनता ने जिस प्रकार से स्थिति का सामना किया है उसका अन्य कहीं भी उदाहरण नहीं है।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस संकट के बावजूद जब सरकार ने इस कठिनाई का मुकाबला करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया था जो जमाखोरी विरोधी कार्य के लिये था परन्तु कांग्रेस और साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य किसी विरोधी दल ने उसका समर्थन नहीं किया। जब हम पश्चिम बंगाल में जमाखोरों से लड़ रहे थे तब इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री जयप्रकाश नारायण के साथ वार्ता करने में व्यस्त थे (व्यवधान)

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए।
Shri Vasant Sathe in the Chair.]

यदि वे वास्तव में स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें खाद्यान्नों के आबंटन की ही चिन्ता नहीं करनी चाहिये। उन्हें कुछ मूल समस्याओं का हल निकालना चाहिये। किसानों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है। कृषि श्रमिक के लिये न्यूनतम मजूरी का निर्धारण करने हेतु तुरन्त सभी खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। इमें शीघ्रता से भूमि सुधार करने चाहिये।

सभापति महोदय : श्री मावलंकर। कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने लिखित रूप में यह स्पष्ट करते हुए मुझसे अनुरोध किया है कि ठीक 6.30 बजे मंत्री महोदय को बुलाया जाना है। अतः श्री मावलंकर पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं यह चाहता था कि यह वाद-विवाद भिन्न ढंग से हो। स्थगन प्रस्ताव पर आधारित न हो। यह किसी अकेले दल का मामला नहीं है अपितु यह समूचे राष्ट्र का मामला है। सरकार को स्वयं इस मामले पर चर्चा करने का प्रस्ताव लाना चाहिये था।

यह समस्या ऐसी नहीं है जो हमारे देश की ही हो। यह विश्वव्यापी समस्या है। विशेषकर विश्व के सारे विकासशील देशों की यह समस्या है। रोम सम्मेलन के पश्चात् "ओनली वन अर्थ" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। जिसमें कुछ आधारभूत तथ्य स्पष्ट बताए गए हैं। भरसक प्रयत्नों के बाद खाद्य सप्लाई में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या में 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अन्तर को दूर किया जाना है। जब तक हम खाद्य सप्लाई में वृद्धि और जनसंख्या को रोकने के लिये ठोस उपाय नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार आरोप लगाते रहेंगे और बचाव करते रहेंगे, जिससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परिपक्व और प्रख्यात संसद् शास्त्री, श्री जगजीवन राम ने इस मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला है। मुझे आशा है कि कृषि को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।

हमें अपना रवैया बदलना चाहिये। औद्योगीकरण करने के बजाय हमें कृषि को उचित प्राथमिकता देनी चाहिये। वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण सूखाग्रस्त राज्य पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सके। उड़ीसा और गुजरात जैसे राज्यों को अत्याधिक सहायता मिलनी चाहिये। इस वर्ष गुजरात में अनेक कठिनाइयां आईं। अगले वर्ष जनवरी, 1975 से कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। खरीफ की फसल चली गई है और रबी की फसल भी अच्छी नहीं है। यदि हम कृषि को प्राथमिकता दें तो आगामी पांच या दस वर्षों में स्थिति सुधर जाएगी।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि देश कठिन स्थिति से नहीं गुजरा रहा है। बाढ़ और सूखे से उत्पन्न समस्या विकट है। इस समस्या का विश्व के बहुत से देशों के क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना में यहां काफी क्षेत्रफल और जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा है।

प्रो० गुह ने जो कुछ कहा उसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता कि जिन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है वहां के लोगों को कठिनाइयां नहीं हैं। वे कठिनाइयों में हैं परन्तु प्रत्येक पहलू का निर्णय समूची राष्ट्र की स्थिति के सन्दर्भ में किया जाना है अर्थात्, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपनी आय से गुजारा कर सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो गुजारा नहीं कर सकते। लोग कठिनाई में हैं परन्तु क्या यह कहना सच है कि इसी कारण भुखमरी से मृत्यु हुई है? जब हम ऐसे समाचार सुनते हैं तो हम उन समाचारों को उचित एजेंसी और सम्बन्धित राज्यों को भेजते हैं और उनसे पुष्टि हो जाने के बाद ही हम यहां वक्तव्य देते हैं कि भुखमरी से मृत्यु हुई है या नहीं।

मेरे पास ऐसे मामलों क आंकड़े हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि करके दिया गया है कुछ मामलों में यह पाया गया है कि जिन लोगों को भुखमरी से मरा हुआ बताया गया वे जीवित और स्वस्थ हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : ऐसे एक दो उदाहरण बताना निर्दयतापूर्ण है।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य धैर्य रखें, मैं यह कहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो क्रय क्षमता के अभाव में निरन्तर कठिनाई में रहते हैं, कुछ लोगों को पोषक आहार नहीं मिलता है। इससे माननीय सदस्य अनुमान लगा सकते हैं।

श्री नरूल हुडा (कछार) : यह प्रस्ताव भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में है (व्यवधान) हम वहां जाकर स्थिति देख चुके हैं (व्यवधान)।

श्री जगजीवन राम : मैं समर्पण नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जब मंत्री महोदय समर्पण करें तभी वे बोल सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य राजनीतिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आसाम सरकार ने माना है कि भुखमरी से मौतें हुई हैं... (व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : मैं इस बात का खण्डन करता हूं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, आसाम जसे देश के अनेक भागों में लगातार तीन वर्षों तक सूखा पड़ने या अत्यधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई। अनेक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण खरीफ की फसल बोई ही नहीं जा सकी। यदि कहीं पौद लगाई भी गई तो वर्षा और सिंचाई के साधनों की कमी के कारण वह पूरी तरह सूख गई।

हमारे पास खाद्यान्न के संचित भण्डार थे और वसूली भी की गई थी। हमने वितरण प्रणाली को कम से कम बनाए रखने का प्रयत्न किया।

हम बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को उनकी क्रय क्षमता बढ़ा कर ही उन्हें कठिनाई से बचा सकते हैं। अतः हम राज्य सरकारों से यह आग्रह करते हैं कि वे मुफ्त भोजनालय चलाएं, राज-सहायता प्राप्त दरों पर रोटियां दें और श्रम कार्य की व्यवस्था करें ताकि वे कुछ कमा सकें परन्तु आसाम, उत्तर बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां ऐसे कार्य चलाना सम्भव नहीं है वहां बड़े पैमाने पर मुफ्त भोजनालय चलाए गए हैं जो लोगों को खाना देते हैं।

वित्त आयोग के इस सुझाव का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य प्राकृतिक प्रकोपों के लिये कुछ राशि देगा परन्तु वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा है कि जब यह राशि समाप्त हो जाए तो काम में क्षति न हो, इसके लिये आगे बजट में रखी जाने वाली राशि इस वर्ष खर्च की जा सकती है। यह व्यवस्था लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही की गई है।

बुवाई का मौसम आरम्भ हो गया है। सौभाग्यवश पिछले महीने की वर्षा से खरीफ की खड़ी फसल और आगामी रबी की फसल को अत्याधीक लाभ होगा। बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, और महाराष्ट्र में जहां खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है वहां इस वर्षा फायदा हुआ है और लोगों में विश्वास जागृत हुआ है।

जैसे ही मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला था मैंने कहा था कि खाद्यानों की इतनी कमी नहीं है जितनी दिखाई गई है क्योंकि मैं उन धनी किसानों को जानता हूं जो अपना स्टाक इस आशा से दबाए हुए थे कि मूल्य बढ़ेंगे। मैंने राज्य सरकारों को लिखा था कि वे जमा स्टाक को निकलवाएं तो उसका कुछ प्रभाव हुआ। अनाज बाहर आने से मूल्यों में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, मैंने राज्य सरकारों को लिखा कि 'आवश्यक वस्तु अधिनियम', 'भारत रक्षा नियम' और 'आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम' के अन्तर्गत कार्यवाही करनी होगी। इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप एक लाख टन अनाज बाहर निकाला जा सका है।

हम सूखा और बाढ़ग्रस्त विभिन्न राज्य सरकारों को प्रति मास लगभग 9 लाख टन खाद्यान्न आवंटित कर रहे हैं। जहां अधिक अनाज की आवश्यकता है वहां अधिक अनाज भी दे रहे हैं। हम प्रभावित राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न आवंटित कर रहे हैं।

रोम में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में 77 विकासशील देशों का प्रभाव विकसित देशों पर हुआ। रोम सम्मेलन में विकासशील देशों में एकता स्थापित की गई।

मैं श्री जोशी को सूचना देता हूं कि मैं उस सम्मेलन में न केवल भारत की ओर से ही बोला अपितु विश्व के विकासशील देशों की ओर से भी बोला।

एक मित्र ने पूछा कि रोम सम्मेलन की क्या उपलब्धि रही? रोम में यह उपलब्धि रही कि विकासशील राष्ट्रों ने एकमत होकर माना कि पिछले वर्षों में उनकी उपेक्षा और शोषण किया जाता रहा हैं और यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक जुट होकर आगे बढ़ना होगा और विकसित देशों में यह भावना उत्पन्न हुई कि वे अब विकासशील देशों की उपेक्षा अपनी जोखिम पर ही कर सकते है।

हमने राज्य सरकारों से कहा है कि रबी के सम्बन्ध में उनकी बीज, उर्वरक तथा ऋण सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करेंगे। हमने अपने बजट से विभिन्न राज्यों को अल्पकालीन ऋण के रूप में 55 करोड़ रुपयें दिये हैं। यदि और सहायता मांगी गई तो उसे भी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

बिहार और पश्चिम बंगाल को बीज की आवश्यकता है परन्तु उन्होंने हमसे देर से अनुरोध किया फिर भी हमने खाद्य निगम या हरियाणा सरकार से उनकी आवश्यकता पूरी किये जाने की व्यवस्था की। मेरा यह दावा नहीं है कि प्रभावित क्षेत्रों में लोग कठिनाई में नहीं हैं। उनमें से कुछ की स्थिति तो दयनीय है परन्तु यह स्थिति वर्षों से देश में चली आ रही आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण हैं देश में सामाजिक ढांचा ऐसा है जो कृषि उत्पादन के लिये उत्तरदाई है।

जिस दिन मैंने यह उत्तरदायित्व सम्भाला था उस दिन मैंने यह कहा था कि मेरा यह प्रयास होगा कि केन्द्र में खाद्य विभाग की कोई आवश्यकता न रहे और वह तब ही किया जा सकता है जब हम अपनी कृषि को ऐसी बनायें कि हम अपनी खाद्यान्न सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर हों

मीठे पानी वाली नदियों, भूमिगत जल के अक्षम भण्डारों, उपजाऊ भूमि और हृष्ट-पुष्ट किसानों के रहते इस बात का कोई कारण नहीं है कि हम खाद्य की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निभर न हो सकें।

मैं श्री गुह से कहूंगा कि वह खाद्य के मामले को राजनीति से अलग रखें।

मैं प्रस्ताव के प्रस्तावक से अपील करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस लेने पर विचार करें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने मंत्री महोदय और अन्य माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को सुना। ऐसा लगता है कि हम भूखे लोगों का पेट वक्तव्यों से ही भरना चाहते हैं। मुझ पर भावुक होने का दोष लगाया गया है। भूख के कारण इन्सान को जो कुछ करना पड़ता है, उसे देखकर कौन दुखी नहीं हो जाता। यदि दरिद्रनारायण को देखकर मेरा दिल नहीं पिघलता है तब उसी क्षण से मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता, मैं जो कुछ कहता हूं, अपने दिल से कहता हूं।

यह कहा गया है कि मेरा कथन अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। इसीलिये मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कहना शुरू किया है। मैंने कहा है कि वहां मौतें दो कारणों से हुई हैं। पहली प्रकार की मौतें दुर्बलता तथा कुपोषण से हुई हैं तथा दूसरो प्रकार को मौतें मिलावटी खाद्य लेने से हुई हैं। मैंने 700 व्यक्तियों की इस प्रकार हुई मौतों की पुष्टि मैडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष से कराई हैं। मैं भावावेश में जो कुछ कहता हूं वह आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित होता है। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि यह संख्या 1,000 भी हो सकती है। मैंने केवल कांग्रेसी मंत्रियों, विधायकों तथा कांग्रेस अध्यक्ष की रिपोर्टों तथा कथनों को उद्धृत किया है, यदि यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है तो इसके लिये दोषी कौन है? 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में एक खबर छपी है। मुझे आशा है आप इसका सत्यापन करेंगे. . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस तरह मंत्री महोदय को कुछ दे नहीं सकते। यह आप को मुझे देना चाहिये। आप फिर ऐसा न करें।

श्री समर गुह : क्या आप मेरी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 700 मौतें हुई हैं? क्या मंत्री महोदय भूख से हुई मौतों की रिपोर्टों की यह जानने हेतु जांच कराने ले लियें राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे कि क्या ये खबरें वास्तविक हैं अथवा यह पश्चिम बंगाल का केन्द्र से धन ऐंठने के लिये महज प्रचार है? आयोग को इस कार्य के लिये 15 दिन का समय दिया जाना चाहिये। मैंने खाद्यान्नों का आयात, पोषाहार तथा प्रति व्यक्ति भोजन की खपत में वृद्धि जैसे मूलभूत प्रश्न नहीं उठाए हैं। मैंने इतना कहा है कि सरकार को भूखे लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था करना चाहिये। सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों का बहाना बना रही है। जब पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब भी क्या आप वित्त आयोग की सिफारिशों से बन्धे रहेंगे? गत वर्ष आपने सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये दिये हैं, परन्तु आपने पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि राज्यों को कुछ भी नहीं दिया है। इसका उत्तर आपने नहीं दिया है। मेरा इतना ही कहना है कि कहीं से भी भोजन उपलब्ध करके इन भूखे लोगों की उदर पूर्ति का प्रबन्ध किया जाए। लोग भूख से मर रहे हैं और आपने उन्हें बचाना है। इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

मंत्री महोदय और कांग्रेसी सदस्यों ने वितरण व्यवस्था के समर्थन में प्रशंसायुक्त शब्द कहे हैं। में जानता हूं कि सरकार शहरी लोगों को भोजन उपलब्ध करने के लिय ग्रामीणों की उपेक्षा कर रही है। ग्रामीण लोगों को उचित दर की दुकानों से मुश्किल से घी राशन मिल पाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल फैला हुआ है और वहां लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार ने गत वर्ष महाराष्ट्र, गुजरात तथा सूखाग्रस्त अन्य क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपये व्यय किये हैं परन्तु आपने पूर्व क्षेत्र में कोई विकास परियोजनाएं आरम्भ नहीं की हैं, केवल वित्त आयोग की सिफारिश पर ही आप केन्द्रीय सहायता देना बन्द मत करिये, आप क्षुधा पीड़ित व्यक्तियों के लिये भोजन उपलब्ध कीजिये। अंत में मेरा यह कहना है कि मैं राजनीति के खेल नही खेलना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रदर्शन हेतु 15,000 व्यक्ति आए थे। मैं उन्हें लेकर सत्याग्रह करना चाहता था परन्तु अंत में मैंने 25 सहयोगियों के साथ ही सत्याग्रह किया। मैं सत्तारूढ़ दल को आगाह कर देना चाहता हूं कि भूखे लोगों की स्थिति सुधारने के लिये वे कुछ कदम उठाएं, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि सभा अब स्थगित होती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को पुलिस आयुक्त, नागपुर से 19 नवम्बर, 1974 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :—

"लोक सभा के सदस्य, सर्वश्री जाम्बुवंत घोटे और राम हेडाउ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अन्तर्गत न्यू एम० एल०ए० रेस्ट हाऊस, नागपुर पर धरना देने के लिये और नागपुर में विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को विधान सभा और विधान परिषद् के सत्र में भाग लेने के लिये जाने से रोकने के लिये नागपुर में उस दिन (19 नवम्बर, 1974) 12.05 बजे श्री वी०बी० देशपांडे, पुलिस इन्सपैक्टर, सीताबल्दी द्वारा गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। दोनों सदस्यों को आज एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है।"

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

49वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) मैं कार्य मंत्रणा समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 नवम्बर, 1974/29 कार्तिक, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 20 November 1974,/Kartika 29, 1896 (Saka).

MGIPRRND—44 LSS/74—Sec. IInd—27-1-75—200